खण्ड-303, अंक-4
मंगलवार, 13 चैत्र, शक संवत् 1895
(3 अप्रैल, 1973 ई0)

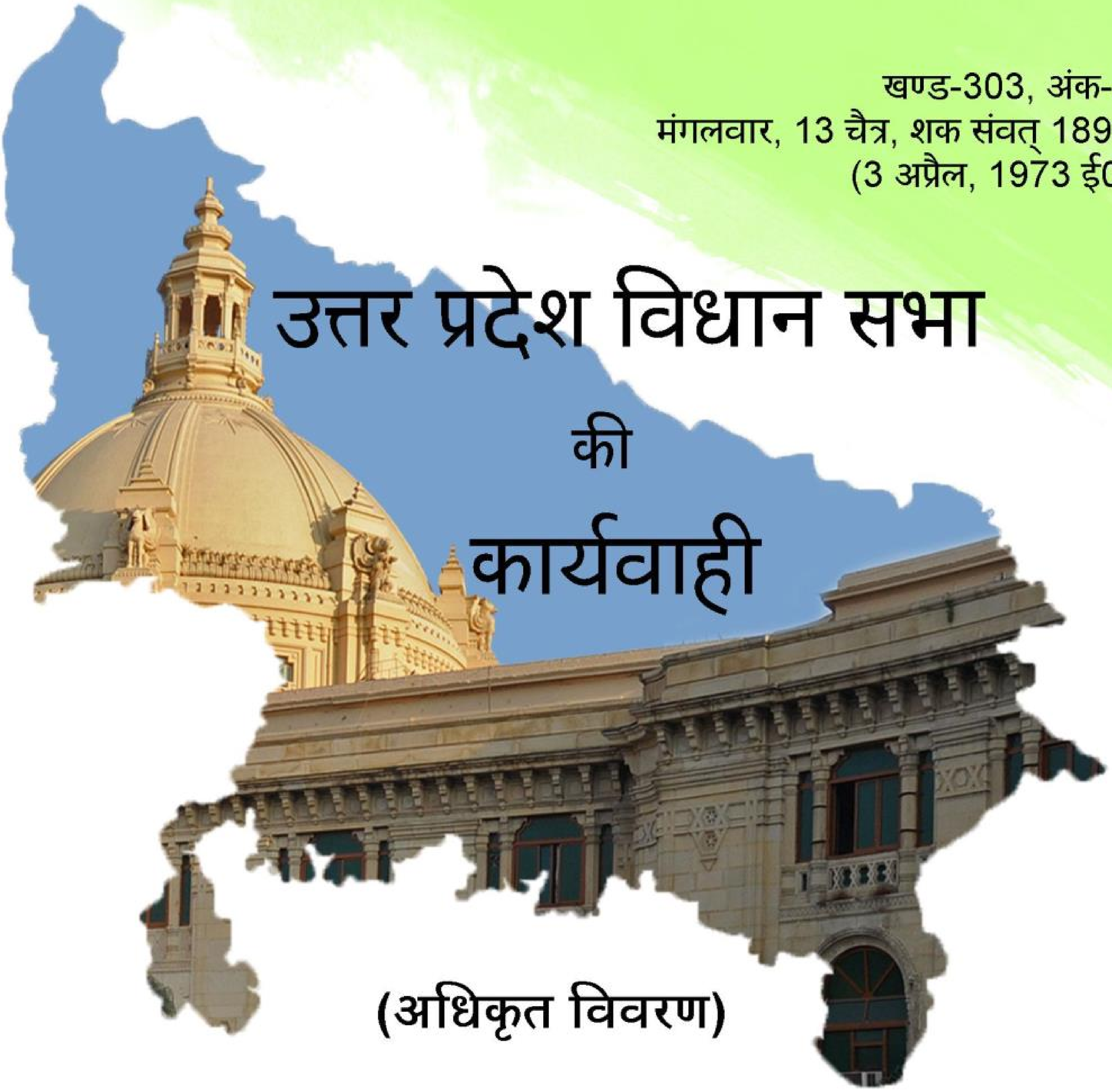

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 303 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 3 अप्रैल, 1973

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य---363

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उपेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री

धासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्र भानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह,'जदेव', श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजी लाल, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी०पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री

बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह बिशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री
उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राज बहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम जियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री

राम प्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम विलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम लखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शचींद्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेरअली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री

अध्यक्ष प्रदर्शन विभाग

सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट--सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 3 अप्रैल, 1973

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गेहूं के खरीद मूल्य में बढ़ोत्तरी

** 1---श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं) तथा श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से गेहूं के खरीद मूल्य 76 रु0 कुंटल में बढ़ोत्तरी करने की जो मांग की है, उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)---

भारत सरकार से अभी तक कोई औपचारिक उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है ।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आपने केन्द्र सरकार को पत्र कब लिखा और पत्र में क्या-क्या संस्तुति की थी कि गेहूं का भाव होना चाहिये और जो उत्तर मिला वह क्या है ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)---

मान्यवर, 20 फरवरी को संस्तुति की थी । मेक्सिकन गेहूं का 85 रुपये, देशी लाल गेहूं का 80 रुपये, गोचना का 75 रुपये और गोजई का 70 रुपये प्रति क्विंटल । और इसके अलावा जो सफेद फार्म किस्म के गेहूं हैं उनमें 4 रुपये प्रति क्विंटल प्रीमियम के लिये लिखा था ।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर ने जो गेहूं का लागत मूल्य निर्धारित किया है, उसको ध्यान में रखते हुए और उसकी राय जान कर आपने यह संस्तुति की है ?

श्री बेनी सिंह---

जी नहीं ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो गेहूं के दाम की सिफारिश केन्द्रीय सरकार से की गयी है, किस आधार पर वह दाम नियत किया गया है यानी उन दामों के मुकर्रर करने का आधार क्या है जिसकी सिफारिश आपने केन्द्रीय सरकार से की है ?

श्री बेनी सिंह---

उनसे निवेदन किया गया था कि आप पैदावार में लगी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए दाम तय करें । एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन के जरिये उन्होंने लागत निकलवाया और उसके बाद उन्होंने दाम तय किया ।

श्री अध्यक्ष---

76 रुपये प्रति क्विंटल मुकर्रर किया है उन्होंने ?

श्री बेनी सिंह---

76 रुपये मुकर्रर किया है लेकिन कल उन्होंने इत्तला दी है । कि कुछ किस्म के गेहूं की कीमत उन्होंने 82 रुपये प्रति क्विंटल रखी है । इनमें के0 68, के0 65, यू0 पी0 301, शर्बती चन्दौसी और सी0 591 हैं ।

श्री कृष्णस्वरुप वैश्य---

अभी खाद्य मंत्री जी ने कहा कि लागत के आधार पर कीमत नियत की गयी, तो क्या आप बतलायेंगे कि जो आपने भिन्न-भिन्न संस्तुति की थी उसका आधार क्या था ?

श्री बेनी सिंह---

पिछले साल उन्होंने 76 रुपये कीमत रखी थी तो हमने कहा कि पिछले साल से इस साल के भाव में ज्यादा वृद्धि हुई है, इसलिये गेहूं की ज्यादा कीमत रखी जाय ।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1967 में जब गेहूं पर लेवी लगी थी और सरकार ने गेहूं खरीदा था तब उस समय उसका भाव 85 रुपये प्रति क्विंटल रखा था और आपने कहा कि जो लागत लगी थी उसी को सरकार ने आधार माना तो क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम नहीं है कि 1966-67 के बाद अब लागत कम से कम दुगुना हो गया है और इसको मद्देनजर रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी फिर दूसरी संस्तुति करेंगे कि कम से कम 100 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं का भाव होना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि वह जो संस्तुति कर चुके हैं और वही उन्होंने बतलाया है । सन् 1967 के बाद वाली बात जो आप कह रहे हैं, यह तो आप सजेशन दे रहे हैं, यह प्रश्न नहीं है । आप प्रश्न करें ।

श्री बलबीर सिंह--

क्या मंत्री जी इसको ध्यान में रखते हुये कि गेहूं के प्रोडक्शन में जो खर्चा आता है उसको आधार मान कर गेहूं का भाव 100 रुपये क्विंटल मानने के लिये तैयार हैं ?

श्री बेनी सिंह--

इसमें मेरे तैयार होने का सवाल नहीं है क्योंकि यह तो आल इंडिया पालिसी है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

श्रीमन्, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि औपचारिक रूप से उत्तर नहीं मिला है तो क्या अनौपचारिक रूप से उत्तर प्राप्त हुआ है ?

श्री बेनी सिंह--

अब तो मैंने श्रीमन्, बताया कि भाव आ गये हैं और परसों ही आये हैं ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, इस बात को देखते हुये कि प्रदेश के 90 प्रतिशत किसान आर0 आर0-21 और 308 गेहूं ज्यादातर बोते हैं और उसकी प्रोडक्शन कास्ट पन्तनगर विश्वविद्यालय में 104 रुपये आती है तो क्या इसको आधार मानकर मंत्री जी जांच करेंगे कि गेहूं के भाव बढ़ाये जायं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

वैसे जो आपने दो नम्बर गेहूं के बताये हैं वे मैक्सीन व्हीट के हैं लेकिन इनका दाना गोल होता है। हम कृषि विभाग से बात करेंगे। हमें पुनः कहने में कोई एतराज नहीं होगा।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आपकी संस्तुति को केन्द्रीय सरकार ने माना नहीं और प्रदेशीय किसान की लागत 100 रुपये से ज्यादा आती है तो वे इस भाव पर गेहूं खरीदने के लिये तैयार हैं जैसा कि आपने गन्ने के मामले में किया है ?

श्री बेनी सिंह--

यह आल इंडिया पालिसी का सवाल है, इसमें हम अलग नहीं हो सकते हैं ।

श्री जयराम वर्मा--

मान्यवर, सरकार ने यह सिद्धान्त मान लिया है कि कंज्यूमर्स प्राइस इन्डेक्स में वृद्धि के साथ-साथ कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाय। तो क्या सरकार यही चीज गेहूं के मामले में भी मानने के लिये तैयार है ?

श्री बेनी सिंह--

सिद्धान्त तो अपनी जगह पर ठीक है और उन्होंने सब चीजों को देख कर यह तय किया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

मान्यवर, 76 रुपये दो साल से गेहूं की कीमत चली आ रही है यह उस समय तय किया था जब चीजें सस्ती थीं, लेकिन अब उनके दाम बहुत बढ़ गये हैं तो गेहूं के दाम क्यों नहीं बढ़ाये गये ?

श्री बेनी सिंह--

मान्यवर, एग्रीकल्चरल कमीशन हिन्दुस्तान की स्थिति को देख कर दाम तय करता है और उसके सामने यह चीज भी थी और उसने यही तय किया है ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्र ने मध्य प्रदेश के कुछ गेहूंओं के दाम 82 रुपया प्रति क्विन्टल तय किये हैं । आजकल आप भी किसान से गेहूं ले रहे हैं तो क्या आप भी मध्य प्रदेश की तरह उसी भाव पर अच्छे गेहूं को खरीदेंगे ?

श्री बेनी सिंह--

मध्य प्रदेश का हमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई चीज ऐसी होगी तो देख लेंगे ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

सन् 1967-68 में सरकार ने गेहूं 85-86 रुपये के भाव से खरीदा था, उसके मुकाबले में अब गेहूं की लागत बिजली, पानी, सिंचाई और खाद की लागत के कारण काफी बढ़ गई है या नहीं ? यदि बढ़ी है, तो उससे ज्यादा कीमत न रखने का आप का आधार क्या है ?

श्री बेनी सिंह--

मैंने बता दिया था कि पिछले साल 76 रुपये का भाव रखा गया था और कीमत बढ़ी हुई थी तभी हमारे द्वारा 85 रुपए की सिफारिश की गई थी ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

गेहूं के उत्पादन मूल्य को देखते हुये गेहूं की कीमत 76 रुपया बहुत कम है इसको देखते हुये क्या उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उत्तर प्रदेश के एक्सचेकर से अधिक मूल्य देकर सरकार खरीदने को तैयार है ?

श्री बेनी सिंह--

हम गवर्नमेंट आफ इंडिया की निर्धारित पालिसी से बाहर नहीं जा सकते ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह आंकड़े तैयार किये है कि वर्तमान समय में किसानों को एक क्विन्टल गेहूं तैयार करने में किन-किन वस्तुओं पर कितनी कितनी अधिक कीमत लग रही है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री बेनी सिंह--

हमारे पास ऐसे आंकड़े नहीं हैं, वे कृषि विभाग में हो सकते हैं ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायणसिंह (जिला देवरिया)---

अभी मंत्री जी ने कहा कि हम गेहूं के दाम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की पालिसी के साथ चलना है लेकिन क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गन्ने के भाव जो केन्द्रीय सरकार ने निर्धारित किये थे उनको प्रदेशीय सरकार ने बढ़ाया था ? यदि हां, तो वैसे ही वह गेहूं के भी बढ़ायेंगे या नहीं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

केन्द्रीय सरकार ने जो गन्ने के दाम तय किये थे, प्रदेशीय सरकार ने उस पर कोई दाम नहीं बढ़ाये, जो भी कीमत बढ़ी वह किसानों और मिलमालिकों की आपस की बातचीत से बढ़ी थी ।

श्री जयराम वर्मा—

इस बात को देखते हुये कि अब गेहूं के पैदा करने में खर्च काफी बढ़ गया है और किसानों से सरकार को गेहूं मिल भी नहीं रहा है तो क्या सरकार उनको कुछ अधिक भाव देकर अपनी ओर से कुछ क्षतिपूर्ति अधिक दाम देकर करने को तैयार है या नहीं ?

श्री बेनी सिंह—

मैंने निवेदन किया कि यह सरकार जहां तक कीमत बढ़ाने का सवाल है, वह आल इंडिया पालिसी से अलग नहीं हो सकती। जहां तक इस बात का कहना है कि गेहूं नहीं मिल रहा है। मैं नहीं समझता कि नेता विरोधी दल कसे कह रहे हैं। अभी गेहूं खलियानों में है और आ नहीं रहा है। (आ गया आ गया की आवाजें)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि गेहूं खलियानों में पड़ा है, आ नहीं रहा है, लेकिन इन्होंने जो बयान बाहर दिए हैं उनमें यह कहा है कि गेहूं मंडियों में बहुत आ रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों बयानों में से कौन-सा बयान सही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रदेश बहुत लम्बा है। यदि आप दक्षिण की ओर जायं, झांसी आदि में तो वहां गल्ला आ रहा है मार्केट में और अगर आप पूर्व की ओर . . . .

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, ये मंत्री तो पूरे प्रदेश के हैं, केवल झांसी के नहीं। (व्यवधान)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

बलरामपुर में मुंसिफ मैजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना हेतु वकीलों द्वारा भूख हड़ताल

**2—श्री महेश्वरदत्त सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि बलरामपुर तहसील के सारे अभिवक्ताओं ने जनता की मांग पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना के लिये सभी न्यायालयों का बहिष्कार एवं भूख हड़ताल पिछले पांच दिन से कर रखा है जिससे न्यायालयों के सारे कार्य रुक गये हैं और जनता में भारी असंतोष है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या-क्या हैं और सरकार उनको कब तक पूर्ण करेगी ?

न्याय मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

यह सही है कि भूख हड़ताल की है। अभिवक्ता संघ बलरामपुर ने मांग की है कि बलरामपुर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय शीघ्र स्थापित किया जाय। मामला शासन के विचाराधीन है और शीघ्र निर्णय लेने का प्रयत्न किया जावेगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला परिषद् मिर्जापुर द्वारा ट्रैक्टर्स माउन्टेड रोलर्स की खरीद

*1—श्री शिव दास (जिला मिर्जापुर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद्, मिर्जापुर द्वारा इस वर्ष शासन की बिना पूर्व स्वीकृति के 6 ट्रैक्टर खरीदे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और उनकी क्या उपयोगिता है ?

सामुदायिक विकास उप मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)—

जिला परिषद, मिर्जापुर द्वारा 6 ट्रैक्टर नहीं क्रय किये गये हैं। अतएव उपयोगिता का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री शिवदास—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, मिर्जापुर के पास कुल कितने ट्रैक्टर्स हैं और उनसे क्या काम लिया जाता है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

2 रोड रोलर्स पुराने हैं और जिला परिषद ने अभी हाल में 4 ट्रैक्टर्स माउटेंड रोड रौलर्स खरीदे हैं और इस प्रकार अब इनकी गिनती 6 हो गयी है। ये सब रोड रौलर्स त्वरित योजना, डी0 पी0 और जिला परिषद् की सड़कों के जितने कार्यक्रम हैं, उनको बनाने में कार्य कर रहे हैं।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

अभी आपने कहा कि 4 ट्रैक्टर्स खरीदे गये, तो क्या जिला परिषद् को उनकी स्वीकृति विभाग से मिल चुकी है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

ये ट्रैक्टर्स नहीं हैं। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था ट्रैक्टर्स के बारे में। तो ट्रैक्टर्स तो खरीदे नहीं गये लेकिन ट्रैक्टर्स माउटेंड रोड रौलर्स खरीदे गये हैं, जिसकी मैंने सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष—

इनको आप समझा दें कि ट्रैक्टर्स माउटेंड रोड रोलर्स क्या हैं ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

श्रीमन्, जहां सड़कों पर कार्य चल रहे हैं, वहां के माननीय सदस्य सभी जानते हैं। जब रोड रौलर्स नहीं मिले तो ट्रैक्टर्स में रोड रौलर्स को लगाकर उससे रोड रौलर्स बनाये गये हैं। और उससे सड़कों का काम हो रहा है।

श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

जो रोड रौलर्स खरीदे गये हैं, उनसे कौन-कौन सी सड़कों की पिटाई हो रही है ? ट्रैक्टर्स बेकार पड़े हुए हैं, आप इसकी इन्क्वायरी कर लें ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये रोड रौलर्स काफी उपयोगी काम कर रहे हैं। इस छोटी सी अवधि में जिला परिषद् को 7.8 किलोमीटर सड़क की पिटाई की, ग्रामीण जन शक्ति योजना के अन्तर्गत 20 किलोमीटर सड़क की पिटाई का काम हुआ और त्वरित योजना के अन्दर जो सड़कें ली गयीं, उनमें से 39 किलोमीटर सड़क का सोलिंग हुआ, 22 किलोमीटर का इन्टर कोटिंग तथा 5 किलोमीटर में पिटाई का काम हुआ और 12 किलोमीटर सड़क में सोलिंग हुआ और 69 किलोमीटर सड़क का इन्टरकोटिंग हुआ और 86 किलोमीटर में टौप कोटिंग का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, माननीय सदस्य का यह कहना है कि अगर हमारे माननीय मंत्री जी उन सड़कों के ऊपर एक बार निकल जायं, तो रोड रोलर की जरूरत नहीं रहेगी।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं तो निवेदन करूंगा कि हमको दोनों को इस कार्य के लिये इजाजत दे दी जाय कि हम दोनों जायं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की बात सही मानते हुये यह एन्क्वायरी करायेंगे कि ये रोड-रोलर काम कर रहे हैं कि नहीं ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, मेरी सूचना में तो यही है कि बड़ी तेजी से कार्य हो रहा है लेकिन अगर कोई स्पेसेफिक शिकायत हुई, तो देख लेंगे ।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर में पिछड़ेपन, पानी की कमी और बेरोजगारी को देखते हुये त्वरित योजना के अन्तर्गत कितनी सड़कें ली गयी हैं ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, यह सूचना तो मांगी नहीं गयी थी । लेकिन त्वरित योजना के अन्तर्गत जितनी सड़कें ली गयी हैं वह साढ़े-सतीस लाख रुपये की हैं, जिनकी फेजिंग हो चुकी है । इसके अतिरिक्त लिंक रोड बन रही हैं । इसके अतिरिक्त सूखा-ग्रस्त होने के कारण वहां डी0 सी0 यू0 के अन्तर्गत कार्य हो रहा है । जिसकी तहत में सड़कें बन रही हैं ।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये रोलर कब खरीदे गये और दूसरा प्रश्न है कि इन्होंने कहा कि त्वरित योजना के अन्तर्गत सड़कें ली गयी हैं मिर्जापुर में जिनमें ये रोलर काम करेंगे तो क्या इंदिरा जी द्वारा चालित त्वरित योजना में ये रोड-रोलर चालित किये जायेंगे ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, ये रोलर गत वर्ष में खरीदे गये ।

श्री मैमेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी को पता है कि यह ट्रैक्टर का इस्तेमाल रोलर के रूप में करने का तरीका जो निकाला गया है,वह व्यावहारिक नहीं हो रहा है और जो रोड रोलर के लिये ट्रैक्टर खरीदे गये हैं वे रोलर चढ़ाने के बाद काम नहीं करते हैं, तो क्या इस बात की जांच करावेंगे कि यह स्कीम व्यर्थ साबित हो गयी है । और दूसरा प्रश्न यह है कि जो मिर्जापुर के डी0 एम0 हैं, क्या उन्होंने महज कमीशन के लिये तो नहीं इन ट्रैक्टर्स को खरीद लिया था, जबकि वास्तव में उनकी आवश्यकता नहीं थी ? हमारे बलिया, जिला परिषद् में कह दिया गया है कि ये कारगर नहीं साबित हो रहे हैं ।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, जो रिपोर्ट मिर्जापुर की है, उसमें जिलाधीश की ही रिपोर्ट है । उसमें उन्होंने कहा है कि इनकी उपयोगिता सिद्ध हो गयी है और ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं । लेकिन अगर माननीय सदस्य का यह कहना है कि बलिया में इसी प्रकार से ट्रैक्टर खरीदे गये और वे उपयोगी नहीं हैं तो मान्यवर, यदि इसी प्रकार की और दूसरी जगहों से शिकायतें आईं, तो हम निश्चित रूप से जांच करायेंगे, और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा और अभी तक जो ट्रैक्टर्स-कम-रोड रोलर खरीदे गये हैं, इस सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है कि इसमें धन का दुरुपयोग किया गया है और कमीशन का मामला है ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये जो ट्रैक्टर्स खरीदे गये हैं वह कौन से मेक के हैं और किस कम्पनी से खरीदे गये हैं ? जिस प्रकार से आई० एस० आई० स्टेन्डर्डाइजेशन होता है, क्या उस प्रकार का बुद्धि टेस्ट पास किये हुये हैं ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

यह ओटोमोबाइल एस्कोर्ट कम्पनी, फरीदाबाद से लिये गये हैं।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न के दूसरे हिस्से का उत्तर नहीं मिला। यह जो ट्रैक्टर्स खरीदे गये हैं वह बुद्धि टेस्ट पास किये हुये हैं या नहीं ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। रोड रोलर की एक-आध कन्सर्न हैं गारडेनरीच, कलकत्ता। हमारे प्रदेश में त्वरित योजना के सिलसिले में, लिंक रोड और कैश प्रोग्राम के सिलसिले में हमने उनको आर्डर्स प्लेस किये थे और उनको अग्रिम धन भी दे दिया था, लेकिन बार बार अनुरोध करने पर भी. . .

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, केवल प्रश्न यह पूछा गया है कि बुद्धि टेस्ट पास हैं या नहीं. . .

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

जब तक पूरी स्थिति सदन में स्पष्ट नहीं होगी, तब तक पूरे हालात पर गौर नहीं किया जा सकता, तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था. . .

श्री बलबीर सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न केवल यह पूछा गया है कि यह जो टैक्टर्स खरीदे गये हैं वहां से मंजूर हैं कि नहीं, पास हैं कि नहीं। क्या इस पर लेक्चर दिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

गवर्नमेंट आफ इण्डिया जिस तरह से पास करती है, उस हिसाब से पास हो चुके हैं या नहीं ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मेरे ख्याल में यह जरूर पास होंगे। (शोर)

श्री अध्यक्ष—

क्या आप इसकी इन्क्वायरी करायेंगे।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मैं इन्क्वायरी करा लूंगा, लेकिन मेरी धारणा ऐसी है।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

मान्यवर, स्थिति यह है कि ये ट्रैक्टर्स टेस्ट पास नहीं हैं। सिंचाई विभाग ने भी ये टैक्टर्स खरीदे थे और जो टेस्ट की रिपोर्ट मांगी गई वह अधूरी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पी० डब्लू० डी० और एल० एस० जी० डी० में भी ऐसे टैक्टर्स लिये हैं, लेकिन यह एप्रूव्ड नहीं हैं। तो मैं यह माननीय मंत्री जी यह जानना चाहता हूं कि अगर एप्रूव्ड नहीं है तो उस कम्पनी से लेना बन्द कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, अतः प्रश्न नहीं उठता। यह ट्रैक्टर्स जो लिये जाते हैं वह खेत में चलाने के लिये भी लिये जाते हैं और दूसरे . . .

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, आप क्यों जवाब दे रहे हैं?

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

क्या यह जांच करायेंगे और सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री अध्यक्ष—

मैंने जांच कराने के लिये कह दिया है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न पुकारने पर)

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, आप हम लोगों को समय नहीं देते हैं। इतने महत्व का प्रश्न है और आप आगे बढ़े जा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे जनपद में क्रेश प्रोग्राम के लिये रोड रोलर नहीं दिये जा रहे हैं, तो क्या जिलाधीश के माध्यम से ट्रैक्टर्स देंगे जिससे हम सड़क बनवा सकें?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, इसी प्रश्न का उत्तर देना है या दूसरे प्रश्न का।

श्री अध्यक्ष—

मैंने प्रश्न 2 पुकारा है।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

महत्वपूर्ण सवाल किये जाते हैं तो आप उसका उत्तर नहीं आने देते।

श्री शिवदास—

मैं इस प्रश्न पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा चाहता हूं।

[3 अप्रैल, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

*1—श्री रामगोपाल सण्ड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

प्रदेश में पुनर्जीवित किये गये विकास खंड तथा उन पर होने वाला अनुमानित व्यय

*2—श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने उत्तर प्रदेश में लगभग 200 नये विकास खंडों को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो कब से? इस योजना पर सरकार का कितना धन खर्च होगा?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

जी हां। वर्ष 1965 में विघटित किये गये 197 विकास खण्डों को 2 अक्टूबर, 1972 से पुनर्जीवित कर दिया गया है। इस पर प्रति वर्ष लगभग 54 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

श्री रामगोपाल सण्ड—

दो अक्टूबर को 197 विकास खण्ड चालू कर दिये गये। जब यह 197 विकास खण्ड समाप्त किये गये थे उस समय सहकारिता उद्योग कृषि विभाग के ए0 डी0 ओज0 और कर्मचारी आये थे और उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी थीं। जो नये विकास खण्ड बनाये हैं तो उनमें उन पुराने कर्मचारियों को वापस बुलाया गया है ? और यदि हां, तो क्या संख्या है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

स्थिति यह है।

श्री शिवदास—

मिर्जापुर के ट्रैक्टर के बारे में जो प्रश्न था उस पर मैं नियम 49 में चर्चा की मांग कर रहा हूं। मैं लिखकर भी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं कर सकते।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

पुनर्जीवित विकास खण्डों के लिए इतना स्टाफ है—एक विकास खण्ड अधिकारी, सहायक विकास खंड अधिकारी, एक लिपिक, चपरासी, स्वीपर और चौकीदार। सहायक विकास अधिकारी कृषि तथा सहायक पशु चिकित्सक के पद समाप्त नहीं किये हैं और उनको बुला लिया जायगा।

श्री रामगोपाल सण्ड—

उस समय ए0 डी0 ओज0 काफी संख्या में हटाये गये थे। उनकी सेवाएं भंग कर दी गयी थी। कृषि और सहकारिता विभाग के उन ए0 डी0 ओज0 को बुलाने की कृपा करेंगे और यदि हां, तो कब से ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

जैसा मैंने निवेदन किया अभी इतने ही स्टाफ की व्यवस्था की है। किन्तु यदि आवश्यकता पड़ी और जिनकी सेवायें भंग हो गयी हैं तो उन्हें बुलाने के प्रश्न पर भी विचार करेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि जिस समय यह विकास खंड समाप्त किये गये और अब पुनर्जीवित किये गये तो जो लोग छटनी कर दिये गये थे उन्हें नौकरी में प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

जैसा मैंने निवेदन किया, एक स्टाफ निश्चित कर दिया गया है। उसमें से बहुतों को वापस बुला लिया। ए0 डी0 ओज0 को वापस बुला रहे हैं। जैसे-जैसे स्थिति आयेगी उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और उन लोगों को प्रायरिटी देंगे।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो 197 ब्लाक पुनर्जीवित किये गये हैं उनमें से किन-किन ब्लाकों में अब तक भवन बनाने के लिए सरकारी ढंग से जमीन ले ली है

और कितनों के लिए प्राप्त नहीं हो सकी है ? कब तक इन ब्लाकों के लिए जमीन की व्यवस्था हो जायगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

इनमें से बहुत से ब्लाक हैं जिनके पास अपनी इमारत थी। जिन ब्लाकों में अपनी इमारत नहीं है वहां पर साधनों के अनुसार शीघ्रतिशीघ्र बिल्डिंग्स बन जाएंगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

कितने ब्लाकों के लिए जमीन क्रय करनी बाकी है, यह बतला दें मंत्री जी ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री बलबीर सिंह—

मंत्री जी ने अभी बतलाया कि इसके ऊपर करीब 53 लाख रुपय खर्च होंगे। वे क्या कारण थे जिनकी वजह से ये ब्लाक खत्म किये गये थे और अब क्या परिस्थिति पैदा हो गयी है कि बावजूद इस खर्चे के इन ब्लाकों को पुनर्गठित किया गया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

ये ब्लाक एज ए मेजर आफ इकोनोमी खत्म किये गये थे और इनको इसलिए पुनर्जीवित किया गया है कि अब विकास खंडों में बहुत ज्यादा कार्य आ गया है। ब्लाक अनमैनेजिबिल हो रहे थे और विकास के कार्य में अवरोध आ रहा था। वहां की जनता और उन प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया था कि विकास के कार्य की सफलता के लिए इन विकास खंडों को पुनर्जीवित किया जाये। इसलिए ऐसा किया गया है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार ने यह तय किया है कि इन 197 ब्लाकों में पूरी तौर से कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति न हो और दूसरे ब्लाकों की तरह से यहां भी कम काम हो ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

ऐसा कोई निश्चय नहीं किया गया है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

पूरा स्टाफ क्यों नहीं रखा गया है ? क्या वहां कुछ कम काम कराना है ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

मैंने जैसा निवेदन किया स्टाफ निर्धारित कर दिया है। उसको और सप्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे-जैसे आवश्यकता होगी वैसे-वैसे हम स्टाफ पूरा कर देंगे।

श्री राम गोपाल सण्ड—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पुराने ब्लाकों में कितना स्टाफ है और इनमें कितना ? इन ब्लाकों में पूरा स्टाफ रख कर त्वरित गति से विकास करने में क्या दिक्कत है ? इनके पास स्टाफ कम है तो विकास कैसे होगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

माननीय सदस्य ने पूछा कि कितना स्टाफ है। वह मैंने निवेदन कर दिया जितना कि प्रोविजन किया है। मैंने यह भी निवेदन कर दिया कि हम आवश्यकतानुसार इसमें वृद्धि

करेंगे। इस अक्तूबर से पोस्ट स्टेज के सारे ब्लाक हो जाएंगे जिनकी करीब-करीब एक सी हैसियत होगी और फिर सबका एक सा स्टाफ होगा।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जब विकास खंड खुले थे तो उनका उस समय वार्षिक बजट क्या था और अब कितना है?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

मान्यवर, जब विकास खंड खुले थे तो उस समय उनका व्यय लगभग 1 लाख रुपये था।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह व्यय पहली स्टेज पर 13 लाख था, दूसरी पर 5 लाख था और तीसरी में 10,000 भी व्यय नहीं है, क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी को इस बात का ज्ञान है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो विकास खंड हैं उनका क्षेत्रफल बहुत लम्बा चौड़ा है और इस बात को देखते हुये कि ब्लाक हेडक्वाटर्स पर पहुंचने में 40 मील चलना पड़ता है, नये विकास खंड खोलने की कृपा करेंगे?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

मान्यवर, यह प्रश्न तो दूसरा है, लेकिन अगर आवश्यकता होगी तो इस पर विचार अवश्य किया जावेगा।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

मंत्री जी ने कहा कि विकास की गति अवरुद्ध हो गयी थी इसलिये 197 ब्लाकों को पुनर्जीवित किया गया तो इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्र में 200 ग्राम सभाओं तक के ब्लाक हैं, वहां आवागमन के भी साधन नहीं हैं, तो क्या वहां के ब्लाकों की संख्या बढ़ाने की कृपा करेंगे?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

मान्यवर, साधनों की उपलब्धता और आवश्यकता का समन्वय करके विचार इस प्रश्न पर किया जावेगा।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

जब 197 ब्लाकों को पुनर्जीवित किया गया है तो जो स्टाफ पहले थे बी0 डी0 ओ0 और ए0 डी0 ओ0 वगैरह उनको न रख कर नया स्टाफ रखा जा रहा है। इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है और कमिश्नर को यह पावर दे दी गई है तो कमिश्नर किन नियमों के अन्तर्गत ऐसा कर रहे हैं?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

मैंने आपसे निवेदन किया था कि कार्य को आधार मान कर और उस निश्चित फारमूले के आधार पर हमने स्टाफ की नियुक्ति की है। इसमें अगर कहीं कोई बदगुमानी कमिश्नर ने की है तो उसकी इत्तला नहीं है। अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक बात बतलायेंगे तो हम जांच करा लेंगे और यदि वह सही होगी तो सजा दी जावेगी।

श्री राजमंगल पांडेय—

इन्होंने केवल कार्य क्षमता को आधार माना है। ऐसा कोई नियम नहीं है। सीनियारिटी और कार्यक्षमता दोनों के अनुसार चुनाव होता है। क्या कार्यक्षमता को ही न मानकर सीनियारिटी के आधार पर चुनाव करायेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

श्रीमन्, कार्यक्षमता और सीनिआरिटी का तो हर विभाग में नियम प्रचलित है।

श्री राम किशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

जब यह मांग की गई थी कि विकास खंड खोल दिये जायं, तो उसी के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि इनके क्षेत्र ठीक नहीं हैं, तो क्या इनको पुनर्गठित किया जावेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

फिर से कह दें।

श्री राम किशोर शुक्ल—

विकास खंड जब पुनर्जीवित हुये हैं तो उस समय यह मांग की गई थी कि बहुत से गांव केन्द्र से दूर पड़ते हैं तो उनका पुनर्गठन किया जाय, तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इनके क्षेत्र पुनः पुनर्गठित किये जायेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

यह फैसला किया है कि जहां पर आवश्यकता होगी तो वहां पर उन क्षेत्रों को पुनर्गठित भी किया जायगा विकास खंडों के।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, यह जो आज एक एम० एल० ए० की कांस्टीट्युंसी में दो आधे ब्लाक हैं, 3 आधे ब्लाक हैं इससे बड़ी दिक्कत होती है तो क्या डिलिमिटेशन कमिश्नर को सुझाव देंगे कि ब्लाकों का डिलिमिटेशन ठीक तरह से कांस्टीट्युसी के हिसाब से कर दिया जाय ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

इसका कोई विचार नहीं है।

*3—श्री नेतराम सिंह—

(छठे सोमवार में ता० प्र० सं० 37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

बिल्थरा रोड तथा चितबड़ा ग्राम मंडी समिति, बलिया का आय-व्यय

*4—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिला में बिल्थरा रोड और चितबड़ा गांव कृषि उत्पादन मंडी समिति में वर्ष 1970–71 में कितनी-कितनी आय किन-किन मदों से हुई और व्यय किन-किन कार्यों पर कितना-कितना किया और इन समितियों का लाभांश प्रति वर्ष अलग-अलग क्या रहा ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)—

बलिया जिले की बिल्थरा रोड तथा चितबड़ा गांव मण्डी समितियों की वर्ष 1970–71 की आय तथा व्यय के विवरण संलग्न तालिका 'क' तथा 'ख' में अंकित है। चितबड़ा गांव मंडी समिति का प्रासंगिक वर्ष में लाभांश रु० 21,106.18 रहा। बिल्थरा रोड मण्डी समिति का लाभांश रु० 2,663.42 रहा।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 486 पर)

*5—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार को यह मालूम है कि उक्त मंडियों के क्षेत्र के अन्तर्गत अब भी धर्मादा व्यापारी किसानों से वसूल करते हैं ? क्या सरकार इसकी जांच उच्च स्तरीय ढंग से कराकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इन मंडियों में व्यापारियों द्वारा धर्मादा की कटौती करने के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पूछे गये प्रश्न के आधार पर इस मामले की जांच कराने के पश्चात ज्ञात हुआ कि उपर्युक्त मण्डियों के क्षेत्र के अन्तर्गत विनियमन के बाद व्यापारी किसानों से धर्मादा नहीं वसूल करते हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी अपनी संलग्न सूची 'क' और 'ख' को देखते हुए स्पष्ट करेंगे कि बेलथरा रोड मंडी समिति से वहां आमदनी 16 हजार रुपये के करीब आयी वहां इस स्थान पर खर्चा है साढ़े बाइस हजार का और चितबड़ा गांव से दूनी आमदनी है 34 हजार से ऊपर की और वहां खर्चा इसका आधा ही आया, तो बेलथरा रोड में इतना खर्चा होने के कारण क्या हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

अधिष्ठान का खर्चा बड़ा है क्योंकि वहां ज्यादा अधिकारी हैं और यहां पर आमदनी ज्यादा हैं, अधिकारी-कर्मचारी कम हैं इसलिए खर्चा कम है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

अधिकारी वहीं ज्यादा होते हैं जहां काम अधिक होता है, तो काम तो चितबड़ा गांव में अधिक हुआ, क्योंकि शुल्क प्राप्त करने का काम ही सबसे बड़ा काम होता है और बेलथरा रोड में 6 हजार रुपया अनुदान न दिये होते तो 5 हजार का घाटा था। तो अधिष्ठान पर खर्चा दूना हुआ उसको भी आपने अवलोकन किया कि उसका क्या औचित्य है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

लाभ तो होता है इस पर कि कितना माल आता किस मंडी में। अगर क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, व्यापारी तो हैं लेकिन माल कम आता है तो कम लाभ होगा बावजूद इसके कि खर्चा ज्यादा हो और छोटे एरिया में माल ज्यादा आता है, मेंटिनेंस पर कम खर्चा होता है लेकिन शुल्क ज्यादा मिलेगा, लाभ ज्यादा हो जायगा।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीग)—

आपने बताया कि मंडियों को घाटा इसलिए रहा कि गल्ला ज्यादा नहीं आया और इससे किसान को भी लाभ जितना पहुंचना चाहिए था वह इससे नहीं पहुंचा, तो अब जो गल्ला आयेगा वह सेंटर पर जायगा, मंडियों पर नहीं जायगा और किसानो पर ड्यूटी लगायेंगे तो क्या मंडियों को जो घाटा होगा उसकी पूर्ति करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

घाटे की पूर्ति का सवाल नहीं है। जितना माल आयेगा उसके मुताबिक शुल्क वसूल किया जायगा।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मंडियों में कितने रुपये की आय हुई और कितना व्यय हुआ ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

बिलथरा में मान्यवर, 31,069 रुपये 82 पैसे की आय हुई और 28,406.40 रु0 खर्च हुये। चितबड़ा गांव में आय हुई 38,299.13 रुपये की और व्यय हुआ 17,199.65 रु0।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)---

क्या मंत्री जी को इस बात की भी जानकारी है कि अन्य मंडियों में भी एक किलो फी बोरा के स्थान पर अब डेढ़ किलो फी बोरा के हिसाब से धर्मादा काटा जाता है और क्या किसानों को इन मंडियों के बारे में पूरी जानकारी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

शासन का यह आदेश है कि कहीं भी धर्मादा न काटा जाय। अगर माननीय सदस्य किसी मंडी के बारे में सूचना देंगे जहां धर्मादा काटा जाता है, तो उसकी जांच करा ली जायगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या माननीय मंत्री जी इन दोनों गांवों में किसी उच्चाधिकारी को भेज कर जांच करवायेंगे कि वहां धर्मादा लिया जाता है या नहीं ? मेरी सूचना है कि लिया जाता है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

इस सम्बन्ध में जांच करायी गयी थी और माननीय सदस्य को भी सूचित किया गया था 13-4-72 को कि वे भी उस जांच के समय उपस्थित रहें। फिर 27-4-72 को एक तार द्वारा भी इसी की सूचना उनको दी गयी किन्तु वे उपलब्ध न हो सके। अब आप फिर से जांच करवाने के लिये कह रहे हैं, तो पुनः जांच करवा लेंगे।

श्री हिम्मत सिंह---

बिलथरा गांव में जो खर्च आपने बताया है वह किन-किन मदों में हुआ है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

अधिष्ठान में 22,550.62 रुपये। आकस्मिकतायें---332.00 रुपये। यात्रा भत्ता 1,918.32 रुपये। आकस्मिक---(1) नियत 1,212.08 रुपये। (2) अनियत (आवर्ती)-725.[illegible] रुपये, (अनावर्ती)--61.05 रुपये। विशेष आकस्मिक-मूल ब्याज एवं अग्रिम में 1,607.00 रुपये।

पशु चिकित्साधिकारी, नौतनवां, गोरखपुर का स्थानान्तरण

*6---श्री नेतराम सिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मवेशी अस्पताल, नौतनवां, जिला गोरखपुर के डाक्टर, माह अगस्त सन् 1972 में कौन थे और क्या उनका स्थानान्तरण हो गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस वर्ष 5 अस्पतालों से उनका स्थानान्तरण हो चुका है ? ऐसा होने का क्या कारण है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामलखन)---

अगस्त, 1972 में नौतनवां, जिला गोरखपुर में पशु चिकित्सा अधिकारी श्री घनश्याम कुंवर थे और उनका स्थानान्तरण भड़ पर्यवेक्षक, गोरखपुर के पद पर हो चुका है। यह सही नहीं है कि श्री घनश्याम कुंवर का स्थानान्तरण 5 अस्पतालों से हुआ है। इनका स्थानान्तरण नौतनवां से भड़ पर्यवेक्षक, गोरखपुर के पद पर ही हुआ है। इससे पहले तीन अन्य स्थानों के लिए स्थानान्तरण के आदेश हुए थे लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हुए। पशु चिकित्साधिकारी

नौतनवां गोरखपुर के पद पर 27-9-70 से ही वह कार्यरत थे और इस प्रकार उन्हें इस पद पर 2 साल भी नहीं हुए थे, फिर उनकी कुछ पारिवारिक कठिनाइयां थीं जिन पर विचार कर के उनके पहले के तीन स्थानान्तरण के आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया गया।

*7-8--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बी० डी० ओ०, रुधौली, जिला बस्ती के दौरे

*9--श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 डी0 ओ0, रुधौली, जिला बस्ती ने अप्रैल, 1972 से जुलाई, 1972 तक कितना-कितना क्षेत्र में दौरा किया और किन तारीखों में ? इसके लिये प्रमुख क्षेत्र समिति ने स्वीकृति की है या नहीं ? यदि नहीं तो बी0 डी0 ओ0 ने यह दौरे किस आधार पर किए और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

बी0 डी0 ओ0, रुधौली द्वारा अप्रैल, 72 से जुलाई, 72 तक किये गये दौरे का विवरण संलग्न है।

बी0 डी0 ओ0, रुधौली अप्रैल, 72 से प्रमुख के यहां अपने दौरे का कार्यक्रम नियमित रूप से प्रत्येक मास के आरम्भ में स्वीकृति हेतु भेजते रहे किन्तु प्रमुख जी ने स्वीकृति के पश्चात् एक भी कार्यक्रम नहीं लौटाया। प्रमुख की स्वीकृति की प्रत्याशा में और राजकीय कार्यों के हित में बी0 डी0 ओ0 ने अपने कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्र में दौरा किया किन्तु स्वीकृति के अभाव में अभी तक यात्रा बिल प्रस्तुत नहीं किया है।

श्री सुपपाल पाण्डेय--

क्या माननीय सामुदायिक विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बी0 डी0 ओ0 ने ब्लाक प्रमुख के यहां किन-किन तारीखों में प्रोग्राम स्वीकृत होने के लिये भेजे ? वे डाक से भेजे या डाक-बही पर चढ़ा कर भेजे ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

मेरे पास तो सूचना है कि विभिन्न महीनों में स्वीकृति के लिये प्रोग्राम भेजे गये थे। किस तारीख को भेजे और कैसे भेजे, इसकी सूचना नहीं है।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या यह सही है कि प्रमुख ने लिखित शिकायत जिलाधीश, सामुदायिक विकास मंत्री और आयुक्त को भेजी है कि दौरे पर जाने के पूर्व कोई प्रोग्राम उन्होंने मेरे पास नहीं भेजा है, न कभी मुझ से कोई स्वीकृति ली है ? तो उन्होंने कब-कब शिकायत किया है ? वे पत्र आपके पास उपलब्ध हैं या नहीं ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

मेरे पास उनके कोई शिकायती-पत्र उपलब्ध नहीं हैं।

---

* छापा नहीं गया।

श्री पारसनाथ सिंह--

ब्लाक प्रमख लोग जो दौरा करते हैं, उसकी एक कापी बी0 डी0 ओ0 के पास भेजी जाती है उनके प्रोग्राम की, जिसका परिणाम यह होता है कि स्टाफ के लोग सतर्क हो जाते हैं और उन्हें सही पोजीशन नहीं पता चल पाती है, अतः क्या मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि प्रमुख अपने दौरे का प्रोग्राम बिना बी0 डी0 ओ0 को भेजे ही किसी स्थान का निरीक्षण कर सकें ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

मान्यवर, यह तो दूसरा प्रश्न है। यह प्रश्न तो बी0 डी0 ओ0 के दौरे के बारे में था और माननीय सदस्य प्रमुख के दौरे पर सवाल उठा रहे हैं।

श्री पारसनाथ सिंह--

क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि प्रमुख बिना बी0 डी0 ओ0 के प्रोग्राम भेजे दौरा कर सकें ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

हम प्रत्येक ऐसी व्यवस्था करेंगे, जो सन्तोषप्रद हो।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनकी जांच के बाद संबंधित प्रमुख जी से मालूमात की गई है या नहीं ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

इसकी कोई सूचना नहीं है। लेकिन मैं सदन को इतना बतला देना चाहता हूं कि मैं पूरे मामले को दिखवा रहा हूं, जांच करवा रहा हूं ?

श्री रामकरन सिंह--

क्या मंत्री जी को स्मरण है कि ऐसा पहले भी हो चुका है और ब्लाक प्रमुख की शिकायतें उनके पास पहुंच चुकी हैं ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया, इस संबंध में कोई शिकायत नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। यदि देंगे तो हम जांच करा लेंगे।

श्री रामकिशोर शुक्ल--

इसमें अप्रैल से जुलाई तक का समय है, यदि अप्रैल के दौरे का प्रोग्राम या उसके बाद का प्रोग्राम बी0 डी0 ओ0 ने प्रमुख को नहीं भेजा तो प्रमुख ने क्या ए0 डी0 एम0 (पी0) से कोई शिकायत की कि वह बिना स्वीकृति के ही दौरा कर रहे हैं, उन्होंने स्वीकृति नहीं दी है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

उन्होंने स्वीकृति नहीं दी, उनकी स्वीकृति की प्रत्याशा में वह गये। मेरी ऐसी सूचना है कि उसके पहले भी वैसा होता आया है कि उनकी स्वीकृति की प्रत्याशा में चले गये हैं और बाद में सबकी स्वीकृति प्रमुख ने प्रदान की है। लेकिन फिर भी मान्यवर, मैं सारे मामले की जांच करा रहा हूं कि यह परिस्थिति कैसे पैदा हुई।

श्री सुखपाल पांडेय---

मंत्री जी को स्मरण हो कि इसी संबंध में इसी सदन में वह पहले कह चुके हैं कि उनकी शिकायतें आई हैं, किन्तु आज कह रहे हैं कि कोई शिकायत नहीं है। यह मेरी सूचना है, इसके संबंध में वे सदन में जवाब दे चुके हैं। यह तो विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है।

सहकारी समिति, नगला राई (मुजफ्फरनगर) के खजांची द्वारा उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन से उधार ली गयी खाद

*10---श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कोआपरेटिव सोसाइटी, नगला राई ब्लाक, कैराना, जनपद मुजफ्फरनगर के खजांची ने सोसाइटी के नाम से जिला कोआपरेटिव फेडरेशन से कितनी मालियत का खाद कर्ज ले रखा है और कब से ले रखा है और ब्याज सहित यह रकम अब कितनी हो गई है, इस रकम में से अब तक कितनी वसूलयाबी हुई है? यदि अब तक नहीं तो सरकार यह रुपया वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)---

प्रश्नगत साधन सहकारी समिति के खजांची ने समिति के नाम से जिला सहकारी फेडरेशन से नहीं वरन् उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन की मुजफ्फरनगर शाखा से नवम्बर 10, 1967 से 37,796.55 रुपया ब्याज मुक्त की खाद कर्ज ली थी। उक्त धनराशि में से कुल 16,163.81 रु० वापस हुआ है, शेष 21,632.74 रु० समिति के जिम्मे बकाया है। वसूलयाबी के लिये फेडरेशन की मुजफ्फरनगर शाखा ने समिति को 6-9-72 को रजिस्टर्ड नोटिस दिया तथा अपने मुख्यालय को 20-10-72 को सोसाइटी पर मध्यस्थ निर्णय लेने के लिये लिखा।

बरेली दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड बरेली में कथित गबन

*11---श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या सहकारिता मंत्री को पता है कि 20 लाख रुपये की लागत से चालू दुग्ध उत्पादन संघ, बरगैना, जिला बरेली पिछले 13 महीनों से बंद है और 20 लाख रुपये शत प्रतिशत गबन हो गया है? यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी कौन है और इस संबंध में सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

बरेली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, बरेली का व्यवसाय दिनांक 26-2-72 से बन्द है। कथित गबन होने की सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

इस संघ के समस्त मामलों में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 65 के अन्तर्गत जांच की जा रही है और तत्पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

तिलहर, जिला शाहजहांपुर में न्याय पंचों के चयन हेतु गठित समिति के लिये मनोनीत सदस्य के विरुद्ध शिकायत

*12---श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या सरकार को पता है कि शाहजहांपुर के 63 विधान सभा क्षेत्र में जांच कमेटी में न्याय पंचायत के पंचों को चयन करने हेतु कौन व्यक्ति सरकार द्वारा मनोनीत किया गया और क्या वह शराब का ठेकेदार तथा बकायादार भी है और उस पर अनेक मुकदमें फौजदारी के चल चुके हैं और क्या इस संबंध में मुख्य सचेतक, कांग्रेस संगठन दल ने एक पत्र तुरन्त कार्यवाही हेतु सितम्बर के आखिरी सप्ताह में मुख्य मंत्री को लिखा और उसकी प्रतिलिपि सामुदायिक विकास मंत्री को भेजी? यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

नोट :---तारांकित प्रश्न 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

शाहजहांपुर के 63 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तिलहर में न्याय पंचायत के पंचों के चयन हेतु परामर्श समिति की सदस्यता के लिये शासन द्वारा श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, ग्राम डमौरा, डाकघर सरसवां को मनोनीत किया गया था। इस मनोनयन के विरुद्ध मुख्य सचेतक, कांग्रेस संगठन दल का एक पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिस पर जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई थी। यह सूचना मिलने पर कि श्री सुरेन्द्रपाल सिंह वर्ष 1969-70 में शराब के ठेकेदार थे और बकायादार हैं और उन पर धारा 148/307/302 भा0 दं0 वि0 के अधीन मुकदमें चल चुके हैं, उनका मनोनयन शासन द्वारा रद्द कर दिया गया है।

*13--श्री मोहम्मद असरार अहमद--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

कृषि फार्म, पन्तनगर विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित बाजरे के बीज से फसल को क्षति

*14--श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि नं0 4 बाजरा बीज बोने के कारण जो पंतनगर विश्वविद्यालय कृषि फार्म द्वारा प्रमाणित था, प्रदेश के किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ी है? इस बीज से उगे हुये पौधे कुछ ही दिनों में पीले पड़ गये तथा समस्त फसल चौपट हो गई? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम लखन--

पन्त नगर विश्वविद्यालय कृषि फार्म द्वारा प्रमाणित नं0-4 बाजरा का बीज कृषि विभाग द्वारा वर्ष 1972 में कृषकों में नहीं बांटा गया। अतः ऐसे बीज में बीमारी लगने की सूचना कृषि विभाग को नहीं है।

*15--श्री कल्याण सिंह--

[छठवें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पर्वतीय क्षेत्र के लिये सहकारी योजनायें

*16--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सहकारिता के आधार पर पर्वतीय क्षेत्र के लिये कोई विशेष योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मुख्य सहूलियतें हैं जिससे पिछड़े हुए पर्वतीय भू-भाग में सहकारिता के आधार पर गरीबी हटाई जा सके?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये 7 जनपदों में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परियोजनायें बनाई गई हैं। इनके अन्तर्गत स्थायी ऋण समितियों का गठन, समितियों में सदस्यता की वृद्धि, सदस्य को ऋण वितरण, सहकारी बैंकों की शाखाओं का खोला जाना, गोदामों एवं शीत गृहों का निर्माण, प्रकीर्ण इकाइयों एवं संगृहण केन्द्रों की स्थापना, खाद मिक्सचर इकाइयों तथा उपभोक्ता भण्डारों की स्थापना करना और जड़ी-बूटी विकास योजना तथा दुग्ध संघों और समितियों आदि के गठन करने आदि से संबंधित योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन से उत्पादन के साधनों में वृद्धि होगी जिससे उत्पादन एवं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

उप निदेशक, पशुपालन कुमायूं मण्डल के कार्यालय का गढ़वाल मडण्ल में स्थानान्तरण आदेश

*17—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मंडल का पशुपालन उप-निदेशक का कार्यालय अभी भी (28-11-72 तक) नैनीताल में ही स्थित है जबकि इस कार्यालय को पौड़ी (गढ़वाल) में स्थानान्तरित करने के आदेश किये गये हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार के विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री रामलखन—

जी हां। उप निदेशक, पशुपालन कुमायूं मंडल के कार्यालय को गढ़वाल मंडल में स्थानान्तरित करने के आदेश गत सितम्बर, 1972 में जारी किये गये थे किन्तु नैनीताल के स्थानीय लोगों के अनुरोध पर इन आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया गया। अपितु, गढ़वाल मंडल के लिये एक पृथक् उप निदेशक, पशुपालन के पद को सृजित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और आशा है कि शीघ्र ही गढ़वाल मंडल के लिये एक पृथक् उप निदेशक के कार्यालय की स्थापना हो जायेगी।

*13—श्री मोहनलाल कपूर—

[8वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर, को आवंटित धन का उपयोग

*19—श्री मोहनलाल कपूर तथा श्री राम निहोर राय—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के विकास क्षेत्र जगदीशपुर में वर्ष 1971-72 में पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत कितना धन दिया गया तथा संबंधित अधिकारियों ने उसे किस-किस मद में व्यय किया ? क्या यह सच है कि उक्त धन का दुरुपयोग किया गया ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वर्ष 1971-72 में विकास खंड, जगदीशपुर के अन्तर्गत पौष्टिक आहार योजना के मद में कुल 33,600.00 रु0 का आवंटन हुआ था जिसमें से 33599.40 पै0 निम्नांकित मदों पर व्यय हुआ था तथा रु0 0.60 पै0 अवशेष रहा।

मद का नाम	आवंटित धनराशि		व्यय धनराशि		अवशेष	
	रु0	पै0	रु0	पै0	रु0	पै0
1—स्कूल वाटिका ..	19,600.00		19,599.85		0.15	
2—कुक्कुट इकाइयों की स्थापना ..	9,000.00		8,999.55		0.45	
3—सहयोगी संगठनों की साज-सज्जा ..	5,000.00		5,000.00		..	
योग ..	33,600.00		33,599.40		0.60	

उपरोक्त व्यय के अन्तर्गत कोई अनियमितता या धन का दुरुपयोग नहीं हुआ है।

*20—श्री रामनिहोर राय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

गोरखपुर में लिंक रोड्स की निर्माण योजना

*21—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर में कौन कौन सड़कें लिंक रोड म इस वर्ष ली गई हैं ? क्या इसमें झंगहा-बरही-बिशुनपुरा होते गजपुर सड़क भी है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब होगा ? यदि नहीं तो क्या इसे आगामी वित्तीय वर्ष में लेकर बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

लिंक रोड स योजना के अन्तर्गत जिन सड़कों को लिया गया है उनकी सूची संलग्न हैं। उक्त सड़कों में झंगहा–बरही–बिशुनपुरा–गजपुर सड़क नहीं है। उक्त सड़क को निर्माण के लिये परिषद् के पास कोई स्वीकृत योजना नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 488 पर)

गोरखपुर में पशु चिकित्सालय खोलने की योजना

*22—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं और इनकी कमी को देखते हुये सरकार द्वारा कुछ और पशु चिकिसालय खोलने का प्रबन्ध किया जायगा ? यदि हां, तो क्या इस सूची में निर्वाचन क्षेत्र झंगहा के ग्राम बिशुनपुरा, डुमरी, गजाई कोल, बोहाबार का भी नाम है ? यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

श्री राम लखन—

प्रश्नगत स्थानों पर पशु चिकित्सालय खोलने पर आगामी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचार कर लिया जायगा। जब सारे राज्य की सम्पूर्ण स्थिति का अध्ययन करके यह तय किया जायगा कि किन स्थानों पर पशु चिकित्सालय खोले जायं।

जिला नियोजन अधिकारी, अलीगढ़ के विरुद्ध श्री कल्याण सिंह, सदस्य विधान सभा का ज्ञापन

*23—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला नियोजन अधिकारी, अलीगढ़ के विरुद्ध गबन व सार्वजनिक धन के दुरुपयोग एवं नियोजन विभाग, अलीगढ़ के भंडार में वार्षिक सत्यापन न किये जाने के गंभीर आरोपों से युक्त प्रश्नकर्ता का दिनांक 5–8–71 को कोई ज्ञापन सरकार को मिला है ? यदि हां, तो उपरोक्त आरोपों की जांच का कार्य किसको सौंपा गया और जांच का परिणाम क्या रहा तथा सरकार ने इस संबंध में किस-किस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। यह ज्ञापन जिला नियोजन अधिकारी, अलीगढ़ के विरुद्ध नहीं था बल्कि यह श्री आर० एस० लाल, अतिरिक्त जिला नियोजन अधिकारी, अलीगढ़ के विरुद्ध दिया गया था। ज्ञापन में अंकित आरोपों की जांच पहिले श्री अनन्त राम, अतिरिक्त जिलाधिकारी (ग्राम्य) तथा बाद में श्री वी० एन० माथुर, अतिरिक्त जिलाधिकारी (नगर) के सुपुर्द किया गया। जांच में श्री आर० एस० लाल के विरुद्ध कोई ठोस तथ्य नहीं पाये गये। अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त श्री दर्शन देव खत्री, अधिष्ठान लिपिक के विरुद्ध देर से कार्यालय आने तथा लाल चिन्ह पर दस्तखत करने के आरोप सिद्ध पाये गये जिसके लिये जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान अतिरिक्त जिला नियोजन अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं। इनको इस अनियमितता के सम्बन्ध में भी उत्तरदायी ठहराया गया है कि उन्होंने 63 काश्तकारों के नाम फीस ले लेने के पश्चात् भी पंजीकृत नहीं किये। जिलाधिकारी ने इसके लिये उन्हें गंभीर चेतावनी दे दी है।

भंडार के सत्यापन के कार्य 1970-71 तक कर लिया गया था परन्तु विघटित विकास खंडों से प्राप्त सामान बन्द थे और स्टाक रजिस्टर के उपलब्ध न होने के कारण सत्यापन नहीं हो पाया था, जिलाधिकारी ने किसी अधिकारी के समक्ष इसे खुलवा कर सत्यापन करने के आदेश दे दिये हैं।

जिला जौनपुर में त्वरित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें

*24—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि त्वरित योजना के अन्तर्गत जौनपुर जनपद में कौन-कौन सी सड़कें कितने-कितने कि0 मी0 स्वीकृत हुईं तथा अब तक कितनी प्रगति हुई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जौनपुर जनपद में त्वरित योजना के अन्तर्गत 92.80 कि0 मी0 लम्बी 22 सड़कें स्वीकृत हैं। प्रत्येक सड़क की लम्बाई तथा 31 जनवरी, 1973 तक की प्रगति का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 489 पर)

*25—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य तथा श्री चन्द्रभान शर्मा—

[छठे सोमवार में ता0 प्र0 सं0 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*26—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, बुलन्दशहर के उर्वरक बिक्रेताओं का मांग-पत्र

*27—श्री हिम्मत सिंह, श्री कल्याण सिंह, श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद), श्री सियाराम (जिला एटा) तथा श्री रामबचन (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 10-1-72 को श्री जे0 डी0 शुक्ला, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लि0 लखनऊ को जनपद बुलन्दशहर के एग्रो में एक उर्वरक विक्रेताओं ने कोई मांगपत्र दिया था ? यदि हां, तो वह क्या है और क्या यह सच है कि उपरोक्त कथित डीलर्स एसोसियेशन के पदाधिकारियों के लाइसेंस का नवीनीकरण विभाग द्वारा रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम लखन—

जी हां।

प्राप्त मांग पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। डीलर्स एसोसियेशन अथवा उसके पदाधिकारियों के नाम से न तो कभी लाइसेन्स दिया गया और न उसका नवीनीकरण रोका गया।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 492 पर)

*28—श्रीमती प्यारी देवी—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

प्रधान, ग्राम सभा, शेखपुर गेंदपुर (बुलन्दशहर) द्वारा ग्राम सभा की सम्पत्ति का दुरुपयोग

*29—श्री वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री शमीम आलम तथा श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम शेखपुर गेंदपुर ब्लाक व तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के प्रधान के विरुद्ध ग्राम सभा की चल व अचल संपत्ति खुर्द-बुर्द करने तथा उसका रुपया गबन करने इत्यादि के आरोप हैं जो क्षेत्र अधिकारी सिकन्दराबाद को जुलाई, 1972 में प्रार्थना-पत्र द्वारा दिये हैं परन्तु संबंधित अधिकारी ग्राम सभा के कागजात मंगाने में असमर्थ हैं ? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही में क्या हो रहा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां ।

ग्राम सभा शेखपुर गेंदपुर ब्लाक, तहसील सिकन्दराबाद के प्रधान के विरुद्ध धन तथा भूमि के दुरुपयोग का शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 12 जून, 1972 को परगनाधिकारी के न्यायालय में दिया गया था जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा जांच कराई गई, प्रधान ने नायब तहसीलदार के सम्मुख गांव सभा के कागजात दाखिल कर दिये हैं । प्रधान के विरुद्ध यह आरोप सही पाया गया कि उन्होंने भूमि के पट्टे अपने लड़के के नाम दिये थे इन पट्टों को खारिज करने की कार्यवाही की जा रही है और पट्टे दारान को नोटिस दिया गया है ।

*30—श्री मंजूर अहमद—

[छठे सोमवार में ता0 प्र0 सं0 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उद्यान विकास अधिकारी, वाराणसी के विरुद्ध जांच

*31—श्री महावीर सिंह चौहान (जिला अलीगढ़), श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री महेन्द्र सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान विकास अधिकारी, वाराणसी के भ्रष्टाचार की जांच हेतु उप निदेशक, इलाहाबाद मण्डल तथा विभागीय आडिट सेल माह सितम्बर, 1972 में वाराणसी गये थे ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री राम लखन—

उद्यान विकास अधिकारी, वाराणसी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अरोपों की जांच के लिये उप-निदेशक उद्यान, इलाहाबाद तथा विभागीय लेखा टोली मास सितम्बर तथा अक्तूबर, 1972 में क्रमशः जांच हेतु गये थे । उद्यान विकास अधिकारी, वाराणसी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों में से केवल उद्यान के गोदाम में रहने के आरोप को छोड़कर अन्य सभी आरोप निराधार पाये गये । अतः उद्यान अधिकारी से किराया की वसूली करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

*32—श्री महरम सिंह तथा श्री बिहारी लाल—

[छठे सोमवार में ता0 प्र0 सं0 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

भाटपार रानी ब्लाक (देवरिया) के अन्तर्गत साधन सहकारी समितियों के बकाये की वसूली

*33—कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया, ब्लाक भाटपार रानी के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति भिगारी बाजार, कुकुरघाटी, सरया तथा सोहनपुर में क्रमशः 1.75 लाख, 1.30 लाख, 1.50 लाख एवं 80 हजार रुपये बकाया गत दो सालों से है तथा इसकी वसूली नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो उक्त साधन सहकारी समितियों के सरपंचों, खजांचियों एवं एकाउन्टेंटों के खिलाफ अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जिला देवरिया, ब्लाक भाटपाररानी के अन्तर्गत केवल साधन सहकारी समिति भिगारी बाजार, ककुरघाटी एवं सरया हैं, साधन सहकारी समिति सोहनपुर ब्लाक बनकटा में है। इन समितियों में गत दो वर्षों में बकाया ऋण क्रमशः 1.75 लाख, 1.30 लाख, 1.50 लाख एवं 80 हजार न होकर निम्न प्रकार है:—

	बकाया 1-7-71 को	बकाया 1-7-72 को	बकाया 28-2-73 को
1—भिगारी बाजार	31,828.14	56,546.77	48,546.77
2—कुकुरघाटी ..	1,13,706.39	53,095.35	49,095.35
3—सरया ..	1,20,035.72	35,754.42	30,729.42
4—सोहनपुर ..	74,719.60	25,614.98	22,614.98

इस बकाये की धनराशि की वसूली हो रही है। वसूली की गति मन्द है। वसूली में प्रगति लाने हेतु इन समितियों के सरपंचों, खजांचियों एवं एकाउन्टेन्टों को बराबर ज्ञापन दिये जा रहे हैं। वसूली के प्रयास जारी हैं।

*34—श्री त्रिवेणी सहाय—

[छठे सोमवार में ता0 प्र0 सं0 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*35—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

[8वें गुरुवार में प्र0 सं0 59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विकास खण्ड, सिधौली (जिला सीतापुर) में बोरिंग के अग्रिम धन को खजाने में जमा न करने की शिकायत

*36—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के विकास खंड सिधौली के कुछ काश्तकारों ने ब्लाक के माध्यम से एक दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 1971 के मध्य बोरिंग कराया था तथा बोरिंग के लिये विधिवत् 250.00रु0 प्रति बोरिंग के हिसाब से अग्रिम धनराशि जमा कराई गई थी ? परन्तु विकास खंड से संबंधित अधिकारियों ने उस रुपये को खजाने में जमा नहीं किया? यदि हां, तो खजाने में रुपया जमा न करने का क्या कारण है तथा इस दरम्यान में किन-किन काश्तकारों ने ब्लाक के मायध्म से बोरिंग कराई ?

श्री राम लखन—

जनपद सीतापुर के विकास खंड सिधौली के 2 कृषकों ने ब्लाक के माध्यम से एक दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 1971 के मध्य बोरिंग कराई थी। एक कृषक की बोरिंग 11 दिसम्बर, 1971 से 25 दिसम्बर, 1971 तक हुई जिसके लिये कृषक ने दिनांक 25 मार्च, 1971 को 250 रुपया बोरिंग हेतु विकास खंड कार्यालय में रसीद संख्या 26/83311 के द्वारा जमा किया था। उक्त धनराशि खजाने में जमा नहीं की गई है। दूसरे कृषक की बोरिंग 13 दिसम्बर, 1971 से 29 दिसम्बर, 1971 तक की गई। इनके द्वारा जमा की गई 250 रु0 की धनराशि ब्लाक के लेखा में विधिवत् रूप में जमा नहीं की गई थी परन्तु उपर्युक्त धनराशि मई, 1972 के अन्त में कैश बुक के अवशेष विवरण में दर्शायी गई है।

*37—श्री रामलाल राही—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि विकास खंड सिधौली के काश्तकारों का संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार रुपया न जमा करने की शिकायत आयुक्त मण्डल, लखनऊ एवं विभागीय मंत्री को प्रश्नकर्ता तथा संबंधित ब्लाक प्रमुख द्वारा माह नवम्बर व दिसम्बर, 1972 में की गई ? यदि हां तो अब तक इस संबंध में कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री रामलखन—

विकास खंड, सिधौली के कृषकों का संबंधित अधिकारियों द्वारा रुपया न जमा करने की शिकायत, आयुक्त, लखनऊ मंडल व विभागीय मंत्री जी को ब्लाक प्रमुख द्वारा माह नवम्बर, 1972 में की गई थी। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 1972 में अतिरिक्त जिलाधिकारी (नि0) सीतापुर को भी ब्लाक प्रमुख द्वारा शिकायत की गई थी। उन्होंने इस मामले में खंड विकास अधिकारी तथा सहायक अभियंता (ला0 सि0) सीतापुर को तुरन्त छानबीन करने हेतु आदेश प्रसारित किये थे। श्री जिया-उर-रहमान कैशियर को दिनांक 10 अगस्त, 1972 से इसी प्रकार के गम्भीर आरोपों के संबंध में पहले ही निलम्बित कर दिया गया था और अतिरिक्त जिलाधीश (नि0), सीतापुर के द्वारा सत्य निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु विशेष आडिट कराने के लिये आदेश भी प्रसारित किये जा चुके हैं।

बड़ा गांव ब्लाक, जिला झांसी के भूतपूर्व प्रधान व पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध गबन की शिकायत

*38—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा, बड़ागांव (ब्लाक बड़ागांव, जिला झांसी) के भू0 पू0 प्रधान व पंचायत सेक्रेटरी द्वारा लगभग 25,000 रुपयों के गबन करने के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र क्षेत्रीय विधायक ने दिनांक 26-8-72 को जिला अधिकारी, झांसी को दिया था तथा एक प्रार्थना-पत्र ग्रामवासियों की ओर से दिनांक 9-9-72 को पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मन्त्री को भी दिया था ? यदि हां, तो क्या मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच किस अधिकारी से कराई गई और उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच जिला पंचायतराज अधिकारी, झांसी द्वारा की गई तथा निर्माण कार्यों की जांच एवं मूल्यांकन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, झांसी द्वारा की गई है। ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्र दिनांक 9 सितम्बर, 1972 पर निदेशक पंचायत-राज द्वारा इस गांव सभा के अभिलेखों का विशेष आडिट कराने हेतु आदेश दिये गये हैं। गांव सभा के अभिलेखों का विशेष आडिट, क्षेत्रीय लेखा परीक्षक अधिकारी, झांसी द्वारा किया जा रहा है।

पंचायत सेवक को स्थानान्तरण करके दिनांक 15 दिसम्बर, 1972 से निलम्बित भी कर दिया गया है।

झांसी जिले में त्वरित योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण

*39—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन 1970–71, 1971–72 और 1972–73 में झांसी जिले में त्वरित योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें कितने-कितने मील लम्बी बनाने का निश्चय किस आधार पर किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

झांसी जिले में त्वरित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971–72 में निम्नलिखित सड़कों को बनाने का निश्चय जिला सलाहकार समिति की राय से किया गया:—

1—जखोरा-राजघाट सड़क	19 कि0 मी0
2—महरौनी–नरहट सड़क	28 कि0 मी0
3—गरोठा-ककरवई सड़क	11 कि0 मी0

वर्ष 1970–71 और 1972–73 में किसी सड़क को त्वरित योजना में शामिल किये जाने का निश्चय नहीं किया गया।

पोस्टल कोआपरेटिव बैंक, लखनऊ की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध कार्यवाही

*40—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या वर्ष 1972 में शासन के आदेश से उत्तर प्रदेश पोस्टल कोआपरेटिव बैंक, लखनऊ के तत्कालीन प्रबन्ध समिति के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो जांच किसने की और जांच अधिकारी ने किन-किन शिकायतों को सही पाया और जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर 17–1–73 तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां। जांच सहकारी निरीक्षक (नगर), लखनऊ द्वारा करायी गयी तथा निम्नलिखित शिकायतें सही पायी गयीं:—

1—कुछ संचालकों जैसे श्री ए0 पी0 मिश्रा एवं श्री मन्नी दबे का लगभग 12 वर्ष से प्रबन्ध कमेटी में पदासीन रहना।

2—दिनांक 19–6–66 के बाद वार्षिक अधिवेशन का न किया जाना।

3—पिछले 6 वर्षों से लाभांश का घोषित न किया जाना।

4—ऋण के बकाये की वसूली के लिये समुचित प्रयास न करना।

5—कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में नियमों का पालन न करना।

6—अनावश्यक मकदमेंबाजी में बैंक का धन व्यय करना।

7—ऋण वितरण में नियमों का पालन न करना आदि।

शिकायत प्राप्त होने पर बैंक की प्रबन्ध कमेटी को 4–12–1971 को निम्नलिखित किया गया परन्तु उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18–7–72 के आधार पर प्रबन्ध समिति फिर पदासीन हो गयी। चूंकि उच्च न्यायालय ने प्रबन्ध समिति का निलम्बन आदेश इस आधार पर निरस्त किया था कि प्रबन्ध कमेटी को पहले आरोप-पत्र नहीं दिया गया था अतएव विधिवत् प्रबन्ध कमेटी को स्पष्टीकरण देने हेतु आरोप-पत्र दिनांक 21–7–72 को दिया गया।

*41—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

[छठे सोमवार में ता0 प्र0 सं0 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहायक विकास अधिकारी महिला की खंड विकास अधिकारी के पदों पर पदोन्नति

*42—श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि वर्ष 1961 में घोषित सहायक विकास अधिकारी महिला की ज्येष्ठता सूची के आधार पर जो उत्तर प्रदेश में ज्येष्ठता क्रम में 2 से 10वां स्थान रखती हैं और स्थाई भी हैं तथा दूसरे विभागों में कार्यरत ह किन-किन महिलाओं को खंड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है और कहां-कहां ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सहायक निरीक्षक के पदों पर कार्य करने वाले भूतपूर्व सहायक विकास अधिकारियों की पदोन्नति का प्रस्ताव

*43—श्री रामबिलास पांडेय—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व छंटनी शुदा सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) के, जिनकी खपत सहकारी विभाग में निम्नतर वेतनमान में सहायक निरीक्षक के पद पर हुई थी गत पांच वर्षों से सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) अथवा समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति हेतु प्रयास करने के फलस्वरूप निबन्धक सह0 समितियां, उत्तर प्रदेश द्वारा इनकी पदोन्नति का कोई प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत हुआ था और उस पर कोई निर्णय हुआ ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां। निबन्धक, सहकारी समितियों से प्राप्त प्रस्ताव पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है और उस पर शासन द्वारा विचार हो रहा है।

*44—श्री राम बिलास पाण्डेय—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

भूमि संरक्षण विभाग, दुद्धी, मिर्जापुर के भूमि संरक्षण निरीक्षकों का वेतन

*45—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भू-संरक्षण विभाग दुद्धी मिर्जापुर के कितने ऐसे भू-संरक्षण निरीक्षक हैं जिन्होंने विभागीय परीक्षायें पास कर ली हैं, तथा 7 व 8 वर्ष की सेवा अवधि हो गई है और उन्हें आज भी प्रारम्भिक मूल वेतन ही दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम लखन—

भूमि संरक्षण अधिकारी, दुद्धी, जिला मिर्जापुर के अधीन कार्यरत भूमि संरक्षण निरीक्षकों में से तीन निरीक्षकों ने विभागीय परीक्षा पास कर ली है। इनमें से एक निरीक्षक को पूर्ण वेतन दिया जा रहा है तथा दो का वेतन निर्धारण न हो सकने के कारण उन्हें क्रमशः रु0 160 तथा रु0 168 प्रति माह वतन दिया जा रहा है। इनको बकाया वेतन दिलाने तथा इनके वेतन निर्धारित करने की कार्यवाही कृषि निदेशक द्वारा की जा रही है।

जिला पीलीभीत एवं खीरी की उपनिवेशन योजना से प्रभावित व्यक्तियों को सीरदारी अधिकार देने की मांग

*46—श्री हरनारायण (जिला पीलीभीत)—

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि जिला पीलीभीत एवं खीरी की उपनिवेशन योजना के अनमानित लगभग 5 हजार व्यक्तियों को सीरदारी अधिकार देने की कार्यवाही हो रही थी। यदि हां, तो उसमे विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री राम लखन—

जी नहीं।

जिला कृषि अधिकारी देहरादून द्वारा जिला सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से की गई नियुक्तियां

*47—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कृषि अधिकारी देहरादून द्वारा 1 जुलाई, 1972 से 31-12-72 तक कितनी नियुक्तियां जिला सेवा योजन कार्यालय के माध्यम से की है? यदि नियुक्तियां सेवा योजन कार्यालय द्वारा नहीं की गई तो क्यों ?

श्री रामलखन—

जिला कृषि अधिकारी देहरादून द्वारा 1 जुलाई, 1972 से 31-12-72 तक सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से कुल 7 नियुक्तियां की गई तथा 2 नियुक्तियां सेवायोजन कार्यालय से उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण कार्य की महत्ता देखते हुए, सीधे इस शर्त पर की गई थीं जैसे ही सेवायोजन कार्यालय से उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे वैसे ही उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायगी।

*48—श्री शिव कैलाश—

[छठे शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 41 के अन्तर्गत उत्तरित]

*49—श्री त्रिलोक चन्द्र—

[छठे सोमवार ता0 प्र0 सं0 44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*50—श्री हीरा सिंह बोरा—

[11वें गुरुवार के लिये ता0 प्र0 सं0 44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वाराणसी जिले में धान की फसल पर छिड़काव हेतु क्रय किया गया डाईमेक्रान

*51—श्री दल सिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में गत वर्ष हवाई छिड़काव धान की फसल में किया गया ? यदि नहीं, तो हवाई छिड़काव हेतु पांच लाख रुपया द्वारा क्रय डाईमेक्रान कम्पनी को पुनः वापस किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन—

गत वर्ष 1971–72 में वाराणसी जनपद में धान की फसल पर कोई हवाई छिड़काव नहीं कराया गया। हवाई छिड़काव हेतु जो डाईमेक्रान 6.15 लाख रु0 (न कि 5 लाख रु0) का क्रय किया गया था उसको कम्पनी को पुनः वापस नहीं किया गया। इसका अन्य जनपदों में उपयोग किया गया।

जिला परिषद्, सीतापुर में अनियमित रूप से सामान क्रय किये जाने के संबंध में शिकायत

*52—श्री राम लाल राही—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् सीतापुर में माह अक्टूबर, 1972 में 2,000 कुर्सियां, 1,000 मेजें 1,000 बालफ्रेम, 500 श्यामपट तथा कुछ अन्य सामान खरीदने के लिये टेन्डर मांगे गये थे? प्राप्त टेण्डरों में से निम्नतम दर के टेण्डर न स्वीकार कर अधिकतम दर के टेण्डर स्वीकार किये गये जिसके कारण जिला परिषद् को लगभग 50,000 का नुकसान हुआ है और उपरोक्त खरीदारी की शिकायतें विभागीय मन्त्री वित्त व जिलाधिकारी सीतापुर को दी गई? यदि हां, तो अनियमित खरीदारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्नगत सामान क्रय किये जाने पर कोई अनियमितता नहीं की गई। परिषद् को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ।

मेज व श्यामपट न्यूनतम दर पर खरीदे गये बालफ्रेम पंचायत उद्योग जरवल रोड से शासन के आदेशानुसार किये गये। यह न्यूनतम रेट से कुछ अधिक पर सेम्पुल अच्छा होने के कारण भी क्रय किये गये।

कुर्सियां न्यूनतम दर से कुछ अधिक पर ली गई। न्यूनतम दर वाले का नमूना बहुत ही घटिया था।

इस सम्बन्ध में जो भी शिकायतें प्राप्त हुई उन पर जांच की गई और व निराधार पाई गई। अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

*53—श्री भारत सिंह चौहान तथा श्री महावीर सिंह चौहान—

[9वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*54—श्री राम निहोर राय—

[9वें बुधवार के लिये स्थगित]

गोरखपुर जिले के विकास खंडों को स्वीकृत हैन्डपम्प एवं कूप निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय

*55—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के किन-किन विकास खण्डों में कितना-कितना धन हैण्ड पाइप कूप निमाण जून, 1970 से लेकर दिसम्बर, 1972 तक स्वीकृत किया है उसमें सेकितना-कितना धन किस-किस वर्ष में किन-किन विकास खण्डों में खर्च किया गया तथा उनमें कितना कार्य पूरा किया गया कितना अभी अधूरा ही है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

गोरखपुर जिले के विकास खण्डों में जून, 1970 से दिसम्बर, 1972 तक हैण्ड पम्प एवं कूप निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि, व्यय की गई धनराशि, पूर्ण तथा अपूर्ण कार्यों से सम्बन्धित सूचना संलग्न* है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 494 पर)

कोआपरेटिव पुलिस सेल द्वारा मुजफ्फरनगर थाने के अभियोगों की विवेचना

*56—श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कोआपरेटिव पुलिस सेल द्वारा मुजफ्फरनगर जनपद में कितने गबन के केस पुलिस में दर्ज कराये गये ? और कितनों का चालान अदालत में भेजा गया और किन-किन का चालान किया गया ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

विशेष अनुसंधान शाखा का कार्य गबन के मामलों की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना नहीं है वरन पुलिस में पहले से दर्ज रिपोर्ट की विवेचना करना है। जिला मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों के पांच अभियोगों की विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा की जा रही है। किसी भी अभियोग का चालान अभी तक अदालत में नहीं भेजा गया है तथा अभियुक्तों का चालान विवेचनागत है।

नगला राई कोआपरेटिव सोसाइटी, मुजफ्फरनगर द्वारा उधार दी गयी खाद की वसूली में अनियमितता

*57—श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या सरकार को मालूम है कि नगला राई कोआपरेटिव सोसाइटी ब्लाक कैराना जिला मुजफ्फरनगर द्वारा जो खाद उपभोक्ताओं को उधार वितरण किया गया उस पर 7 प्रतिशत का ब्याज वसूल किया जा रहा है परन्तु रसीदें 5 प्रतिशत की हिसाब से काटी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि ऐसे कितने केसेज सन् 1971–72 व 1973 तक में हैं? और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

ग्राम सेवकों को स्थायीकरण का कथित आदेश

*58—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 14 जनवरी, 1971 में सरकार ने अपने किसी आदेश के द्वारा ग्राम सेवकों की प्रदेशीय स्तर की ज्येष्ठता सूची के अनुसार कई हजार ग्राम सेवकों के पदों के स्थायीकरण करने का निर्देश दिया था जिसमें फर्रुखाबाद जिले में लगभग 50 ग्राम सेवकों के पदों का स्थायीकरण होना था फिर भी अभी तक 30 से कम पदों का स्थायीकरण किया गया है? यदि हां, तो किन-किन ग्राम सेवकों का स्थायीकरण हुआ है और कौन-कौन ग्राम सेवक ऐसे हैं जिनके पद का स्थायीकरण अभी तक नहीं हुआ और क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ग्रामसेवकों के स्थायीकरण से संबंधित कोई भी आदेश शासन द्वारा 14-1-71 को जारी नहीं किया गया है ।

फैजाबाद मंडल के प्रक्षेत्रों पर तुलन-पत्र में हानि

*59—श्री शेषनारायण शुक्ल (जिला बाराबंकी)—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद मण्डल में जिन प्रक्षेत्रों पर सन् 1965 से सन् 1970 तक के तुलन-पत्र में हानि रही ? उनके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम लखन—

फैजाबाद मण्डल में जिन प्रक्षेत्रों पर सन् 1965 से सन् 1970 तक के तुलन-पत्र के आधार पर जो हानि रही है, वह हानि मुख्यतः साधनों की कमी के कारण हुई है । इस कमी की पूर्ति हेतु विद्युत चालित सिंचाई सुविधा तथा ट्रेक्टर आदि मशीनों की व्यवस्था कर दी गई है ।

इलाहाबाद जिले के बीज भंडारों में चोर बाजारी की शिकायत

*60—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या कृषि मन्त्री को पता है कि इलाहाबाद जनपद में तहसील फूलपुर, सहानों, हनुमानगंज, झूंसी, हंडिया तथा मेजा तहसील के बीच भण्डार में उर्वरक यूरिया की चोर बाजारी हो रही है और इसके विरोध में धरना दिया गया तथा जिलाधिकारी से प्रश्नकर्त्ता तथा अन्य राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं ने 31 जनवरी, 1973 को जांच तथा दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की मांग की ? यदि हां, तो इस घटना से सम्बन्धित कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजना

*61—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने लाख हेक्टर ऊसर भूमि (नमकीन रेहयुक्त है) और इस भूमि को कृषि योग्य बनाने की कोई योजना सरकार बना रही है ? यदि हां, तो इस योजना का प्रारूप क्या है? यदि नही, तो क्या आगामी पांचवीं-पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि योग्य बनाने के लिये ठोस कदम उठाने का विचार करेगी और इस पर अनुमानतः कितना धन व्यय होगा ?

श्री रामलखन—

उत्तर प्रदेश में लगभग 10.00 लाख हेक्टर ऊसर भूमि है । इसमें से नमकीन रेह-युक्त भूमि कितनी है इसके सही आंकड़े इस प्रकार के वर्गीकरण सर्वेक्षण न होने के कारण उपलब्ध नहीं है । परन्तु, यह अनुमान किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में से लगभग 10-15 प्रतिशत भूमि नमकीन रेहयुक्त है ।

केवल नमकीन रेह युक्त ऊसर भूमि ही के सुधार हेतु कोई योजना अलग से नहीं बनाई गई है ।

रायबरेली जनपद में 1,000 एकड़ क्षेत्र ऊसर भूमि (जिसमें क्षारीय तथा लवणीय भूमि सम्मिलित है) के सुधार हेतु एक अग्रगामी परियोजना कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा गया है। इस योजना के अन्तर्गत गांव समाज की ऊसर भूमि का अधिग्रहण करके तीन चार वर्ष तक ऊसर सुधार का कार्य किया जायगा । तत्पश्चात्, सुधारी गई भूमि उस क्षेत्र के भूमिहीन तथा अलाभकर जोत वाले कृषकों को आवंटित की जायगी ।

उक्त अग्रगामी परियोजना के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आगामी पंचवर्षीय योजना काल में 5,000 एकड़ क्षेत्रफल पर ऊसर सुधार कार्य किये जाने की योजना पर विचार किया जायगा ।

कुमायूं तथा गढ़वाल मंडलों के सहायक विकास अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची में पंचायत राज निरीक्षक के पद से पदोन्नत अधिकारियों का स्थान

*62—श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 फरवरी, 1973 को कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डलों के कितने सहायक विकास अधिकारी स्थानापन्न क्षेत्र विकास अधिकारी थे ? क्या सहायक विकास अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची बन चुकी है ? क्या राजाज्ञा संख्या 4780-पी0 तैंतीस-28-57, दिनांक 6 अप्रैल, 1960 के अनुसार पंचायत राज निरीक्षकों को सहायक विकास अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठ माना गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*63—श्री राम सागर—

[5वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 72 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*64—श्री सजीवन लाल—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया ।]

*65—श्री सूबेदार सिंह—

[छठे सोमवार में ता0 प्र0 सं0 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ए०डी०ओ० (पंचायत), सरोजनीनगर, लखनऊ के विरुद्ध जिलाधिकारी, लखनऊ की कथित रिपोर्ट

*66—श्री प्रेमनारायण अहरवार (जिला झांसी)—

12 दिसम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 48 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जिलाधिकारी लखनऊ ने संबंधित ए0 डी0 ओ0 (पंचायत) के खिलाफ जो रिपोर्ट शासन को प्रेषित की है वह पूर्णतया उक्त अधिकारी के विरुद्ध है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

मोरनोला-जयन्ती मोटर मार्ग (अल्मोड़ा) पर मजदूरी में कमी की शिकायत

*67—श्री हरी सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि त्वरित योजनान्तर्गत जो मोटर मार्ग अल्मोड़ा जनपद के मोरनौला से जयन्ती तक बन रहा है उसमें आज तक कुल कितना धन व्यय हुआ है? तथा कितने मजदूरों के द्वारा कितना मार्ग बना तथा कितनी मजदूरी मजदूरों को दी जा रही है और साथ ही क्या सरकार को या जिलाधिकारी अल्मोड़ा को इस आशय की कोई रिपोर्ट मिली है कि उन्हें गत वर्ष के काम की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1 रु0 10 पैसा मजदूरी दी जा रही थी जो उन्होंने नहीं ली? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अल्मोड़ा जनपद के ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजनान्तर्गत निर्माणाधीन मोरनोला से जयंती मोटर मार्ग पर 28 फरवरी, 1973 तक 1,61,805 रु0 व्यय हुआ है तथा 31,295 मानव दिवस कार्य हुआ व लगभग 5 कि0 मी0 से अधिक मार्ग निर्माण का कार्य हो चुका है। इस मार्ग पर मजदूरों की औसतन मजदूरी 3 रु0 61 पैसा आती है। मजदूरों को मजदूरी का भुगतान, कार्य के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

जिलाधिकारी अल्मोड़ा को मजदूरी के वितरण के सम्बन्ध में पहली शिकायत दिनांक 23-12-1972 को प्राप्त हुई थी जिसमें यह शिकायत की गई थी कि मजदूरों को 15 अप्रैल से जून के प्रथम पक्ष तक मजदूरी 1 रु0 11 पैसा प्रतिदिन की दर से दी जा रही है जिसे वे लेने से इन्कार कर रहे हैं। इस मामले की पूरी जांच कराई जा रही है।

*68—श्री इन्द्र लाल—

[7वें मंगलवार के लिये प्र0 सं0 60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला पिथौरागढ़ में नये विकास खंड की मांग

*69—श्री हरी सिंह विष्ट—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिथौरागढ़ जनपद के पट्टी चालसी, गंगोल, तल्लीरौ अस्सीफड़का पट्टियों के 42 ग्राम सभापतियों, 2 वन पंचायत के सरपंचों तथा 2 अदालती पंचायत के सरपंचों के त्याग-पत्र सरकार के पास आये हैं? यदि हां, तो त्याग-पत्रों का कारण क्या है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

श्री देवेन्द्र सिंह मौनी अध्यक्ष संघर्ष समिति विकास खण्ड पट्टी जिला पिथौरागढ़ द्वारा मुख्य मन्त्री को सम्बोधित एक प्रार्थना-पत्र फरवरी, 1973 में शासन को प्राप्त हुआ है जिसमें 40 गांव सभापतियों, 2 सरपंचों वन पंचायत तथा 2 सरपंच न्याय पंचायत के सामूहिक त्याग-पत्रों का उल्लेख है। मांग यह की गई है कि पट्टी चालसी, गंगोल, तल्लीरौ एवं अस्सीफड़का के लिये एक नया विकास खण्ड पट्टी अस्सी में स्थापित किया जाय। इस मांग के बारे में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से आख्या मांगी गयी है और प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

मकदूमपुर (बस्ती) को ग्राम पंचायत कम्हरिया में पुनः सम्मिलित करने की प्रार्थना

*70—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले के मौजा मकदूमपुर को ग्राम पंचायत कम्हरिया में पुनः सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में किसी विधायक का पत्र दिनांक 2 अगस्त, 1971 को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। उक्त पत्र पर आवश्यक कार्यवाही की गयी। कार्यवाही न करने का कारण बताने का प्रश्न नहीं उठता।

अवकाश प्राप्त बी०डी०ओ०, मुनस्यारी (पिथौरागढ़) श्री हरिदत्त पंत के देय

*71—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 25 अक्तूबर, 1969 को पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी विकास क्षेत्र के बी0 डी0 ओ0 हरिदत्त पन्त ने अवकाश प्राप्त कर लिया था? यदि हां, तो उनको ग्रेच्युटी व पेन्शन आज तक न देने का क्या कारण है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अक्टूबर, 1969 में श्री हरी दत्त पन्त विकास खण्ड मुन्स्यारी, पिथौरागढ़ में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं थे। ना ही वे क्षेत्र विकास से अधिकारी के पद सेवा निवृत्त नही हुए थे।

*72—श्री गोपाल दत्त ओझा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिथौरागढ़ के मुन्स्यारी विकास क्षेत्र के बी0 डी0 ओ0 श्री हरिदत्त पन्त को सन् 1968 से निलम्बित करने व बाद में पुनः नियुक्ति करने के दर्मियान का वेतन व पूर्ण निर्वाह भत्ता अब तक न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

श्री हरी दत्त पन्त वर्ष 1968 में मुनस्यारी विकास खण्ड के क्षेत्र विकास अधिकारी नहीं थे। उनको क्षेत्र विकास अधिकारी के पद से वर्ष 1968 में निलम्बित नहीं किया गया था।

*73—श्री शिव प्रसाद पांडिया—

[छठे सोमवार में ता0 प्र0 सं0 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*74—श्री महातम प्रसाद तिवारी—

[छठें मंगलवार के लिए प्र0 सं0 54 वें अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*75—राम किशोर शुक्ल—

[11वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*76–77—श्री प्यारे लाल—

[छठे सोमवार में प्रश्न संख्या 47–48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*78—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

[छठें सोमवार में प्रश्न संख्या 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*79—श्री कृष्ण कान्त अवस्थी—

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*80—श्री भगेलू सिंह—

[छठे मंगलवार के लिये प्र0 सं0 55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

राजकीय एवं जिला परिषद् के पशु चिकित्सालयों के कम्पाउन्डरों का वेतन-क्रम

1—श्री हरी सिंह विष्ट—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पशु चिकित्सालयों में प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित कम्पाउन्डरों का वेतन-क्रम क्या है और राजकीय पशु चिकित्सालयों तथा जिला परिषद् के पशु-चिकित्सालयों के कम्पाउन्डरों को क्या-क्या वेतनमान इस समय मिल रहा है ? और क्या 1968 तथा 1970 में कम्पाउन्डरों के वेतन मानों का शासन द्वारा कोई अभिनवीकरण हुआ है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री रामलखन—

राजकीय पशु चिकित्सालयों में प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित कम्पाउन्डरों के वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

(1) प्रशिक्षित—100—4—120—ई० बी०—5—145—ई० बी०—5—170—ई० बी०—5—180।

(2) अप्रशिक्षित—75—2—85—ई० बी०—3—100—ई० बी०—3—115।

राजकीय पशु कम्पाउन्डरों के उपर्युक्त वेतनमान का 1968 या 1970 में कोई अभिनवीकरण नहीं हुआ है।

जिला परिषद् पशु चिकित्सालयों के पशु कम्पाउन्डरों के वेतनमान के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

सुकरौली ब्लाक (देवरिया) के अन्तर्गत क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़क निर्माण

2—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के सुकरौली ब्लाक के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत ली गयी हैं और उन पर कितना रुपया निर्माण के लिये स्वीकार किया गया है और क्या यह भी सही है कि सड़कों के निर्माण के लिये गांव वालों से चन्दा भी वसूल करने की कोई योजना बनाई गई है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

देवरिया जनपद के ब्लाक सुकरौली के अन्तर्गत 4.5 किलोमीटर लम्बी 1.20 लाख रुपये की लागत में जोलह-पुरवा अहिरौली सड़क क्रैश प्रोग्राम में ली गई है। इसके लिये गांव वालों से कोई चन्दा नहीं लिया गया है और न ही क्रैश प्रोग्राम में गांव वालों से चन्दा वसूल करने का कोई योजना है।

विकास खंड, निगोही (शाहजहांपुर) से ग्राम सेवक के स्थानान्तरण की मांग

3—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि विकास खण्ड निगोही, जिला शाहजहांपुर में कितने ऐसे ग्राम सेवक हैं जो पांच वर्षों से अधिक समय से एक ही सर्किल में काम कर रहे हैं ? उनका स्थानान्तरण न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

विकास खण्ड, निगोही, जिला शाहजहांपुर में केवल एक ग्राम सेवक, श्री हेमचन्द्र शर्मा ऐसे हैं जिनको एक ही सर्किल में काम करते हुये 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है। उनका स्थानान्तरण जून 1971 में पुवायां ब्लाक के लिये किया गया था, परन्तु उनके प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित उनकी पत्नी की बीमारी तथा पारिवारिक समस्याओं के आधार पर उनका स्थानान्तरण तत्कालीन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन) द्वारा स्थगित कर दिया गया था।

क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत धन का आवंटन

4—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत शासन द्वारा प्रत्येक जिले को कितना-कितना धन दिया गया है और किस आधार पर ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना (क्रैश प्रोग्राम) के अन्तर्गत प्रारम्भ से 15 मार्च, 1973 तक प्रत्येक जिले को आवंटित धनराशि का विवरण संलग्न है।

जिलों को धनराशि का आवंटन मुख्यतः कार्यों पर व्यय की प्रगति के आधार पर किया जाता है। यदि किसी जिले में धन व्यय करने की क्षमता सामान्य रूप से निर्धारित प्रति वर्ष प्रति जिला की धनराशि 12.50 लाख रु0 से अधिक की है तो उस जिले को 12.50 लाख रु0 से अधिक धन दिया गया है और जिन जिलों में व्यय की गति धीमी रही है उन्हें उसी प्रकार से कम धन आवंटित किया गया है। इसी आधार पर विभिन्न जिलों को धनराशि आवंटित की गयी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 497 पर)

5—श्री नौनिहाल सिंह—

[7वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला सहकारिता बैंक, मुरादाबाद में कर्मचारियों की नियुक्तियां

6—श्री जितेन्द्र पाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला सहकारिता बैंक, मुरादाबाद में संचालक मण्डल व सचिव ने कितने कर्मचारियों की नियुक्ति 1971-72 में बिना पब्लिक सर्विस कमीशन की पूर्ण अनुमति के की है ? और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

बैंक कर्मचारियों की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से करने का प्राविधान नहीं है अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद पर टेहरी गढ़वाल जिले में लिपिकों की प्रोन्नति के आदेश

7—श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने उन लिपिकों को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद पर प्रोन्नति देने के आदेश प्रसारित किये हैं जो सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) पद पर लगातार दो वर्ष तक पहले कार्य कर चुके हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

शासन ने उन पंचायत लिपिकों को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद पर प्रोन्नति देने के आदेश प्रसारित किए हैं जो 11 अगस्त, 1971 के पूर्व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद पर 2 वर्ष से अधिक समय तक लगातार कार्य कर चुके हैं।

8—श्री इन्द्रमणि—

यदि हां, तो टिहरी गढ़वाल जिले में इस प्रकार के कितने लिपिक हैं जिन्हें सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) पद पर प्रोन्नति दी जानी चाहिये थी और इनमें से कितने लिपिकों को प्रोन्नति दी जा चुकी है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

टिहरी गढ़वाल में ऐसा कोई पंचायत लिपिक नहीं है।

9—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

[7वें सोमवार में अता० प्र० सं० 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

10—श्री मनोहर लाल—

[7वें सोमवार में अता० प्र० सं० 6 के अन्तर्गत स्थान्तरित]

ब्लाक रानी की सराय (आजमगढ़) में निजी नलकूप हेतु अनुदान

11—श्री राम बचन यादव तथा श्री सूबेदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ के ब्लाक रानी की सराय में कुल कितने लोग वर्ष 1966–67 में ऋण लेकर निजी नलकूप लगवाये हैं उनमें से कितने लोगों को अनुदान दिया गया है और कितने लोगों को अभी नहीं दिया गया और क्यों?

श्री रामलखन—

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक रानी की सराय में कुल आठ मामलों में वर्ष 1966–67 में ऋण लेकर निजी नलकूप लगवाये गये हैं। उनमें से 7 लोगों को अनुदान दिया गया है शेष एक व्यक्ति को अनुदान नहीं दिया गया क्योंकि उसका नलकूप नहर के कमांड एरिया में निर्मित हुआ है जिस पर शासनादेश संख्या 448/38-अ, दिनांक 24 मई, 1966 के अनुसार देय नहीं है।

राजकीय कृषि फार्मों की भूमि, आय तथा व्यय

12—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में जिलावार कहां-कहां पर राजकीय कृषि फार्म हैं और उनके पास कुल कितने-कितने एकड़ भूमि है? उपरोक्त फार्मों से वर्ष 1969–70 और 1970–71 में कुल कितनी-कितनी आय हुई? और कितनी-कितनी धनराशि उन पर व्यय की गई? उक्त अवधि में प्रति फार्म अलग-अलग प्रति एकड़ कितना-कितना औसत उत्पादन हुआ? उपरोक्त फार्मों पर उक्त वर्षों में प्रति एकड़ कितना-कितना लाभ अथवा हानि हुई? हानि के क्या कारण हैं?

श्री रामलखन—

प्रश्न से संबंधित सूचना संलग्न† तालिका 'क' व 'ख' में दी गई है।

---

† छापी नहीं गयी।

ग्राम सेवकों की ए०डी० ओ० (पंचायत) के पद पर पदोन्नति

13—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सामदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिन ग्राम सेवकों को ए0 डी0 ओ0 (पंचायत या अन्य) पद पर प्रोन्नति हुई है इनके आधार क्या-क्या रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि वरीयता क्रम में आने वाले कुछ ग्राम सेवकों (सामुदायिक बजट) की पदोन्नति नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अनुयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश द्वारा जो आदेश संख्या 7421/स्था–2/6 (ग्राम सेवक) 72-1, दिनांक 11–12–72 द्वारा पदोन्नतियां दी गई हैं वे ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुये दी गई हैं।

जी हां, अनुपयुक्त को छोड़ दिया गया है।

14—श्री हरी सिंह विष्ट—

[8वें गुरुवार में अतां0 प्र0 सं0 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

15—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[7वें सोमवार में अतां0 प्र0 सं0 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उप निदेशक कृषि रक्षा, लखनऊ द्वारा क्रीत कीटनाशक व मशीन

16—श्री दलसिंगार यादव—

क्या कृषि मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उप निदेशक कृषि,रक्षा,लखनऊ ने वर्ष 1970–71 व वर्ष 1971–72 में अलग-अलग कितने रुपये लागत का कीटनाशक एवं मशीन क्रय किये थे और किन-किन कम्पनियों से क्रय की गई थीं ?

श्री राम लखन—

उप निदेशक, कृषि रक्षा, उत्तर प्रदेश,लखनऊ द्वारा वर्ष 1970–71 में रु045,34,384.50 मूल्य के रसायन एवं रु0 18,13,411.00 के यंत्र क्रय किये और वर्ष 1971–72 में लगभग 69,99,618.70 मूल्य के रसायन तथा रु0 13,63,721.00 के यंत्र क्रय किये गये। जिन-जिन कम्पनियों से क्रय की गयी थी उनका ब्योरा परिशिष्ट 1 तथा 2 में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 499 पर)

जिला पशुधन अधिकारी द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के टी० ए० बिलों का भुगतान

17—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चतर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के टी0ए0 बिल 1970 से अब तक के कितने पड़े हैं और उनका भुगतान जिला पशुधन अधिकारी, बदायूं ने अभी तक नहीं कराया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राम लखन—

सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 502 पर)

बहराइच जिले के मत्स्य क्षेत्रों का व्यय तथा प्रगति

18—श्री राम निहोर राय—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बहराइच में सन् 1968 व 1969 में कितने मत्स्य क्षेत्र बनवाये गयें और उस पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई और उसकी भौतिक प्रगति क्या है ?

श्री राम लखन—

कोई नहीं। प्रश्न नहीं उठते।

हरिजन बस्तियों के लिये पेय जल योजनायें

19—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उनके पत्र सं0 सी0-51-बजट (अ) 300 (13)-72-73, दिनांक जून 9, 1972 के अनुसार कितनी हरिजन बस्तियों में पेयजल योजनायें चालू हुई हैं। यह भी कृपया बतावें कि इस वर्ष स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के उपलक्ष्य में बनाई गई पेय जल योजना में कितनी हरिजन बस्तियों में पानी पहुंचाने की योजना है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

पत्रांक सी-51-बजट (अ) 300(13) 72-73, दिनांक जून 9, 1972 के अनुसार 7515 ग्रामीण हरिजन बस्तियों में पेयजल योजनायें चालू हुई हैं। इसके अतिरिक्त स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती वर्ष में ही सूखा प्रभावित 41 जिलों की 3,500 ग्रामीण हरिजन बस्तियों में भी पेयजल हेतु कुयें निर्मित करने की योजना है।

पशुधन अधिकारी देहरादून, द्वारा पशु चिकित्सालय के गोदाम को आवास के रूप में प्रयोग करने की शिकायत

20—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देहरादून पशुधन अधिकारी (डी0एल0ओ0) देहरादून के पशु चिकित्सालय में सपरिवार एक वर्ष से भी अधिक से रह रहे हैं तथा जिस भाग में ये रह रहे हैं उसका प्रयोग चिकित्सालय द्वारा न किये जाने से दवायें आदि अन्यत्र रखने से चूहों तथा अन्य कारणों से खराब हो रही है, इन्हें यह भवन खाली करने के निर्देश निर्देशक द्वारा लगभग 10 माह पूर्व प्राप्त होने पर अभी तक उनका पालन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम लखन—

जी हां। जिला पशुधन अधिकारी, देहरादून किराये का मकान न मिलने के कारण पशु चिकित्सालय देहरादून के गोदाम में एक वर्ष से अधिक अवधि से सपरिवार रह रहे हैं। इस गोदाम का सामान पशु चिकित्सालय के अन्य कमरों में सुरक्षित रखा है। चिकित्सालय के उपयोग में जाने वाली औषधियां आदि खराब नहीं हो रही हैं।

अन्तिम रूप से जिला पशुधन अधिकारी को आदेश दे दिये गये हैं कि अब वह उक्त गोदाम को खाली कर दें और अप्रैल 1973 में वह गोदाम को खाली कर देंगे। गोदाम का किराया रु0 46.20 प्रतिमाह की दर से उनसे वसूल किया जा रहा है।

अनधिकृत रूप से गोदाम को आवास बनाने हेतु पशुधन अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसके प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रदेशीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिये जाने के संबंध में जानकारी की मांग

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं.....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आपको मैंने लिखकर दिया है और उसमें यह है कि अभी कल ही केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट शाया हुई है और उस रिपोर्ट के अन्दर यह तय किया गया है कि महंगाई भत्ते के लिये एक फारमूला तैयार किया गया है। मुख्य मंत्री की ओर से समय-समय पर यह घोषणा होती रहती है कि केन्द्रीय सरकार जो महंगाई भत्ता देगी, जिस नियम के आधार पर देगी उसी को वह उत्तर प्रदेश में भी लागू करेंगे। केन्द्रीय सरकार के वेतन आयोग में एक फारमूला एडाप्ट किया गया है कि हर 8 प्वाइंट की वृद्धि पर सूचकांक के हिसाब से महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी। तो क्या मुख्य मंत्री जी यह आश्वासन देंगा कि केन्द्र जिस आधार पर मंहगाई भत्ता देगा उसी के समान वह उत्तरोत्तर उत्तर प्रदेश में भी देंगे ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

हमको रिपोर्ट वेतन आयोग की मिलनी चाहिये थी। अब अप्रैल की तीन तारीख हो गयी है। यह कहा गया था कि अप्रैल के पहले सप्ताह में हमको मिल जायगी।

श्री अध्यक्ष—

हिन्दी में अभी रिपोर्ट छप रही है। माननीय मुख्य मंत्री यह बतलायेंगे कि केन्द्रीय वेतन आयोग ने जो आधार महंगाई भत्ते के लिये स्वीकार किया है क्या वही सिद्धान्त प्रदेशीय सरकार को भी स्वीकार होगा ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

हिन्दी में प्रतियां छप रहीं हैं। अंग्रेजी के बारे में पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि करीब-करीब छप कर तैयार हो गयी है। कागज की कमी हो गयी थी। बड़ी मुश्किल से कमी पूरी की गयी। हिन्दी की भी छापने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह कब तक मिल जायंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह तक अवश्य मिल जायंगीं। जहां तक केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट की बात है, वह अभी हमारे पास आई नहीं है। अखबारों में देखी है। क्या फारमूला महंगाई भत्ते के बारे में उन्होंने तय किया है जब तक रिपोर्ट मिल न जाय तब तक आश्वासन कैसे दिया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अंग्रेजी की कापी एक मेरे पास भेजी गयी है। ऐसे ही कौंसिल में भी भेजी गयी है। हिन्दी की कापी अभी छप रही हैं। वह कहते हैं कि तीसरें सप्ताह तक भेज देंगे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

एक अंग्रेजी की कापी हमको दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

इतनी कापीज नहीं हैं कि सबको मिल सकें।

विविध विषय

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

श्रीमन्, मैं दूसरी बात कह रहा था.....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

आप उसको स्वीकार करते हैं .....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपके बीच में कौन जोर से बोलता है, यह पहले तय हो जाय।
(श्री सुरेन्द्र विक्रम का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, मैं कई बार खड़ा हुआ हूं मेरा प्रश्नों के विषय में एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, मैंने सरेन्द्र विक्रम को बुलाया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

श्रीमन् मुझे दो बातें निवेदन करनी हैं। पहली बात तो यह है कि "अमर उजाला" नामक समाचार-पत्र को बिजली देने के लिये माननीय विद्युत् मंत्री ने दिनांक 16-3-73 को सदन में यह आश्वासन दिया था कि सभी समाचार पत्रों को बिजली दी जायेगी और इस संबंध में उनके द्वारा आदेश भी प्रसारित हो गये थे। लेकिन अभी तक "अमर उजाला" को बिजली नहीं दी गई है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वकीलों के द्वारा आजकल हड़ताल चल रही है प्रत्येक जिले में, गाजीपुर, शाहजहांपुर, लखनऊ, इलाहाबाद तथा बनारस आदि जिलों में वकील लोग हड़ताल कर रहे हैं.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी तो इस बारे में सुनते ही नहीं हैं, क्या आप भी नहीं सुनते हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, इसके साथ ही "जन मोर्चा" अखबार को भी जोड़ दीजिये। इस पर मंत्री जी से वक्तव्य दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

विद्युत मंत्री बीमार हैं।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

जिन पत्रों के पास डाइरेक्ट लाइन है उन्हें बिजली मिलती रही है। जिनके पास डाइरेक्ट लाइन नहीं है उनसे कहा गया है कि वे डाइरेक्ट लाइन ले लें। अब मैं आपकी बात को सूचना मान लेता हूं लिखने की जरूरत नहीं है। पता कर लेंगे।

श्री रामप्यारे--

अध्यक्ष जी, आपने बड़ी कृपा पूर्वक सदन में यह निर्णय दिया था कि प्रश्नों के उत्तर सही आने चाहिये। लेकिन अभी भी प्रश्नों के उत्तर सही नहीं आ रहे हैं हमारा जो प्रश्न था उसका बिलकुल

[श्री राम प्यारे]

उल्टा ही उत्तर दिया गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार पुनः आदेश दें कि सदन में प्रश्नों के सही-सही उत्तर आने चाहिये। मेरा यही व्यवस्था का प्रश्न था, इसी पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप क्या बजट के बारे में कह रहे हैं ?

श्री राम प्यारे--

मैं प्रश्नों के बारे में कह रहा हूं। आपने कृपापूर्वक सदन में आदेश भी दिया था कि प्रश्नों के उत्तर सही आने चाहिये। मैंने जो कल 66-67 नम्बर के प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर बिलकुल विपरीत आये हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे कमरे में आ जाइये, मैं वहां पर फाइल मंगा लूंगा।

अब एक विशेषाधिकार का प्रश्न आया था.....

श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आपने कहा था कि जितने लोग बोलना चाहते हैं वे खड़े हो जावें उनको मौका बोलने का बारी-बारी से दे दूंगा। मान्यवर, पे कमीशन की रिपोर्ट के बारे में जो प्रश्न नित्यानन्द जी ने उठाया था और श्रीमन् वाकई में लोगों को यह भ्रम हो रहा है कि यह रिपोर्ट अनामली कमेटी के सुपुर्द कर दी गयी है। पहले यह कहा जा रहा था कि अली जहीर साहब बीमार हैं इसलिये उनके दस्तखत नहीं हो रहे हैं, उसके बाद यह चला कि उसका हिन्दी में अनुवाद हो रहा है। उसका अनुवाद हो भी गया और उसकी एक प्रति आपको शायद मिल भी गयी। लेकिन हमने उसको नहीं देखा और अब लोगों में यह भ्रम है कि यह रिपोर्ट अब अनामली कमेटी के सुपुर्द कर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी बता दें, क्या यह रिपोर्ट किसी कमेटी के सुपुर्द कर दी गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

पे कमेटी की रिपोर्ट अभी किसी कमेटी के सुपुर्द नहीं हुई है लेकिन विभागीय कमेटियां उसकी अनामली की जांच करती हैं और उनकी रिपार्ट अगर आवेगी तो मंत्रि परिषद् जरूर जांच करेगी।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, वित्त मंत्री की ओर से उत्तर देते हुये उस दिन निश्चित रूप से सदन को आश्वस्त किया गया था कि न्यूज एजेंसीज जो हैं और समाचारपत्रों के टेलीप्रिंटर्स हैं उन सभी को जिनकी संख्या 13 है बिजली दी जावेगी लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि उसका पालन हो नहीं रहा है। यह मैं दुस्साहस कैसे करूं कहने का कि माननीय विद्युत मंत्री जी का उनके विभाग के प्रशासन पर ग्रिप नहीं है लेकिन संयुक्त उत्तरदायित्व की दृष्टि से माननीय मुख्य मंत्री जी को इसे अवश्य देखना चाहिये। मान्यवर, भारतीय संविधान के पृष्ठ 59 पर आर्टिकिल 164 का अवलोकन करने का कष्ट करें:--

"164(2) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State."

इस दृष्टि से मान्यवर, यह बात सिद्ध है कि मंत्रिमंडल संयुक्त रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। उसका निर्वहन नहीं हो रहा है और यह प्रिविलेज की परिधि में भी आ सकता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

अगर आप इसको दोबारा पढ़कर सुना दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मेरे मित्र दोबारा उसको सुनना चाहते हैं :--

"164(2) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State."

माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके इसको स्वयं देखें और उन लोगों को ठीक करने की चेष्टा करें जिनका नियंत्रण उनके प्रशासन पर नहीं रह गया है अन्यथा यह प्रिविलेज की परिधि में आ जायगा। मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक और नतमस्तक होकर मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे कृपया सदन में यह घोषित कर दें कि सभी समाचार पत्रों को बिजली दी जायगी। तो सारी शंकायें निर्मूल हो जायेंगीं और लोगों को इस पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने कह दिया कि अगर कहीं कोई किसी को विशेष कठिनाई हो रही है तो उसकी सूचना दे दें, उसकी जांच कर लूं कि क्या कठिनाई है। बिजली का संकट तो है ही। अब तक जिनके पास डाइरेक्ट लाइन रही है उनको हमने बिजली दी है। जिनके पास नहीं दी है अगर उनको उसी लाइन पर बिजली दें तब तो सबको बिजली मिलने लग जाय, तो कटौती क्या होगी। इसलिये यह तय किया है कि जो डाइरेक्ट लाइन ले लें उनको तो दे दें अन्यथा उनकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसमें आश्वासन क्या देना है। अगर किसी को कोई कठिनाई है तो उसे लिख कर भेज दें, उसकी जांच करा ली जायेगी। (व्यवधान)

श्री शिवानन्द नौटियाल द्वारा उनके विरुद्ध सदन में कही गई बातों पर न्यायालय में मुकदमा दायर करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर चर्चा के स्थगन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

हम लोगों ने नेताओं की मीटिंग कल बुलायी थी। जो श्री शिवानन्द नौटियाल का विशेषाधिकार का प्रश्न था उसे दो रोज के लिये स्थगित किया जा रहा है। अब उसके ऊपर चर्चा दो रोज के बाद होगी। लेकिन इस बीच में जहां-जहां की उन्होंने मुझे लिस्ट दी है, वहां से जानकारी हासिल करूंगा और वे बातें क्या हैं इस्तगासा में, उसकी भी जानकारी मेरे पास आ जायेगी। इसलिये दो रोज तक के लिये इसे स्थगित करता हूं।

अब माननीय मुख्य मंत्री जी का केवल वक्तव्य होगा।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मेरी बात सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष --

मेरे कमरे में आकर आप सूचना दें।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

आज सुबह साढ़े 7 बजे रायल होटल में मेरे पास एक टेलिफोन आया ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे कमरे में आकर आप यह सूचना दें । (व्यवधान)

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जिसमें यह कहा गया है.....

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे कमरे में आ जायं ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

पुराने जितने भी पत्र थे उनका हवाला आपने दिया है लेकिन हमारा जनवरी, फरवरी का जो धर्मक्षेत्रे–कुरुक्षेत्रे निकला है उसको आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? मैंने कहा कि मैं नहीं जानता कि उसमें क्या लिखा है, इस पर उन्होंने कहा कि हमारे गुरु महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि "जो भी हमारे साथ शत्रुता करेगा हम उसको पानी के नीचे भी नहीं छोड़ेंगे ।" इसके बाद मैंने पूछा कि कहां से यह सन्देश आ रहा है तो तुरन्त टेलिफोन बन्द हो गया । मैंने इनक्वायरी से पूछा कि कहां से टेलीफोन था तो उन्होंने कहा कि नम्बर वगैरह तो हम नहीं बतला सकते लेकिन निरालानगर की तरफ का वह नम्बर था ।.....

श्री अध्यक्ष—

आप यह अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मैं अनुशासन का पालन कर रहा हूं । (व्यवधान) इससे सम्बन्धित एक वकील हैं जिनके यहां बड़ी सरगरमी है ।

श्री अध्यक्ष—

रोज आपको कोई धमकी दे और उसको आप रोज यहां आकर कहें, यह ठीक नहीं है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

यह सूचना मैं सदन को दे रहा हूं और जो स्थिति है उसे आपके समक्ष बतला रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप कमरे में आ जायं । (व्यवधान)

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, एक विधायक की जान को खतरा है और दो दिन के लिये आप उस पर चर्चा स्थगित कर रहे हैं । उसको धमकी दी गयी है और आप कहते हैं कि कमरे में आकर कहें और अनुशासन की बात आप कर रहे हैं । पूरा सदन चाहता है कि चर्चा तत्काल की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

आप उनकी बात सुन लीजिये । उनकी जान जा रही है । (व्यवधान)

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

आप पहले माननीय नौटियाल जी के बयान को सुन लीजिये। उनका जीवन खतरे में है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जी, मैं कहता हूं कि माननीय शिवानन्द जी के पास टेलीफोन आया। मैंने उनसे कहा कि कमरे में आइये और वहां शिकायत कीजिये। लेकिन वे मानते नहीं हैं और आपकी पार्टी के लोग शोर करते हैं कि सुनना पड़ेगा यानी मुझे हुकुम देते हैं। इस तरह से मुझे आज्ञा देने लगें तो मैं व्यवस्था नहीं कर सकता हूं। (व्यवधान) कार्यवाही मुझे करना है तो वह मैं अपने कमरे में कर सकता हूं वह मुझे सारी बात मेरे कमरे में शांति से बता दें, आप इनको रोक दीजिये, तो मैं जांच कर लूंगा और कार्यवाही करूंगा।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, मुझे खेद है कि किसी माननीय सदस्य के कारण आपको कष्ट पहुंचा। मैं आशा करता हूं कि आगे कोई इस तरह की कार्यवाही नहीं करेगा और माननीय सदस्य सदन के गौरव को रखेंगे। इसके लिये मुझे लज्जा भी है और खेद भी है।

श्री रामप्रसाद वर्मा, निवासी ग्राम बदरहा, थाना मनकापुर, जिला गोंडा की पुलिस हिरासत में मृत्यु के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

पुलिस रेकर्ड के अनुसार दिनांक 15-3-73 को गश्त पर तैनात थाना मनकापुर की एक पुलिस पार्टी को ग्राम बदरहा के चौकीदार ने रास्ते में यह सूचना दी कि ग्राम बनरहा में राम प्रसाद कुर्मी व उसके पुत्र विनोद कुमार तथा दूसरे पक्ष के हरिहर व हरे राम के बीच अरहर काटने के प्रश्न पर गंभीर झगड़ा हो रहा है। उक्त पुलिस पार्टी में एक सब-इंस्पेक्टर व दो कांस्टेबिल थे। सब-इंस्पेक्टर कांस्टेबिलों सहित घटनास्थल पर पहुंचे, झगड़े में शामिल चारों व्यक्तियों को धारा 151 जा0 फौ0 में गिरफ्तार करके कांस्टेबिलों के साथ थाना मनकापुर भेज दिया जहां उन्हें हवालात में बन्द कर दिया गया। उन सभी को कुछ चोटें आई थीं। उसी दिन शाम को मनकापुर चिकित्सालय में राम प्रसाद व हरेराम की प्राथमिक चिकित्सा कराई गई। 16-3-73 की सुबह चारों अभियुक्तों को दो कांस्टेबिलों के साथ जेल में भर्ती कराने के लिये भेजा गया। रास्ते में बस में ही राम प्रसाद की हालत खराब होने लगी, अतः दोनों कांस्टेबिल उसे सीधे जिला अस्पताल ले गये किन्तु अस्पताल पहुंचने से पहले ही राम प्रसाद की मृत्यु हो गई।

उक्त घटना के सम्बन्ध में मृतक राम प्रसाद के पुत्र विनोद कुमार का शिकायती-पत्र दिनांक 17-3-73 पुलिस अधीक्षक गोण्डा को प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि सब-इंस्पेक्टर राम समुझ पाण्डेय तथा थाने के मुंशी द्वारा पीटे जाने के कारण राम प्रसाद की मृत्यु हो गई। पुलिस अधीक्षक ने शिकायती-पत्र में नामजद सब-इंसपेक्टर को उसी दिन निलम्बित किया और उसे लाइन हाजिर होने का आदेश दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच हेतु परगना मजिस्ट्रेट, उतरौला को नियुक्त किया है। मजिस्ट्रेट द्वारा जांच जारी है।

राम प्रसाद की मृत्य के बाद थाना मनकापुर पर हरिहर व हरेराम के विरुद्ध धारा 304 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया जिसकी जांच थानाध्यक्ष, उतरौला द्वारा की जा रही है।

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

मृतक के पुत्र विनोद कुमार के शिकायती-पत्र में ऐसे किसी आरोप का उल्लेख नहीं है कि दरोगा ने राम प्रसाद की पिटाई घूस न देने के कारण की ।

दिनांक 18-3-73 को एक राजनैतिक पार्टी के लोगों ने उक्त घटना के सम्बन्ध में मनकापुर बाजार में एक जलूस निकाला जो उपाध्यक्ष, विधान परिषद् तथा स्थानीय लोक सभा सदस्य के निवास स्थान पर भी गया किन्तु उनसे जिलाधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना मिलने पर जलूस शांतिपूर्वक विसर्जित हो गया ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसमें शिकायत की गयी थी कि पुलिस के दरोगा और पुलिस के मुंशी ने थाने में उस व्यक्ति को मारा और जिसके कारण वह मर गया । आपकी रिपोर्ट में यह है कि राम प्रसाद की मृत्यु के बाद थाना मनकापुर में हरिहर और हरेराम के विरुद्ध 304 का केस कायम हुआ । मैं जानना चाहता हूं कि दरोगा और मुंशी के खिलाफ स्पष्टरूप से उस लड़के ने शिकायत की है कि इनके द्वारा मारने से वह मरा । तो दरोगा और मुंशी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं कायम किया गया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, उनको लाइन-हाजिर कर दिया गया है और यदि मैजिस्ट्रेट का आरोप उनके खिलाफ आयेगा, तो मुकदमा कायम हो जायेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

304 का केस मार-पीट के लिये इन्होंने कायम किया एक पक्ष पर कि उसने मारा रेसली या किसी तरीके से । अब दूसरा मुकदमा कैसे कायम करेंगे? क्या सरकार ने भूल नहीं की कि बिला मैजिस्टीरियल एन्क्वायरी किये ही 304 में दोषी ठहरा दिया और मैजिस्टीरियल एन्क्वायरी बेकार हो गयी?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, झगड़ा, हरिहर और हरीराम से उसका हुआ था । यदि मार-पीट भी हुई, तो इन्हीं लोगों में हुई । ऐसी परिस्थिति में इन्हीं पर मुकदमा कायम किया जा सकता था ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

क्या माननीय मन्त्री जी की जानकारी है कि जब दो पक्षों में मार-पीट हुई तो दोनों पक्षों को मनकापुर चिकित्सालय में भेजा गया । वहां इन दोनों पक्षों की कोई इन्जरी रिपोर्ट दर्ज हुई और हुई तो क्या?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, जिस समय यह थाने में रिपोर्ट लिखाई जा रही थी, इनकी चोटों का विवरण हुआ है । लेकिन इस समय इन्जरी रिपोर्ट की सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मरने के बाद मृतक का पोस्ट-मार्टम हुआ है? यदि हां, तो उसका विवरण देने की कृपा करेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट में है कि, 'इन माई ओपिनियन, दि डेथ वाज ड्यू टू...

अध्यक्ष---

आप हिन्दी में उसका ट्रांसलेशन कर दें ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

चोट के कारण और खून के बहाव के कारण उसकी मृत्यु हुई ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतावेंगे कि यह मार-पीट कितने बजे हुई थी और पोस्ट-मार्टम में जो चोटें लिखी हैं, वे कितनी पुरानी बतायी गयी थीं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, 17-3-73 को 2.00 बजे पोस्ट मार्टम हुआ । थाने में रिपोर्ट 15-3-73 को 12.30 पर अंकित की गयी ।

श्री जयराम वर्मा---

किस वक्त की यह घटना है और कितनी पुरानी चोट लिखी है पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट में, क्या इसे माननीय मन्त्रीजी बताने की कृपा करेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, चोट कितनी पुरानी है, पोस्ट-मार्टम में इसका विवरण नहीं है ।

एक सदस्य---

मान्यवर, हमको भी समय दीजिये ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

माननीय मन्त्री जी अपने वक्तव्य का ख्याल करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि जब नियम यह है कि 24 घंटे के अन्दर मुलजिम को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिये था, क्या कारण है कि थानेदार ने मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया और सीधे जेल भेज दिया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

गिरफ्तार करने के बाद और हिरासत में रखने के बाद तथा चालान करने के बाद वहां पर मजिस्ट्रेट के आदेश लेकर ही जेल भेजा जाता है ।

श्री राम विलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

18-3-73 को घटना के समय कुछ राजनैतिक पार्टी के लोग जुलूस निकालना चाहते थे और वह उपाध्यक्ष, विधान परिषद् तथा उत्तर प्रदेश से लोक सभा के एक मेम्बर थे जिनके निवास स्थान पर तैयारी हुई थी । जनता में आक्रोश था, जब जाकर थानेदार को और मुंशी को लाइन हाजिर किया । इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जख्मी लोगों को पुलिस अस्पताल ले जाती है, थाने में क्यों लाई? केवल पुलिस थाने में ले गई इस पर लोग मोअत्तल नहीं हुआ करते । क्या यह कारण नहीं हो सकता कि पुलिस की पिटाई के कारण यह लोग मरे हों, इसलिये 304 का मुकदमा पुलिस वालों पर क्यों नहीं चलाया गया, हरिहर और उनके साथी पर क्यों ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, संदेह पर किसी पर मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता । उनको लापरवाही के कारण ही मुअत्तल किया गया कि उन्होंने प्रापर ट्रीटमेन्ट क्यों नहीं कराया, इसलिये उनको निलम्बित किया गया । दरअसल मार-पीट तो हरिहर और हरेराम में हुई है और झगड़ा होने के फलस्वरूप मौत हुई इसलिये 304 का मुकदमा दायर हुआ ।

श्री रामविलास पांडेय--

कभी मामूली बातों पर या शिकायत पर पुलिस लाइन हाजिर नहीं हुआ करती। जख्मी लोग होते हैं बराबर पुलिस अस्पताल ले जाती है। लेकिन इसमें तो पुलिस द्वारा उसकी पिटाई की गई है और तब यह लोग मरे हैं। एक बात और अगर उनको लाइन हाजिर किया गया तो उन पर 304 का मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मेरी यह बात समझ में नहीं आती कि उन पर 304 का मुकदमा चलाया जाय जिनका उस झगड़े से कोई सम्बन्ध नहीं है। कानून को तो अपने हाथ में लिया नहीं जा सकता। अगर यह सिद्ध होगा तो उनको भी दण्डित किया जायेगा।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

डाक्टर ने पोस्ट-मार्टम में मौत का कारण चोट लिखी है, क्या वह चोटें मुद्दई की रिपोर्ट में भी दर्ज की गई है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

रिपोर्ट में जो चोटें हैं उनका इन्द्राज है और उसी इन्द्राज के आधार पर पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट में भी है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, मुझे इस केस की अच्छी जानकारी है। यह मेरे जिले का मामला है। यह जो रिपोर्ट लिखी गई है वह बिलकुल झूठ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री रामप्रसाद वर्मा-हरिहर वगैरा ने 12 साल पहले गिरवी रखकर जमीन ली थी और उस पर जोतता-बोता आया था। उस में अरहर लगी हुई थी काटने का सवाल था। इन लोगों ने थानेदार से मिलकर खेत काटना चाहा...उसने प्रतिवाद किया वहां थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ और थाने पर सूचना भेज दी गयी कि झगड़ा होने की सम्भावना है। उसके बाद यह लोग पकड़ कर लाये गये। चूंकि वह थानेदार उस पार्टी से मिला हुआ था, उसने चढ़ कर मारा। उसकी मृत्यु थाने में पिटाई होने के कारण हुई। यह फर्जी रिपोर्ट आयी है, इसकी जांच करायी जाय। उस मुंशी को लाइन हाजिर करने का क्या कारण था ?

श्री अध्यक्ष--

आप सी० आई० डी० की जांच चाहते हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मैं चाहता हूं कि सी० आई० डी० की जांच हो। यह जो मुकदमा चलाया गया है उसकी तहत में थानेदार की खिंचाई होनी चाहिए।

*श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, रामप्रसाद वर्मा और हरिहर में जो झगड़ा हुआ था वह सौ रुपये की बात थी और सी० ओ० ने तय किया था कि सौ रुपया दो और अपनी फसल ले जाओ। यह तय हो गया। लौटने के बाद पांडे जी, जो दरोगा थे, ने कहा कि तुम्हारी फसल लगी है। तुम क्यों दोगे। तुम काटो। जब वह सुबह पांच बजे, टट्टी फिरने गया तो वह खेत थाने से आधा फर्लांग पर था। उसने देखा कि हरिहर वगैरह खेत काट रहे हैं। उसने कहा कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भइया ऐसा करिबो। थाने पर चलो। वहां गाली गुप्ता हुई। थाने पर आये। थानेदार ने पूछा नहीं और मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि वह बेहोश हो गया। (शेम शेम की आवाजें) उसने पानी मांगा। दरोगा ने पानी नहीं दिया। रात में हरिहर नाथ जो दूसरी पार्टी के थे खेत काटते रहे। उसने हरिहर नाथ से कहा, उसके लड़के से कहा कि तुम अस्पताल ले चलो। जो पैसा खर्च होगा हम देंगे। लेकिन अस्पताल नहीं ले गये। उसने जब पानी मांगा तो मुंशी ने मारा। सुबह जब वह मरने के वक्त पहुंचा तो अस्पताल ले गये। वहां डाक्टर ने कहा कि इसकी अब कोई दवा नहीं है। यह मर जायेगा। वहां से चलने के बाद वह लारी पर बैठाया गया। छः मील के बाद वह मर गया। उसी लारी से सादुल्लापुर के दरोगा जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अब यह मर गया, छोड़ दो। 151 में चालान हुआ। यह सारी चीजें हुईं। मैं जानना चाहता हूं कि थानेदार के ऊपर 304 चलना चाहिए था वह क्यों नहीं चला। वह आज भी घूम रहा है। लोगों को उकसा रहा है। वह लाइन हाजिर है लेकिन मनकापुर जाता है। उसे क्यों नहीं जेल भेजा गया। (शेम शेम की आवाजें)।

*श्री देवेन्द्र नाथ मिश्र (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष महोदय, यह घटना मेरे क्षेत्र की है। मनकापुर थाने से लगा हुआ गांव है। उसके पास ही अस्पताल है। अरहर के खत को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों पक्ष थाने पर आये। थाने पर पैसा लेकर मृतक रामप्रसाद की पिटाई हुई। उसे रात को बन्द रखा गया। हवालात में जब वह चिल्ला रहा था तो छोटे मुंशी ने हवालात खोल कर उसे मारा कि तुम शोर मचा रहे हो। जब वह मरणासन्न हो गया तो उसे जेल पहुंचाया गया। जब उसको थाने पर लाया गया तो उसके क्या चोटें थीं। क्या उसका विवरण है? 6 मील के ऊपरउसकी मृत्यु हुई। यह घटना बिल्कुल सत्य है। मैंने और कई एम0एल0 एज0 ने लिख कर मुख्य मंत्री को दिया है। क्रोध में आकर वहां की जनता ने प्रदर्शन किया। यह बात सत्य है कि इस बात को दबाया गया है। थाने के अन्दर लाश को जलाने जा रहे थे। वहां के थानेदार और मुंशी का इसमें सरासर हाथ है। मैं खुद मनकापुर गया था। उनके परिवार के लड़के विनोद कुमार ने कहा कि मेरे बयान बदलवाने के लिये दबाव डाला जा रहा है और बड़े-बड़े लोग आते हैं। वे कहते हैं कि अगर बयान नहीं बदलोगे तो तुम्हें मार देंगे। वहां के दारोगा का सम्बन्ध श्री बांके सिंह से है जिनका संबंध मनकापुर स्टेट से है। यह गरीब किसान की जिन्दगी और मौत का सवाल है। वहां आतंक फैला हुआ है। वहां के लोग परेशान हैं। इसके पहले भी कई घटनायें हो चुकी हैं। इसकी न्यायिक जांच हो जांच खुलेआम हो और 304 का मुकदमा दरोगा और उस कांस्टेबिल के ऊपर दायर हो जिन्होंने इस प्रजातांत्रिक युग में निर्मम हत्या की है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

इस रिपोर्ट में लिखा है कि पहले वे झगड़ा कर रहे थे और पकड़े गये। पकड़े जाने के बाद मनकापुर थाने भेज दिया और हवालात में बन्द कर दिया। उसी दिन शाम को मनकापुर चिकित्सालय में प्राथमिक चिकित्सा करायी और दूसरे दिन 16-3-73 को 2 कांस्टेबिलों के साथ जेल में भर्ती करने के लिये भेज दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि ये पुलिस कर्मचारी हमारे बुद्धि भेद का लाभ उठा रहे हैं। कई विधायकों ने इस विषय की गम्भीरता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मान्यवर, इस प्रदेश में पुलिस के अत्याचार हिन्दुस्तान में सबसे आगे पहुंच चुके हैं। इस बात को मुख्य मंत्री जी मानेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में एक्सेप्ट किया है कि:

'Uttar Pradesh tops the list so for as murders etc. are concerned.

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बंशीधर पांडेय]--

अगर उसकी हालत पहले दिन ही खराब थी तो उसको उसी दिन अस्पताल भेजना चाहिये था । इसका मतलब यह है कि रात में पुलिस ने इतनी पिटाई की कि वह मर गया । पुलिस पीटती है और उनके डी0एस0 पी0, एस0पी0 तथा आई0 जी0 द्वारा जो जानकारी मंत्रीजी को दी जाती है उसी के आधार पर मंत्री जी को डिफेंड करना पड़ता है । मैं कहता हूं कि इसमें मंत्री जी को साहस के साथ काम लेना चाहिये । जितने संबंधित अधिकारी व कर्मचारी हैं उनके खिलाफ 302 या 304 जो भी दफा हो में मुकदमा दर्ज होना चाहिये और उन्हें जेल भेज देना चाहिये । आप जनतंत्र में पुलिस को अगर इतनी छूट दे देंगे तो हो सकता है आपकी जिन्दगी में भी यह बात आ जाये । जब आप पुलिस मंत्री से हट जायेंगे और आपके सामने ऐसी घटना आयेगी तो दुनिया उपहास करेगी कि आप इस तरह के बयान देते थे । कुछ नहीं कहा जा सकता सब की जिन्दगी में यह बात आ सकती है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन पुलिस के अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित करके उनके खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया था और एक मेमोरेंडम विधान परिषद के उपाध्यक्ष महोदय को भी दिया था । उसमें यह मांग की है कि इस थाने के सभी अधिकारियों और सिपाहियों को जो इससे संबंधित हैं तुरन्त स्थानान्तरित कर दिया जाये और तब इस केस की जांच की जाये । बड़े दरोगा और छोटे दरोगा केस पर प्रभाव डाल रहे हैं इसलिये दोनों को वहां से हटाया जाय । इन्होंने बांके सिंह का नाम लिया है लेकिन आपकी पार्टी के एक एम0 पी0 हैं जिनके कारण कोई कार्यवाही ठीक से नहीं हो पा रही है । इसलिये वहां से पूरा स्टाफ हटाया जाय तभी सही स्थिति आवेगी ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

बात तो इस पर बहुत हो चुकी है । श्री गंगा प्रसाद ने इस तरह से वर्णन किया कि जैसे कोई टेप रिकार्डर कह रहा हो कि यह हुआ और फिर यह हुआ । ऐसा लगता है कि आप सभी लोग इस राय के हैं और मैं भी सहमत हूं कि उन लोगों को वहां से तत्काल हटाया जाय और फिर इसकी इन्क्वायरी कराई जाय किसी ऊंचे आफिसर से, और अगर घटना में सच्चाई है और किसी राजनैतिक नेता या एम0 पी0 के दबाव में आकर यह चीज दबाई गई है तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाय और सजा दी जाय ।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

हटाने से तो काम नहीं चलेगा इसलिये पहले उनको सस्पेंड किया जाय । पुलिस का वहां बहुत आतंक है ।

श्री अध्यक्ष---

जो कार्यवाही हो सकेगी उसकी व्यवस्था करेंगे ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

जो प्रश्न कार्य-स्थगन के लिये आये हैं उनमें सिर्फ 2 और 5 वक्तव्य के लिये स्वीकृत हैं ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

देवरिया जिले की तहसीलों में पैरिल्ला कीड़ों से रबी की फसल की बरबादी . . .

श्री अध्यक्ष—

इस पर चर्चा पहले कई बार हो चुकी है।

श्री रामधारी शास्त्री—

यह प्रश्न नहीं है । यह दूसरी बात है । फसल तो बरबाद हो गई है सरकार नें इसको मान लिया है लेकिन सरकारी वसूलयाबी हो रही है और सैकड़ों वारन्ट जारी कर दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

वसूली के बारे में आप लिखकर दे दीजिये। मैं उनको भेज दूंगा । नं0 5 केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

ऐसा न करें, इस बारे में मैंने भी लिखकर दिया है । लाखों आदमी बेकार हो गया है । मैं भी कल्पनाथ सिंह जी के साथ हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

यह फिरोजाबाद कारखानों में बेरोजगारी और उद्योग विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में है, आपने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। जो मामला बड़ा गम्भीर है, इतना भ्रष्टाचार है उद्योग विभाग में . . . .

श्री अध्यक्ष—

इतना बड़ा मामला केवल वक्तव्य के लिए दिया था और उसके ऊपर फैसला हो गया कि सबको वहां हटा दिया गया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

तात्कालिक था वह । यह तो अर्थ-व्यवस्था से संबंध रखता है, उस डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार से संबंध रखता है, चर्चा का अवसर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य में सब चीजें आ जाती हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं दूसरी बात कह रहा हूं । ढाई घंटे की चर्चा करवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

पहले वक्तव्य हो जाय । बाद में देखूंगा कि ऐसी चीज है तो करा दूंगा । वक्तव्य पहले हो जाना चाहिये।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मैंने एक नियम 51 दिया था । रोज 15 दिन से आग लग रही है ।

श्री अध्यक्ष—

सवाल तो इस बात का है कि काम-रोको प्रस्ताव में लेना है या नहीं । मैं नहीं ले रहा हूं ।

1973–74 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान
अनुदान संख्या 36–सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान तथा अनुदान संख्या 43–प्रकीर्ण व्यय

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36–सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धन-राशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,86,32,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43–प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धन राशि के अतिरिक्त 17,70,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

स्वायत्त शासन ऐसी चीज है कि छोटे-मोटे कामों को जो लोकल हों उनको अपने आप करने का इसमें प्राविधान रहता है । जब बड़ा इन्तजाम हो जाता है तब सब काम नहीं हो पाता इसलिये आबादी के बढ़ने के साथ-साथ उनको अपनी जगह पर अपना इन्तजाम करने के लिये टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया म्युनिसिपल बोर्ड और कारपोरेशन को इस दृष्टि से काम करने का मौका दिया जाता है और अधिकार भी दिया जाता है । यह संस्था बहुत दिनों से चली आ रही है और इस चीज के संबंध में बहुत कुछ वाद-विवाद भी है इस प्रकार का कि क्या यह संस्था अब कारगर होगी या नहीं ? क्या जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इस प्रकार की संस्थायें काम कर सकती हैं जिनसे लाभ हो सकता है या नहीं या ये फेल हो गयीं ? इस प्रकार का एक बड़ा भारी प्रश्न हमारे सामने है कि हमारे यहां फेल हुई है या सारे देश में? सारे देश में फेल हुई हैं या और देशों में भी फेल हुयी हैं । क्योंकि अक्सर दे रखा जाता है कि लोकल बाडीज के सिलसिले में शिकायतें हो जाती हैं ।

(इस समय 12 बजकर 57 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

और ठीक-ठीक काम वह नहीं कर पाते । अक्सर प्रशासन को उन्हें सुपरसीड करना पड़ता है । क्या सुपरसेशन इसका एक इलाज है ? क्या सुपरसेशन के बाद जो उसका इन्तजाम होता है वह कुछ अच्छा हो जाता है ? ये सारे प्रश्न हैं जिन पर ऊपर से नीचे तक पूर्णतया विचार करना पड़ता है । यों आप व्यय में देखेंगे कि जो चीज हर साल होती आयी है वही चली आ रही है लेकिन सैद्धांतिक रूप से इस पर भी विचार करना पड़ता है और इसी को देख कर जो इनके ऐक्ट्स हैं वह भी बहुत पुराने बने हुए हैं । पिछली सरकारों ने एक कमेटी बनायी थी । एक कारपोरेशन के लिये और एक म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के लिये । उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ गयी है । हम विचार कर रहे हैं कि उसके साथ क्या करें कि ये ज्यादा ऐक्टिव हो जाय, ज्यादा धन उनको मिल सके और उस धन को सही-सही कामों में वह लगा सकें । यही नहीं, हमने एक कमेटी और बनायी है 5-7 लोगों की जिसमें कुछ बाहर के लोग भी हैं जो हमको जल्दी से जल्दी इस पर विचार कर के अपनी रिपोर्ट दे दें कि स्वायत्त शासन का ढांचा यही रहे या इसमें कोई तब्दीली हो । क्या इनके अधिकार और बढ़ाये जायं, किस प्रकार इनका परिवर्तन किया जाय कि इनकी ऐक्टिविटीज बढ़ जायं । विकेंद्रीकरण के सिलसिले में यह लाजिमी है कि यह चीजें बढ़ें और इनको हम ज्यादा अधिकार दें । इस दृष्टिकोण से सरकार ने अभी एक काम किया है । हमने इसका एक डायरेक्टोरेट अलग कायम किया है । अभी तक सारी चीज

सेक्रेटेरियट में आती थी जहां न उसकी ठीक से जांच हो पाती थी, न उसकी तरफ कोई ध्यान जाता था । अब हमने पूरे टाइम का डायरेक्टोरेट कायम कर रखा है और उसका दफ्तर कायम हो रहा है जो इसको देखेगा । हमने बहुत पहले से इसकी कुछ सेवाओं को सेंट्रलाइज कर रखा था लेकिन अभीतक उनके सर्विस रूल्स और ज्येष्ठता नहीं तय हुई थी । हमने सर्विस रूल्स बना दिये हैं । वह आब्जेक्शन्स के लिये गये हुये हैं और ज्येष्ठता भी तय कर दी है । हम एक सीवर बोर्ड बना रहे हैं । वाटर बोर्ड भी बना रहे हैं । अक्सर देहात में जो पानी हम देते हैं तो उस पेय जल योजना को मेंटेन करने वाला कोई नहीं है । इसलिये हम एक सीवेज और वाटर बोर्ड और डेवलपमेंट अथारिटी सजेस्ट करने जा रहे हैं । वह भी कौंसिल में पेश हो गया है । मेरा अन्दाज है कि इसी सत्र में आपके सामने भी पेश होगा । इस तरह हमने इसको बदलने की कोशिश की है ।

अब अगले साल जो काम हम करने जा रहे हैं उसकी रूपरेखा बता दूं । मैं थोड़ा सा कह दूंगा और आपके सुझाव मिलने के बाद अगर आपने वक्त दिया तो उन पर अपने विचार रखूंगा और जो सूचना चाहेंगे वह भी मैं दे सकूंगा ।

मान्यवर, 1973–74 के लिये वाटर सप्लाई का 6 शहरों में करने का हमारा टारगेट है । इसी वर्ष के लिये सीवरेज का 4 का है। इसी तरह रूरल वाटर सप्लाई की ओर भी हमारा विशेष ध्यान है । 2315 गांव में पहले हो चुकी है यह चीज, पिछले साल 438 गांव में हुई और इस साल का हमारा टारगेट 1977 का है। इस प्रकार टोटल 4730 गांव में हमारी यह स्कीम पूरी हो जाने की आशा इस वर्ष है । इसके अलावा कन्वर्जन आफ ड्राइ लैट्रीन्स के लिये भी हमारा टारगेट 12,500 रुपये का है।

मान्यवर, इनको ग्रांट देने का 350 लाख का हमारा टारगेट है । पिछले वर्ष भी हमने 323 लाख की ग्रांट दी थी ।

इनके द्वारा पिछले वर्ष 2245 मकान बनवाये गये । 2710 मकान इस वर्ष बनवाने का इरादा है । हाउसिंग बोर्ड जो बनायेगा वह इसके अतिरिक्त होंगे ।

अब तक जो ग्रांट्स हम देते थे वह केवल रोड्स के लिये होती थी । अब वह रोड्स ऐंड ड्रेनेज दोनों के लिये होगी । इसके लिये 162 लाख पिछले वर्ष हमने दिया, 162 लाख इस वर्ष भी देंगे ।

महंगाई भत्ते के लिये पिछले वर्ष 2 करोड़ दिया था । अब पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार अधिक देना पड़ेगा, इसलिये इस वर्ष के लिये 4 करोड़ रुपया रखा है ।

हम यह चाहते हैं कि हमारे यहां सर पर मैला ढोने की जो प्रथा है वह शीघ्र खत्म हो । इसके लिये हमने 9 लाख 70 हजार की ग्रांट दी है । हमें आशा है अगले साल तक यह प्रथा समाप्त हो जायेगी।

एक सबसे बड़ा काम कानपुर में गंगा पर "गंगा बैराज" बनाने का शुरू किया जा रहा है । इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे । काम शुरू करने के लिये हमने 5 लाख रुपये स्वीकार किये हैं ।

एन0एस0जी0ई0डी0 ने एक ऐसी मशीन तैयार की है सीवर्स की सफाई के लिये जो काफी सस्ती बनी है । उसके लिये मैं विभाग को बधाई भी देना चाहता हूं । आपने देखा होगा कि सीवर्स की सफाई का काम भी तेजी से हो रहा है । लखनऊ में भी आपने इस काम को होते हुए देखा होगा।

केंद्रीय सरकार से लखनऊ और कानपुर के लिये, स्लम क्लीयरेंस के लिये हमें ग्रांट मिली है । 1 करोड़ 46 लाख कानपुर के लिये और एक करोड़ लखनऊ के लिये मिला है ।

[श्री बेनी सिंह]

बनारस के लिये भी स्कीम बन रही है । आगरा की भी स्कीम है । आगरा को तो गवर्नमेंट ने ले लिया है । लेकिन इस काम को भी हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं ।

एक और काम हमने किया है, अभी डाक्टर साहब प्लानिंग कमीशन से आये थे । उनका कहना है कि जो बड़े शहर बसते हैं, उनके लिये यदि आप 50 वर्ष आगे की सिटी डेवलमेंट प्लान नहीं बनायेंगे तो आपकी हालत वैसी ही हो जायेगी, जैसी कि कलकत्ता की है । मान्यवर, वहां की हालत बड़ी खराब है । वहां की हालत यह है कि वह अपने यहां से जितना कूड़ा निकालते हैं उनको उठाकर फेंकने की क्षमता ही उनके पास नहीं है । इतना कूड़ा वहां निकलता है कि रोज-रोज उठाने के बाद भी नहीं उठ सकता है और जमा ही होता जायेगा और हो रहा है । इस दृष्टिकोण से हमारे नगर कानपुर के लिये उन्होंने एक स्कीम बनाई है, जहां सबसे ज्यादा गंदगी है, एक बड़ा औद्योगिक नगर है और जहां बहुत से स्लम्स हैं । उसका एक प्लान हम बना रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास जाएगा और हम चाहेंगे कि उसकी मंजूरी मिले ।

हमारे टाउन ऐंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने 4 टाऊन शिप का एक मास्टर प्लान बनाया है और रीजंस का । रीजंस का कि उसकी जमीन का और आसपास का डेवलपमेंट इन आर्डर हो सके, वह कोई हैपहैजर्ड-वे में न हो । अगले साल 7 टाउनशिप और 2 रीजंस हम और बनाना चाहते हैं ।

हमारा अपना हाउसिंग बोर्ड है, जिसने बहुत से नगरों में अपना काम करना शुरू कर दिया है । इसके द्वारा हम पश्चिम क्षेत्र में 5 नगरों में, मध्य में 3 क्षेत्रों में, पूर्व में 3 क्षेत्रों में और बुन्देलखंड में दो नगरों में, तथा देहरादून में हम काम कर रहे हैं । इस तरह से 15 शहरों में काम करना शुरू कर दिया है और बहुत जगह मकान बनवाये भी हैं । इस वक्त सब मिलाकर हमारा जो कार्यकलाप है वह 79 नगरों में विस्तृत है । इसको धीरे-धीरे हम और बढ़ना चाहते हैं । इसको हम लोन भी देते हैं, डिबेंचर्स भी लगाते हैं, इनके पास अपना पूरा स्टाफ भी है, जमीन का भी अधिग्रहण करते हैं और जमीन को लेकर, विकास करके फिर उसके प्लाट्स बनवाते हैं ।

संक्षेप में, श्रीमन्, मैंने आपको इसके कार्यकलापों का विवरण दिया । अब हम बहुत खामोशी के साथ, ध्यान के साथ आपके सुझावों को सुनेंगे । चूंकि इसमें बहुत खामियां भी हैं, इसमें मुझे पूरा संतोष नहीं है कि हमारी पालिकायें बहुत हेल्दी तरीके से चल रही है । आप यह कहेंगे कि हमें अपनी कमी नहीं बतानी चाहियें, लेकिन मैं बताता हूं और आपसे कहता हूं और चाहता हूं कि जिस प्रकार की बात आपको कहना है, जिस क्षेत्र की बात कहना हो, जिस विषय की बात कहना हो, आप कहें, हम उस पर विचार करेंगे। अभी हम यह चीज बनाने जा रहे हैं, मौका मिलेगा और आपका सहयोग मिलेगा तो अच्छी तरह से बनाने की चेष्टा करेंगे, उसको बनाने में आप लोगों के सुझाव मुझे बहुत कुछ रोशनी देंगे । रामधारी जी हमारे हंस रहे हैं । इस तरह से हंसने से काम नहीं चलेगा । आप इसको....

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

आप कह दें कि इसमें सब कूड़ा ही है ।

श्री बेनी सिंह—

यह तो अपने-अपने देखने की बात है । जैसा देखा जाए वैसा दिखाई देगा । किसी ने किसी जमाने में लिखा था, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, कि कोई अच्छाई देखना ही न चाहे तो उसे कैसे दिखाई जाए । अच्छाई देखते हुए भी जब कोई उधर से आंख मूंद ले और कहे कि हमें तो बुराई ही दिखाई देती है तो उसका क्या कहा जाए ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)––

हंसने पर तो आपने रोक लगा दी, लेकिन रोने पर तो रोक नहीं है ?

श्री बेनी सिंह––

मैं रोना तो कभी जानता ही नहीं हूं और आपसे भी यही चाहता हूं कि रोना नहीं हंसना ही। आपको हमें मजा देना है तो हंसते रहिए, कभी भी रोइये मत। रोने की अगर बात हो तो भी हंसते रहें।

श्री उपाध्यक्ष––

यह रोने की जगह कतई नहीं है। यहां आप हंस सकते हैं।

श्री बेनी सिंह––

आप के सामने जो विचार मैंने रखे हैं उन पर आप अपने सुझाव दें और आपके जो सुझाव आयेंगे मैं दयानतदारी के साथ उन पर विचार करूंगा और अगर कर सका तो बहुत जल्दी परिवर्तन लाने की चेष्टा करूंगा।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36––सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों की आलोचना करना और सुझाव देना।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43––प्रकीर्ण व्यय के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––सरकार की नीतियों तथा कार्य क्रमों की आलोचना करना और सुझाव देना।

मान्यवर, अपनी मांगों के सिलसिले में और उनके जस्टीफिकेशन में माननीय मंत्री ने जो बातें पेश की हैं, उन पर मुझे बहुत से सुझाव देने हैं। अभी तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम जिस तरह से चल रहा है वह अत्यन्त असंतोषजनक है। माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि उसके हल के लिये उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जो इस सम्बन्ध में एक ऐक्ट की रूपरेखा तैयार करने के लिये बनाई गयी है। उस कमेटी में माननीय मंत्री जी ने एक भी विरोधी पक्ष में बैठे हुए सदस्य को नहीं रखा है और खाली पार्टीबाजी का नजरिया रख कर उसे बनाया है।

श्री बेनी सिंह––

वह सदन की कमेटी नहीं है। उसमें एक बम्बई के सदस्य हैं और एक हैदराबाद के हैं। यह एक्सपर्ट्स की कमेटी है।

श्री चन्द्रभान शर्मा––

क्या इस हाउस के अन्दर हैदराबाद तथा बम्बई के स्टैंडर्ड का कोई आदमी नहीं रह गया था ? जो नीयत थी उसको आप छिपाने की कोशिश न करें। जब वह रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है तो उसको आज अनुदान पेश करते वक्त आप सदन के सामने रखते। अगर पेश नहीं हुई है तो मुझे उस पर शंका है। दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि आप जो म्यूनिसिपैलिटीज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्र भान शर्मा]

का कानून बनाने जा रहे हैं इसमें एक बड़ी भारी कमी है। इसमें इनडायरेक्ट चुनाव हैं, डायरेक्ट चुनाव नहीं हैं। डायरेक्ट चुनाव के अख्तियारात कहीं-कहीं टाउन एरियाज में रखे हैं लेकिन इतनी बड़ी यूनिट्स नगरपालिकाओं, महापालिकाओं के अन्दर जहां इतना बड़ा जन समूह रहता है उनको अपने राइट को एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिला। मैं आप से कहूंगा कि आप यहां इस नयी परम्परा को बनाने जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि लोकल बाडीज के चेयरमैन डायरेक्ट चुनाव से हों वर्ना वह बड़ी मनमानी करते हैं।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि लोकल बाडीज जनहित में बनाई जाती हैं लेकिन आप अपने गिरहबान में झांक कर देखिये, अपने विभाग की रिपोर्ट्स मंगा कर देखिये क्या आप सर उठा कर यह कह सकते हैं कि 25-26 साल आजादी के दौरान आपने इस प्रदेश के अन्दर क्या कोई ऐसी इकाई पैदा की जो यह कह सके कि जहां पर स्वच्छ जल और स्वच्छ शौचालय का पूर्ण प्रबन्ध हो सका हो ? अगर आप कर सकें तो मैं आपकी बात मानने के लिये तयार हूं लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब नेगेटिव में ही आयेगा। आप यहां पर जनहित की चर्चा कर रहे हैं लेकिन आपकी यह बात जनता के सामने नहीं आ रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुये आपको देखना चाहिये। इन 25 सालों के अन्दर आपने नगरपालिकाओं में जो तरमीम किये हैं उनके बारे में आप सोचिये कि उससे कितना जनहित हुआ है। आप जम्हूरियत पैदा करना चाहते हैं या नगरपालिकाओं के अख्तियारात को कम करना चाहते हैं ? आज आपने नगरपालिका के अख्तियारात को करटेल कर दिया है। उनका आपने गला घोट दिया है। सन् 1916 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में जो ऐक्ट पास हुआ था उसका मुकाबला आप आज की नगरपालिकाओं से करिये तो आपको पता चल जायेगा कि आप जनहित में क्या काम कर रहे हैं। आपने सारी चीजों को ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे दिया है जो कि अपना-अपना स्वार्थ देखते रहते हैं। नगरपालिकाओं के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है, उनकी पावर्स को आपने छीन लिया है। क्या यही आप जम्हूरियत को बढ़ावा दे रहे हैं ?

मान्यवर, तब की बात है जब कि नेहरू जी जिन्दा थे। वे नैनीताल में रह रहे थे। यहां से एक आदमी उनके पास डाक तकसीम करने के लिये गया और वहां कहीं पर फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके कम्पेन्सेशन के लिये उसके घर वालों को साढ़े तीन सौ रूपये की इमदाद दी गई थी। इत्तिफाक से उसी बीच इंग्लैण्ड में एक व्यक्ति नगरपालिका द्वारा बनाये गये एक पेशाब घर में पेशाब करने के लिये गया। जब वह बाहर पेशाब करके निकलने लगा तो उसके दरवाजे की कुन्डी बन्द हो गई। लिहाजा उस व्यक्ति को आधे घन्टे तक पेशाब घर के अन्दर ही रहना पड़ा। जब काफी शोर हुआ तब उसे बाहर निकाला गया। उसके उपरान्त उस व्यक्ति ने कोर्ट में मुकदमा किया और कोर्ट ने उस पेशाब घर के किवाड़ ठीक न बनावाने के लिये वहां की म्युनिसिपिल बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया। तदुपरान्त उस व्यक्ति को साढे तीन सौ पौंड का मुआवजा दिया गया। एक तरफ तो नगरपालिकाओं का यह हाल है दूसरी तरफ आप जनहित की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि जब आप एक नजरिया नहीं बनायेंगे, दिल व दिमाग इसके लिये नहीं बनायेंगे, उसे जनता के सामने नहीं लायेंगे, उनकी अच्छी प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आपकी यह नगरपालिकायें कामयाब नहीं हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके यहां जो लोग फरियाद लेकर आते हैं, प्रत्यावेदन लेकर आते हैं, पिटीशन्स लेकर आते हैं कि उनके साथ नगरपालिकाओं के अन्दर ये-ये अन्याय हो रहे हैं, उनके लिये आपके कोई सुनवाई नहीं है।

मैं एक दूसरी मिसाल आपके सामने देना चाहता हूं कि सन् 68 में करेना जिला मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष ने नाजायज तरीके से बिना किसी रिजोल्यूशन के सुपरि-

स्टेन्डेन्ट औवट्राई की पोस्ट को अबोलिश कर दिया। इस कार्य के लिये बोर्ड की मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन आना चाहिए था लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से मीटिंग के अन्दर उस पोस्ट को अबोलिश कर दिया और उसको 3 महीने की तनख्वाह देकर उसे घर भेज दिया। इस सम्बन्ध में सन् 68 से अपील की हुई है, पचासों चक्कर वह आदमी यहां के लगा चुका है लेकिन अभी तक उस मामले में कुछ नहीं हुआ है। आपके डिपार्टमेंट में एक निगम थे वे बहुत ब्लैकमेलिंग करते थे। उन्होंने कागजात नहीं दिये। मैंने फिर रामचरण जी से वे कागजात निकलवाये और हाई कोर्ट में वह व्यवित गया। हाई कोर्ट का यह मैन्डेट हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट 3 महीने के अन्दर इस मामले को तय कर दे वरना कोर्ट उस पर फैसला दे देगी। मान्यवर, 6 सितम्बर, 1972 का हाई कोर्ट का आर्डर है और कागजात दफ्तर में पड़े हुये हैं। मैं भी अहमद साहब के पास गया। मैंने लिख कर दिया तब पहली दिसम्बर को फाइल निकली और अब उसको फिक्र हुई कि कहीं कंटैम्ट का मामला न चल जाय तो 5 दिन के अन्दर फाइल को तय किया जाता है और दोबारा उनको ही मामला रिफर किया जाता है उन्हीं लीगल रिमेम्बरेन्सर को जिन्होंने रुपया ले लिया था और फिर जब उसी आदमी के पास भेजा जाता है तो फिर अपनी वही गलत राय लिख कर दे देता है और वही लिख कर हाई कोर्ट के पास भेज दिया जाता है और वह कर्मचारी बेचारा मारा मारा फिरता है लेकिन यह ब्यूरोक्रेटिक होल्ड आप पर जो है वह आपको कुछ करने नहीं देगा चाहे आपके कर्मचारी मक्खी मच्छर की तरह मर जावें लेकिन उनको उसकी परवा नहीं है।

दूसरी तरफ आपके सेक्रेटेरियट में जो कामों को हैंडिल करने का तरीका बन गया है वह अजीबोगरीब है। आप जो ग्रान्टें देते हैं वह मार्च के महीने में उसके पहले क्यों नहीं देते? जब तक यहां आकर म्युनिसिपल बोर्ड के लोग भेंट न चढ़ा दें पेट पूजा न कर दें तब तक वह कस ऊपर नेवाला नहीं है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको हम तारीफ भी करेंगे लेकिन आप इससे कैसे इन्कार करेंगे जो आज कल हो रहा है।

मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। आप यह देखिये कि आपके यहां से म्युनिसिपल बोर्डस को भी और जिला परिषदों को भी ग्रान्टें दी जाती हैं। म्युनिसिपल बोर्डस सिर्फ 13 फीसदी आबादी को कवर करती है बाकी 87 फीसदी आबादी तो जिला परिषदों से कवर होती है लेकिन आप आबादी के तनासुब से ग्रान्ट नहीं देते, जनसंख्या के मुताबिक ग्रान्ट नहीं देते। इस वास्ते कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्ज यहां आकर आपके ब्यूरोक्रेटिक सेट अप में जेबें गरम नहीं कर सकते। 13 परसेंट की आबादी के प्रतिनिधि वैसे भी उनको लूट लेते हैं और यहां आकर ज्यादा से ज्यादा ग्रान्ट अपने लिये ले जाते हैं। एक तो उनको ग्रान्ट मिलती ही कम है और अगर मिलती भी तो मार्च के महीने में मिलती है। अब मार्च में उसका सदुपयोग कैसे हो सकता है और किस तरीके से वह खर्च की जा सकती है। आप कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस्तेमाल कर लो लेकिन वह तो वेस्ट होगा। अगर आप जल्दी से जल्दी ग्रान्ट दे दें तो काम आसानी से हो जाय लेकिन आपके पास एक बहाना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट रोड़े अटकाते हैं लेकिन आपको कोई न कोई तरीका निकालना चाहिये जिससे कि फाइनेंस के आब्जेक्शंस के लिमिटेशंस कम हो सकें वरना आपके धन का दुरुपयोग होता रहेगा यह ग्रान्ट मौके पर जाकर 25 फीसदी ही प्रयोग में आती है और 75 फीसदी आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का स्टाफ, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी, चेयरमैन वगैरह-वगैरह खा जाते हैं और उस धन का सदुपयोग बिलकुल नहीं होता इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आइन्दा इस बात का खयाल रखेंगे कि ग्रान्ट उनको वक्त पर दी जावे।

मैं आपके जरिये से श्रीमन् माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं और उनको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले दिनों दिसम्बर में सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जल पेय योजना के मातहत हमको धन मिला है मैं जानना चाहता हूं कि उसमें से कितना धन खर्च

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

हुआ है। सिर्फ डेढ़ दो करोड़ रुपया खर्च हुआ। पचास बावन करोड़ में से 9 महीने तक तो डेढ़ दो करोड़ खर्च हुआ। जब प्रश्न पूछा गया तो मंत्री महोदय ने कहा कि हम तीन महीनों में उसे जरूर खर्च कर देंगे। मान्यवर, खत्म तो कर ही सकते हैं चाहे उसका वेस्टेज ही क्यों न कर दिया जाय। 18 डिवीजन इन 9 महीने में उस धन के लिये खुले, एक मेरे जिले में भी खुला लेकिन न वहां एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पहुंच सका, न एस0 डी0 ओ0 पहुंचा और न क्लेरिकल स्टाफ ही पहुंचा। तो अगर आप इस पर अपना कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या स्थिति होगी ?

मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। आपने अभी सेन्ट्रल सर्विसेज का जिक्र किया कि हमने बहुत से पोस्ट्स सेंट्रलाइज कीं लेकिन आप कभी यह फीगर्स दीं कि उत्तर प्रदेश में कितनी सेन्ट्रल सर्विसेज की पोस्ट्स खाली पड़ी हैं। लोग आप से मांगते हैं आपके पास आदमी नहीं। रेक्रूट आप करते नहीं। अगर रेक्रूट करते हैं तो उसके अन्दर जो मेम्बर्स बनाये हैं सेलेक्शन कमेटी के उनकी भी एग्जाम्पिल रख दूं। उसके मेम्बर हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी एस0 एन0 वर्मा, डिप्टी सेक्रेटरी देवीदयाल, और डिप्टी सेक्रेटरी के0 एन0 सिंह आज भी हैं। उन तमाम पोस्ट्स का पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चुनाव होना चाहिये ताकि लोगों को सही तरीके से इंसाफ मिल सके। लेकिन वह खाली रख दी जाती हैं और अपने भाई भतीजों को लगा दिया जाता है। अगर सेलेक्शन भी हुआ है तो इस बात की इन-क्वायरी कर लें। एस0 एन0 वर्मा के दो रिस्तेदार उनके अन्दर ले लिये, देवीदयाल का एक भाई बहनोई ले लिये, के0 एन0 सिंह का एक लड़का ले लिया। इस तरीके से तमाम रिश्तेदार भरे हुए हैं, मैं आपका ले लूं, आप मेरा ले लीजिये। फाइनेंस मिनिस्टर आपके लड़के को ले ले, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आपके भतीजे को ले लें। वही गड़बड़ डेमोक्रेटिक सेट अप में चल रही है। इस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस चीज को कंट्रोल कीजिये। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो किस प्रकार यूनिटें काम करेंगी ? कहीं पर सेनिटरी इंस्पेक्टर है तो एक्जीक्यूटिव आफिसर नहीं हैं, एग्जिक्यूटिव आफीसर है तो ओवरसियर नहीं है। जब हेडक्वार्टर पर काम नहीं होगा तो वहां से चेयरमैन या बोर्ड 6 हफ्ते इंतजार करने के बाद आपके पास कागज भेजता है। दो-दो साल लग जाते हैं आपकी सेंक्शन नहीं जाती। उनको तनख्वाहें नहीं मिलती हैं सैंक्शन न होने की वजह से। कोई भी कागज आता है तो उसमें लोग इंतजार करते हैं कि कोई आये तो सैंशन करें। आने का मतलब कितना खर्चा होता है। इन चीजों को दूर करने के लिए आपको सोचना ही पड़ेगा।

मान्यवर, एक चीज और आप से कहना चाहता हूं। जो आपकी सर्विसेज हैं उनके सर्विस रूल्स नहीं हैं जिसकी वजह से स्टाफ को परेशानी होती है। सीनियारिटी जूनियारिटी का रेकार्ड न होने से बड़ी गड़बड़ी होती है। इनके सर्विस रूल्स बनवाएं और जल्द से जल्द पब्लिश करवाएं।

जो ग्रांट्स आप देते हैं आम तौर से सबको सब टाउन एरियाज और म्युनिसिपल बोर्ड्स को बराबर ग्रांट देते हैं। इससे बड़ी इंजस्टिस होती है। ग्रांट का फारमूला बनाइये। एक लाख की आबादी वाले और 10 हजार की आबादी वाले दोनों को आप बराबर स्पेशल ग्रांट देते हैं। बजाय इसके पचास को आप इतनी छोटी-छोटी स्पेशल ग्रांट दें कि उनका काम अधूरा पड़ा रह जाय और जो रुपया दिया है वह बेकार हो जाय, ग्रांट आप सौ की जगह पर पचास, पचास की जगह पर पच्चीस और पच्चीस की जगह पर दस को दीजिये लेकिन जिस काम के लिए ग्रांट दें उतनी दे दें ताकि तीन चार छः महीने के अन्दर कम्प्लीशन रिपोर्ट मांग सकें और रुपये का सदुपयोग हो सके।

दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक रोड टैक्स है। हर साल यह बढ़ता रहता है। लेकिन इसका विवरण करते हैं पांच साल के बाद और 5 साल तक तमाम का

तमाम रुपया जो बढ़ता जाता है आपके यहां ब्लाक रहता है, वह किसी काम में नहीं आता है और इसका अन्दाजा आप नहीं रखते। इसका वितरण अगर साल व साल हो जाय तो आपके लिये भी फिजिबिल होगा और जनता को भी इससे राहत मिलेगी। ऐसे विलेजेज जिनकी आबादी पिछले दो चार सालों के अन्दर बढ़ गयी है, उनको भी टाउन एरिया होना चाहिये, जो टाउन एरिया हैं उनको नोटीफाइड एरिया होना चाहिये और जो नोटीफाइड एरिया है उनको म्युनिसिपैलिटी हो जाना चाहिये। लेकिन आपके यहां बड़ी भारी कमी है कि जो भी कागजात आ जाते हैं वे 7—8 साल तक पड़े रहते हैं और जनता को जो फायदा उससे होना चाहिये था वह नहीं हो पाता है। इस वास्ते इस सिलसिले में एक तो आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पार्टिकुलर हिदायत कीजिये कि जो भी टाउन एरियाज डेवलप कर जायं आबादी के हिसाब से और दूसरी चीजों के हिसाब से उनका ग्रेड बढ़ जाना चाहिये। वे रिपोर्ट दें और उन रिपोर्ट के ऊपर आपके विभाग को जल्द से जल्द कार्यवाही करनी चाहिये। वे इतने दिनों तक न पड़े रहे जिसकी वजह से उनकी तरक्की में बाधा पड़ी रहे।

दूसरी तरफ मुझे यह भी कहना है कि ऐसे म्युनिसिपल बोर्डस, ऐसे टाउन एरियाज और नोटीफायड एरियाज जिनकी 4 कटेगरीज हैं, आबादी के हिसाब से चौथे क्लास को थर्ड में, थर्ड क्लास को सेकेंड में और सेकेंड क्लास को फर्स्टक्लास में हो जाना चाहिये। जो कागजात आपके यहां पड़े रहते हैं उनकी वजह से जनता का अहित तो होता ही है, साथ ही साथ जो लोग वहां की सर्विसेज में हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको डी० ए०, टी० ए०, पे स्केल वगैरह जो मिलना चाहिये उससे भी वे वंचित रहते हैं और उनको बड़ी परेशानी होती है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से इस तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, वाटर टैक्स का ही मसला है। जिन लोगों के पास बड़े-बड़े मकान हैं, काफी पैसे हैं वे चाहे जितना खर्च हो अपने यहां टंकी से पानी लेते हैं और उन पर आप टैक्स लगाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन यह कौन सा तरीका है कि जो लोग वहां से 200—300 गज के रेडियस में रहते हों, चाहे उनके मकान के ऊपरे छप्पर भी न हो, केवल एक कोठे में रहते हों, और जिन्होंने वाटर टंकी भी नहीं लगायी और उस पानी का इस्तेमाल भी नहीं करते हों, फिर भी उनको टैक्स देना पड़े। इस मामले में कितनी दफा एजीटेशन वगैरह हुये लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसका मुख्य कारण यह भी है कि वहां की म्युनिसिपैलिटी को वाटर सप्लाई के लिये जो ऋण देते हैं उसकी जो किस्त होती है वह केवल इसलिये वसूल नहीं हो पाती है कि वे टैक्स उन गरीबों से वसूल करने की कोशिश करते हैं जिनको पानी नहीं मिलता। जिनको पानी नहीं मिलता वे जब टैक्स नहीं देते हैं तो उनके साथ झंझट होता है और आपका रुपया वहां ब्लाक रहता है। इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अपनी कमेटी एक बना दीजिये जो ऐडमिनिस्टेशन के बारे में एक रूपरेखा बनावे और इस चीज को खासतौर से नोट किया जाय कि वाटर टंकी जो नहीं लगाते हैं उनको टैक्स देना चाहिये या नहीं। एक आदमी या दो आदमी के यहां आपने पानी पंहुचा दिया, किसी हरिजन या गरीबों की बस्ती के अन्दर आपने टंकी लगा दी तो पूरे एरिया को वाटर टैक्स देने को मजबूर किया जाता है और अगर वह टैक्स नहीं देता है तो उसे आबियाना की तरह से अमीन के जरिये वसूल कराया जाता है, डिग्री करायी जाती है, जुर्माना कराया जाता है, यह बड़ा भारी अन्याय इस वक्त चल रहा है, इसका कोई न कोई समाधान होना चाहिये,

एक वाटर सीवेज की स्कीम आपकी चल रही है। वैसे अगर इसका जिक्र करूं तो आप शर्मिन्दगी महसूस करेंगे, इस वास्ते कि आप मुकाबला कीजिये हरियाना प्रान्त से जो एक बहुत ही छोटा सा सूबा है। जब कि आप चाहते नहीं हैं कि छोटे-छोटे सूबे बनें, और कहीं कोई सूबा बनाने की मांग की जाती है तो मजबूती के साथ उसकी जबानबन्दी कर दी जाती है। वहां भी वाटर सीवेज की स्कीम चलायी जा रही है, और वहां के लोगों को कितनी

[श्री चन्द्रभान शर्मा]—

राहत दी गयी है, लेकिन इस प्रान्त के अन्दर रुपया सैंक्शन होता है—तो एक शायर ने कहा है "अब और क्या बतायें हवायें बहार की, गुल हो चुकी है शमां हमारे मजार की ।" मेरे कहने का मंशा यह है कि कानपुर, लखनऊ, बनारस और आगरा वगैरह यहीं 4-5 जिले आपकी निगाह के सामने रहते हैं । इनको ही आप चाहे आजादी की हवा दे दीजिये, चाहे पहाड़ बना दीजिये, चाहे चमनिस्तान बना दीजिये । इनमें से एक मुख्य मंत्री का शहर है, एक आपका है और एक आध किसी और मंत्री का है । सारी सुविधायें इनको ही दी जाती हैं । ये तमाम सुविधायें आप छोटे-छोटे कस्बों और टाउन एरियाज को देने की कोशिश कीजिये । आप जो बोर्ड बनाने जा रहे हैं उसमें माननीय मनफूलसिंह जी को ही बिठा दीजिये । अगर आपने बरेली के किसी आदमी को बिठा दिया तो वह अपनी जगह की बात ही सोचेगा । आप अपोजीशन के किसी सदस्य को भले ही न बनायें । आपनी पार्टी के लोगों में से ही किसी को बनाइये, जो लोगों की मुश्किलात को जानता हो । उसे आप रख दीजिये ।

टाउन एरिया और म्युनिसपल बोर्ड की आमदनी के जरायें बहुत ही लिमिटेड हैं जिनको यदि वे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कागजात आपके यहां भेजते हैं तो उनके पास करने में बड़ी-बड़ी अड़चनें लगती हैं । जितनी देर यहां लगती है उतनी ही देर तक उस म्युनिसपल बोर्ड या टाउन एरिया को नुकसान पहुंचता है । बहुत सी चीजें और बहुत सा सामान म्युनिसपल बोर्ड को, टाउन एरियाज को और महापालिकाओं को हेल्थ बोर्ड के मारफत मिलती हैं । इन हैल्थ बोर्डों के मारफत सामान मिलने में भी बड़ी अड़चनें लगती हैं और परेशानी होती है । इसलिये आप अपना हैल्थ बोर्ड बनाइये और तमाम सामान उसके जरिये दिलवाइये ताकि सारी रूकावट दूर हो जाय और इस तरह की परेशानी न रहे ।

आपकी हाउसिंग और सीवेज स्कीमें चलती हैं जिनमें गरीबों की जमीनें एक्वायर कर ली जाती हैं और उनको बेघर बार का कर दिया जाता है । उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है और आपकी स्कीमें बरसों लटकी पड़ी रहती हैं । इस तरह से इन गरीबों के ऊपर दुहरी मार होती है । इस पर विशेष ध्यान रखिये और जहां तक हो सके इन लोगों की जो जमीनें ली जायें उसका मुआवजा उनको मारकेट रेट से तत्काल दिलाया जाये । आप जो मकान अपनी स्कीम के अन्दर बनाते हैं और जो बड़े आफिसर्स को एलाट हो जाते हैं उनके बजाय इन गरीबों को वे मकान दिये जांय । वहीं मिसाल है "अंधा बांटे शीरनी अपने-अपने को दे" । कहा जाता है कि आपके दिल में लोगों के लिये हमदर्दी है इसलिये मैं कह रहा हूं वरना और के सामने रोना अपने नैनों को खोना है

यह भी देख लिया जाय कि उनका क्या कसूर है । मुरादाबाद, गाजियाबाद और अलीगढ़ वगैरा ऐसे शहर हैं जिनकी नगरपालिकायें मुद्दत से ससपेंड पड़ी हैं, उनके बारे में क्यों कोई फैसला नहीं लिया जाता । यह केवल यहां की ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी की कमजोरी है । हालत यह है कि गाजियाबाद से डी0 एम0 और ए0 डी0 एम0 के यहां पढ़ाने के लिये और तमाम काम करने के लिये टीचर्स और कर्मचारी जाते हैं, उनके यहां पढ़ाते हैं बच्चों को और सब यह उनके फायदे के लिये चलाया जा रहा है, आप के पास लोग रोज आते हैं, वहां के सारे मामलात बताते हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जाता । नगरपालिका शामली, के चेयरमैन का जुलाई में नोटिस आया, उसने सपेंशन की रिपोर्ट दे दी, सारा काम ठप्प पड़ा है और 9 माह से आप सारे कागजात डाले पड़े हैं, बेवारिस बोर्ड चल रहा है, आप वहां के चुनाव करायें वर्ना यह वहां के नागरिकों के साथ बड़ा अन्याय होगा ।

एक सुझाव मुझे नजूल लैंड्स के बारे में भी देना है । जो जमीनें ऐसी हैं उन पर न तो कोई अख्तयार है, आप उनके कस्टोडियन हैं, उनका दुरुपयोग होता है और उसके सदुपयोग के लिये अगर वहां का बोर्ड कोई कागज भेजता है तो उसमें इतना अड़ंगा शासन

के स्तर पर लगता है कि उन की पूर्ति नहीं होती । या तो आप का यहां स्टाफ काम नहीं करना चाहता या इस मामले में आप का विभाग समय बिताना और टालना चाहता है । केराना म्युनिसपिल बोर्ड, जिला मुजफ्फरनगर की एक इतनी बड़ी सराय है कि जिस में बहुत बड़ी गल्ले की मंडी बन सकती है उस के लिये वहां की नगरपालिका ने 4–5 साल पहले कागजात यहां भेजे । पहले तो यह मामला सामने ही नहीं लाया गया और जब सामने आया तो आपकी ऐसी पालिसी चली कि नतीजा उसका यह है कि वह सराय गिरकर खंडहर हो रही है और कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता । अच्छा हो कि कोई तरीका निकालकर उस सराय को बोर्ड को दे दिया जाय ताकि वह वहां गल्ला मंडी स्थापित कर सके । इन शब्दों के साथ मेरी ओर से कोई कटु शब्द कहा गया हो तो उस की माफी मंत्री जी से मांगते हुये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं और आशा है कि मेरी बात को सामने रखते हुये वह उनको अमल में लाने की कोशिश करेंगे ।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के बाद अपने कुछ विचार रखने के लिये आपकी आज्ञा से खड़ा हुआ हूं । सुबह 11 बजे सदन में आकर मुझे पीजियनबाक्स में 3 पुस्तकें मिलीं । मैं आज क्या कहना चाहता था, उससे पहले ही मेरा विचार इन पुस्तिकाओं पर आकृष्ट हो गया। इसका कारण यह था कि उनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र, और हमारी भारतवर्ष की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का चित्र और प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय कमलापति जी त्रिपाठी का चित्र और माननीय अवस्थी जी का चित्र मैंने देखा और मैं उन्हीं में उलझ गया। वास्तव में जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये और जिस विचार से यह पुस्तिकायें छापी गई हैं उसमें तो कोई शंका नहीं कर सकता किन्तु उस उद्देश्य का पालन करने में जो खामियां हैं मैं उन की ओर मंत्री जी का आप के द्वारा ध्यान आकृष्ट करूंगा ।

पहली पुस्तक में ग्रामीण पेय जल व्यवस्था का जिक्र है । श्रीमन्, देहात में आज भी जो ऐसे वर्ग हैं जिन्हें मेहतर या भंगी कहते हैं उनके दरवाजों पर कुआं या हैंडपम्प बहुत कम मिलेगा । आज भी इस तबके के आदमी तालाब या गड्ढे छोटे-छोटे तालों में पानी पी रहे हैं । यह बात ऐसी है जिससे यह स्पष्ट होता है कि आजादी का प्रकाश अभी देहात के निवासी इन मेहतर समाज के परिवारों में नहीं पंहुच पाया है । अधिकतर यह बात हमारे सदन के माननीय सदस्य भी कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराया जाय श्रीमन्, दूसरी पुस्तिका है स्थानीय निकायों द्वारा पर्याप्त मात्रा में पेय जल उपलब्ध कराने की बात लिखी है । इसको देखकर तो ताज्जुब करना पड़ता है काफी टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया ही नहीं बल्कि नगर पालिकाओं में रहने वाले बाल्मीकि, सफाई कर्मचारी, मेहतर और भंगी कहलाने वाले शुद्ध पेय जल के लिये तरसते हैं । मैंने कई बार यहां सदन में निवेदन किया और आज भी, श्रीमन्, आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूं कि शायद हर बजट में प्रत्येक वर्ष जो स्वायत्त शासन मंत्री होते हैं, पिछले बजट में कोई और था अब कोई और हैं । इसलिये मैं दुहराना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र नगर पालिका पिहानी में लगभग 20 वर्ष होने को आ रहे हैं वहां पर बाल्मीकियों के 5 घर हैं जहां पर कुयें या हैंड पम्प की कोई व्यवस्था नहीं है और वे 20 साल से भी अधिक समय से मुहल्ला लोहानी में रहते आ रहे हैं आज भी वह परिवार शुद्ध पानी के लिये तरसते हैं । कहीं दूर से किसी कच्चे कुयें से पानी लेते हैं जो बदबू भी करता है और गन्दा भी है । आज भी जब मैं वहां श्री घुरई बाल्मीकी के घर जाता हूं तो उसी पानी से स्नान करता हूं और पीता हूं ताकि यह देख सकूं और उनकी तकलीफों को अनुभव कर सकूं ।

[श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि]

पिहानी में नगर पालिका के द्वारा 2 कोलोनीज सफाई कर्मचारियों के लिये बनायी गयीं हैं और वहां की नगर पालिका ने सरकार से बड़ी लिखा-पढ़ी की कि उनके लिये पानी की व्यवस्था कर दी जाय लेकिन जिलाधीश द्वारा यह उत्तर दिया गया है कि शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिये हमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ही कहा गया है और नगर पालिकाओं में नहीं जबकि इस पुस्तिका में लिखा है कि हम स्थानीय निकायों द्वारा पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेय जल उपलब्ध करायेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से आशा करूंगा कि जब वे अपना उत्तर दें तो इसका उत्तर जरूर दें कि ऐसे अधिकारियों के प्रति, जो सरकार के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, क्या होना चाहिये ।

एक और पुस्तिका है जिसमें लिखा है कि गंगा को कौन नहलाये । श्रीमन्, अगर संत कबीर दास जो शायद जिन्दा होते तो वे इसका सही उत्तर देते । जल से शरीर शुद्ध होता है लेकिन अगर जल ही गन्दा हो तो कैसे किसी को शुद्ध किया जा सकता है । जब मैं यह पुस्तिका पढ़ रहा था तो मुझे रामायण और त्रेता युग की एक घटना याद आ गयी । शबरी जाति की एक महिला से सब छूत-छात करते थे और आज भी लाखों वर्ष के बाद भी हमारे भारतवर्ष में वह महारोग विद्यमान है । मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब उस सरोवर के पास से गुजरे जो कि गन्दा हो गया था और जिसको शुद्ध करने के लिये बड़े-बड़े ऋषियों ने प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हुये तो भगवान राम ने कहा था कि जब शिबरी उसके जल को छुयेगी तो वह जल शुद्ध होगा । और जब उक्त अछूत कहलाने वाली महिला ने उक्त सरोवर के जल का स्पर्श किया तो उसका जल शुद्ध हुआ । जब तक इस भारतवर्ष के सबसे गिरे हुये तबके अछूतों में भी मेहतर, सफाई कर्मचारी उनकी कद्र नहीं की जायगी, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है । हीन भाव रखने से लोकप्रियता नहीं मिलेगी । श्रीमन्, मैंने गंगा एक नहीं गंगा, यमुना, अलकनन्दा और बड़ी दूर बद्रीनाथधाम के मार्ग पर भी कई नदियों में और इलाहाबाद में प्रयाग जहां कि तीनों नदियां मिलती हैं, इनके अतिरिक्त रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग वहां मैं हो आया हूं स्नान किया है लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस हरिजन अछूत तबके का जिसको भंगी कहते हैं, उसका उद्धार जब तक नहीं होगा, सारे संसार का उद्धार नहीं हो सकता---

"आद्भिमित्राणि शुध्यन्ति, सत्येन मनः ।
विद्यात पोभ्याम्भूतात्मा ज्ञानैर्बुद्धिः शुध्यति ।।"

श्रीमन्, शरीर को तो वहीं जल शुद्ध करेगा, अगर वह स्वयं शुद्ध होगा । लाखों वर्षों से यह दलील दी जाती है उपाध्यक्ष जी, पूज्य महात्मा गांधी के चित्र के नीचे बैठकर इनके आदर्शों के अनुरूप जब तक इनके सुधार की बात नहीं की जायेगी, तब तक सारे संसार का और हिन्दुस्तान का यह पानी साफ नहीं होगा, यह मेरी धारणा है । श्रीमन्, इसमें जो लिखा है माननीय अवस्थी जी आपके ही विचार इसमें हैं । मैं तो इनका इतना प्रचार करूंगा कि वह जन-जन तक पहुंच जाय । इसमें यह भी लिखा है कि इस प्रथा को मिटाने के लिये यह जो सिर पर मैला उठाने का पेशा है, इसको हटाया जाय, इसको बंद किया जाय । बड़ी सुन्दर बात है । मुरादाबाद जिले में अमरोहा में हमारी यू० पी० बाल्मीकी सभा के अन्तर्गत जब सफाई कर्मचारियों का सम्मेलन था, 24, 25, और 26 तारीख को तो माननीय मंत्री जी स्वयं गये थे । और भंगी मुक्ति अंदोलन चला था । 26 तारीख को, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने 25 मार्च को उद्घाटन किया था । लेकिन मंत्री जी के चले जाने के बाद मुझसे प्रश्नों की झड़ी लग गयी कि मंत्री जी ने भंगी मुक्ति और गंदे पेशे को हटाने के लिये, समाप्त करने के लिये, एक शब्द भी नहीं कहा । मंत्री जी के ख्याल बहुत अच्छे हैं और अधिकतर उन्होंने हम लोगों का ध्यान ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले भंगी भाइयों की ओर दिलाया था । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह आज जब अपना उत्तर दें तो कृपा कर इस चीज पर अवश्य प्रकाश डालें कि यह अस्पृश्यता निवारण कैसे होगा । मेरा

अपना ख्याल है कि यह सफाई के पेशे को जब तक एक ही तबके के आदमी करेंगे, तब तक यह अस्पृश्यता–निवारण कभी नहीं हो सकता है । आप कहेंगे कि हम इस तरह के साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं नगरपालिकाओं और अन्य निकायों में कि मैला सिर पर न उठाया जाय । हाथ के ठेले गम बूट दस्ताने आदि को सुविधा कर रहे हैं । लेकिन ये तो ऊपरी रूप है । यह मेरा निश्चित मत है कि अगर मेरे सुझाव पर अमल किया जाय, तो यह छुआछूत की भयंकर बीमारी अवश्य दूर हो सकती है । श्रीमन्, मैं निवेदन कर दूं कि एक हजामत बनाने वाले भाई के यहां हफ्ते में दो बार यदि कोई आदमी जाता है तो 5 मिनट में साबुन और गरम पानी लगाकर हजामत करने के वह 4 आने उससे ले लेता है और अगर वह आदमी एक महीने में चार बार उसके पास जाता है, तो 1 रुपये उस नाई को दे देता है सिर्फ हफ्ते में दो बार 5 मिनट काम करने पर नाई आठ आने वसूल कर लेता है । उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूं कि मैं 1950 में मुरादाबाद एक बार गया था । उसमें एक मेहतर सम्मेलन हुआ था और सारे प्रदेश के कार्यकर्ता आये थे । चौधरी गिरधारी लाल जी मंत्री थे, शायद हरिजन विभाग के थे, या संभवतः आबकारी विभाग के थे । उन्होंने उद्घाटन किया था, तब वहां के मेहतर भाइयों ने यह शिकायत की थी कि 6–6 महीने पर प्राइवेट घरों पर जो भंगी काम करने वाले हैं उनको 2 आने उजरत मिलती है । मैं निवेदन कर रहा था कि एक नाई को 5 मिनट में काम करने का 4 आने मिलते हैं, लेकिन आज भी 25 वर्ष हो गये आजादी के, प्रदेश के जो मेहतर भाई हैं उनकी स्थिति वैसी की वैसी है । मैं अभी कुछ दिन हुये गत माह अमरोहा गया था वहां पर मुहल्ले में मीटिंग की तब मुझे मालूम हुआ कि वहां पर मेहतर को 2 आने की बात तो दूर, हफ्ते में एक परिवार से पाखाना साफ करवाने की उजरत 2 रोटी ही मिलती है प्रोइवेट घरों में काम करने वाले मेहतर भाइयों को । जब यह हालत है तो आप अस्पृश्यता निवारण कैसे करेंगे । जिस प्रकार का कार्यक्रम आपने नसबन्दी का या गल्ला खरीदने के लिये बनाया है, वैसा ही कदम उतनी ही तेजी और दृढ़ता के साथ आपको प्रचार करके इस कार्य के निमित्त करना होगा, तभी अस्पृश्यता निवारण होगा। जब तक इस मेहतर तबके की आर्थिक हालत को आप नहीं सुधारेंगे, तब तक कुछ न होगा । जैसा कि यह भी कहा जाता है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा कि पूरा घर इनका काम करता है और इन मेहतरों की आय अच्छी है । यह कितना बड़ा अन्धेर है । आपको एक प्रकार का ऐक्ट, जिस प्रकार शारदा ऐक्ट बना था, बनाना होगा कि बाल्मीकी, मेहतर, भंगी समाज का कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होगी, सफाई का गन्दा काम नहीं करेगा । मान्यवर, मैं आपको बताऊं कि मेन होल की सफाई करने के लिये 15–16 साल के बच्चों को लगाया जाता है, मैंने अपनी आंख से देखा है, और उसका नतीजा कभी-कभी यह होता है कि उसमें से निकलने वाली गैस से उनकी आंखे जाती रहती हैं, बीमार पड़-पड़ गये हैं । जब तक इस तरह के आदेश, नही हो जायेंगे, तब तक यह प्रथा दूर न होगी । आपको तेजी के साथ और मजबूती के साथ यह आदेश निकालने होंगे अन्यथा एक ओर बड़े-बड़े लोग इस कमजोर तबके को उठने नहीं देंगे । अगर सचमुच आप अस्पृश्यता निवारण करना चाहते हैं तो आपको एक काम और करना होगा। इस वर्ग के सफाई का काम करने वालों को आप प्रारम्भिक वेतन 250 से शुरु करके 500 या 600 तक ले जाइये । यह मेरा सुझाव है । माननीय मंत्री जी जरा ध्यान पूर्वक सुन लें । यह आपके फायदे की चीज है, हम तो अपना इन्तजाम खुद कर हीं लेंगे और हमने तो कई रास्ते भी निकाल लिये हैं और स्कीम बना ली है किन्तु अधिक आमदनी पर गन्दा काम दूसरे लोग भी कर सकते हैं । मान्यवर, हरिद्वार में ज्वालापुर कस्बे में एक जूती बनाने वाले के यहां मैंने कहा कि हमारे चौधरी गिरधारी लाल आप ही के जाति के मिनिस्टर हैं—तो वहां पर काम करने वाले 5–7 लोगों ने नाराज होकर कहा कि वाह साहब हम कोई चमार थोड़े ही हैं, गिरधारी लाल जी तो चमार हैं, लेकिन मैंने कहा कि आप तो जूती बना रहे हैं,

[श्री कन्हैया लाल बाल्मीकि]

तो उन्होंने कहा कि हम जूती बना रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम चमार हैं। इसी तरह से अमीनाबाद में भी शर्मा बूट हाउस, सवर्ण समाज द्वारा चलाई जाने वाली धुलाई गृह कपड़ा धोने की दूकानें हैं।

इसी तरह से मुस्लिम तबके के लोग को जानता हूं जो जूते बनाने का काम करते हैं। इसलिये मैं कह रहा था कि जब इन भंगी भाईयों की, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह 250 से प्रारम्भ होगी और 600 तक जायगी तो मेहतर के बालकों के अलावा ठाकुर बनिये एवं अन्य समाज के लड़के भी इस काम में लग जायेंगे और फिर छूत छात का सवाल नहीं रह जायेगा माननीय मंत्री जी, इसको नोट कर लें। यह मूल मंत्र है। इससे इन मेहतर समाज के लोगों की गरीबी भी दूर होगी और अस्पृश्यता भी दूर होगी। मंत्री जी जब उत्तर दें तो इसका भी उत्तर देने की कृपा करें। मान्यवर, इसमें मलीन बस्ती का जिक्र है। मलीन बस्तियों की योजना में कानपुर और लखनऊ लिया गया है। हमारे भाई शिवलाल जी कानपुर के निवासी हैं और हमारे मंत्री जी भी कानपुर के निवासी हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहां एक बस्ती है जिसका नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। चूल्हा और खाना खाने की रसोई से कुछ ही दूरी पर मैला इकठ्ठा किया जाता है और बहाया जाता है। यहां तक होता है कि जब कही उस मैले में से चूहे निकल कर दौड़ते हैं तो उनकी थाली बर्तन को लांघ जाते हैं। इसलिये भंगी मुक्ति और अस्पृश्यता-निवारण की बात है तो हमारे जैसे लोग जो इस वातावरण में पले हैं उनसे सुझाव लें। मंत्री जी आप दौरा करें। आज पार्टी आफिस में भी कुछ बातें उठी थीं लेकिन मैं उनको दुहराना नहीं चाहता। वाराणसी में, आगरे में, फर्रुखाबाद में मलिन बस्तियां हैं। हरदोई में ऐसी बस्ती है कि जहां मेहतर समाज का भी सफेद कपड़े पहनने वाला आदमी गन्दगी के कारण बैठकर खाना नहीं खा सकता। इतनी बदबू आती है कि वह बैठ नहीं सकता। श्रीमन्, सरकार की तरफ से क्या मेहरबानी होती है जरा वह भी देख लें। कानपुर नवाबगंज की बात है। मंत्री जी आपके जिले की बात है। वहां सौ-सौ साल पुरानी बस्ती थीं। स्लम क्लीयरेंस की स्कीम में लोगों को हटाया गया। लोग इधर-उधर चले गये। कुछ लोग छावनी में चले गये। अब नगरपालिका ने जो क्वार्टर्स बनाये हैं उनका उनसे किराया लिया जाता है। उनके बाप दादों के मकान से उनको हटाया गया और अब जब नगरपालिका ने आवास की व्यवस्था की तो वह किरायेदार की हैसियत से रह रहे हैं। यह कैसा न्याय है। मेरा सुझाव है कि स्लम क्लीयरेंस में जहां की बस्ती हटायी जाय या तोड़ी जाय तो वहां के पुराने रहने वालों के लिये आवास की व्यवस्था होनी चाहिये। लखनऊ में पूरन दरोगा कोठी कहलाने वाली बस्ती इस स्कीम में आयी। वहां के लोग मारे-मारे फिर रहे हैं। जो मकान बनाये जा रहे हैं वह उन्हें नहीं दिये जायेंगे। बड़े-बड़े अफसरों के लिये मकान बन रहे हैं हुसेनगंज के पास डायमन्ड डेरी के पीछे एरिया है वह भी इस स्कीम में आ गया है। अभी मकान नहीं तोड़े गये हैं। लोग दौड़ रहे हैं और जगदीश शरण जी से मिल चुके हैं।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह की बस्तियों को हटा कर अच्छे मकानों का निर्माण किया जाये और वहां पर जो पहले रहने वाले लोग हैं उनकी सूची तैयार कर ली जाए। जो लोग सौ-सौ, पचास-पचास साल से वहां पर रहने वाले हैं उनके क्वार्टर बनवा कर हायर पर्चेज सिस्टम पर दिये जाएं। उनकी सहकारी समिति बना दी जाये या पृथक-पृथक उनसे किराये के रूप में मूल्य प्राप्त किया जाये। जब मूल्य भर चुके, अदा हो जाय तब उसका मकान का मालिक बन जाए। आज तक इस प्रदेश में करोड़ों रुपये केन्द्रीय सरकार से भी आए और हरिजन कल्याण विभाग द्वारा भी रुपये आये परन्तु सफाई कर्मचारियों के उनके निजी क्वार्टर कहीं नहीं बने। ये गरीब जब नौकरी से अलग हो जायंगे तो क्वार्टरों से निकाल दिये जायंगे। ये किराया भी देते हैं।

आपने आगरा के बारे में लिखा है। वहां पर तमाम बाहर से लोग घूमने आते हैं। वहां पर आप हरिजनों की बस्तियों में नालियों और गलियों की हालत देखें। खरंजों का भी नाम लिया गया। आपने हरिजनों का तो नाम लिया मगर भंगियों और मेहतरों का नाम नहीं लिया। किसी बाल्मीकी का नाम नहीं लिया। आप कहेंगे कि बाल्मीकी भी तो हरिजन हैं। मैं आगरा के बहुत से मुहल्लों को बताऊं, माफ करेंगे मंत्री जी, इस समय मुझे नाम याद नहीं हैं। जितनी जगह जाटवों—हमारी चमार बिरादरी के लोगों के मकान हैं वहां पर तो पानी, रोशनी, खरंजे सब हैं परन्तु जहां बाल्मीकी रहते हैं वहां पर नहीं हैं। मैं गांधी जायन्ती के उपलक्ष में आगरा गया था। इस तरह का भेदभाव है। जहां आपने हरिजन शब्द लिखा है वहां भंगी शब्द भी लिख दें। अगर आपने नहीं लिखा है तो इस पुस्तिका में उसको रख दें। माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देने की कृपा करें। अब 25 वर्ष हो गये अब और कितने दिन इस मेहतर समाज के उत्थान में लगेंगे?

मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि कोई सुधार नहीं हुआ है। शहरों और कस्बों में काफी सुधार हुआ है। बड़े परिवर्तन हुए हैं किन्तु इस मेहतर में। श्रीमन् मुझे एक शर याद आगया:

यह क्या सितम है कि पीरे मुगां
वही है अभी
नई है बज्म नई मय,
नये हैं पैमाने।

इन सब के बावजूद भी वही पुराने हजारों वर्ष के अत्याचार और छुआछूत के बरताव इनके साथ किये जाते हैं। मैंने आज भी ये चीजें बरेली, हरदोई, सीतापुर और शाहजहांपुर आदि शहरों में देखी हैं श्रीमन् मैं आप से क्या कहूं कि इस तबके के लोगों की कैसी बुरी दशा है। इस पेशे के कारण इतनी छूत इनसे की जाती है चाय की दुकान पर यह लोग बैठ कर चाय नहीं पी सकते। गरीब बेचारों को परेशानी हो जाती है। आप हमें इस गन्दगी से हटा दें। श्रीमन् प्रश्न उठेगा कि अगर आप इस गन्दगी से हमें हटा देंगे तो फिर उनकी यह टट्टी, मैला और कूड़ा उठाने वाले कहां से आवेंगे। इसलिये मैंने निवेदन किया था कि अगर अस्पृश्यता का निवारण करना चाहते हैं तो इस पेशे को करने वाले की तनख्वाह बढ़ा दीजिये। उस वक्त दूसरे लोग भी यह काम करने लगेंगे तब अस्पृश्यता का विनाश सरल हो जायगा। हरदोई में माधोगंज टाउन एरिया में मेहतरों के 8 क्वार्टर्स हैं। 20, 30 साल पुराने हैं। वहां उनके गधे भी रहते ह और उनको भी जब तब वारिश होती है तो परेशानी होती है। वहां के टाउन एरिया के चेयरमैन ने इस बारे में लिखकर भी दिया है वहां उनकी बस्ती में बरसात में पानी भर जाता है श्री लालन शर्मा और मैंने भी इसकी लिखित शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेरी प्रार्थना है कि प्रदेश में मेहतरों की दशा सुधारने के बारे में सरकार एक आयोग गठित करे जो महीने में अपनी रिपोर्ट दे मैंने पहले भी कई बार कहा है और आज फिर कहता हूं कि हमें मसीहा की अहसान से बचा लेना, तुम्हीं ने दर्द दिया है, तुम्हीं दवा देना।

श्री रामधारी शास्त्री—

यह दर्द देते हैं, दवा नहीं देते हैं।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—

मैं यह भी निवेदन कर दूं कि सफाई करने वालों को वर्दी समय पर नहीं मिलती है। मंहगाई बढ़ रही है। भैंसे को खिलाने के लिये 5 रुपया खुराक भी कम है। मेहतरों को भैंस के लिये कहीं 2 और कहीं ढाई रुपया रोज दिया जा रहा है और वह भी दो-दो

[श्री कन्हैया लाल बाल्मीकि]

माह तक नहीं मिलता है। मंत्री महोदय इस पर विचार करें। जो तनख्वाह मेहतरों को मिल रही है उससे बड़ी मुश्किल से वह अपना गुजारा कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मंत्री जी को मेहतरों से हमदर्दी है और वह उनकी दशा सुधारना चाहते हैं। दूसरे भी बहुत से नेता हैं जिनकी बात में असर है और लोग इनकी तरक्की चाहते हैं। लेकिन आज हमें समाज को बदलना होगा। जब तक आप समाज को नहीं बदलेंगे तब तक प्रदेश का सफाई कर्मचारी संकट में रहेगा। यदि कोई विदेशी इस स्वायत्त शासन द्वारा प्रकाशित साहित्य को देखेगा तो कहेगा कि वाह इस सफाई वाले पेशे के लिये सरकार ने क्या-क्या स्कीमें बनाई हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि उसको कार्य रूप में परिणित करने के लिए कौन सी स्कीम बनायी जायगी? वेतन आयोग को लागू करने के लिए अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि एक विभाग की अनोमली कमेटी बना दी गयी है। लेकिन इस पर अमल करने के लिए मंत्री जी कौन सी कमेटी बनायेंगे, क्या करेंगे जो यह देखे कि जो स्कीमें आपने बनायी हैं वह लागू भी की जाती हैं या नहीं। इस लिए मैंने निवेदन किया था कि इन सफाई कर्मचारियों की दुर्दशा और कठिनाइयों की सारी जांच करके पूरे प्रदेश में एक आयोग का गठन किया जाय जो इस प्रकार की रिपोर्ट दे। एक-एक जिले में वहां के जो सैनिटरी इंसपेक्टर हैं सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। श्रीमन्, अलीगढ़ से एक नेता आये थे, श्री मुन्ना लाल सुमन। उन्होंने कहा हरदुआगंज में एक सेनिटरी है वह अलीगढ़ जिले में लगभग 20 साल से है और एक भिश्ती और एक मेहतर जो नगरपालिका के कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी बराबर उसके घर पर रहती है चारा काटने के लिए, पानी भरने और सफाई के काम करने के लिये। बड़ी जायदाद इकट्ठी कर ली है उसने और एक ही जिले में 20 साल से घूम रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा कि किसी सैनिटरी इंसपेक्टर को एक नगरपालिका या टाउन एरिया या नोटिफायड एरिया में 3 साल से ज्यादा न रखा जाय, उनको दूसरे जिले में भेज दिया जाय।

एक चीज की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लखनऊ, कानपुर नगरपालिका में जो नये सफाई कर्मचारी रखे जाते हैं उनसे 7–7 सौ रुपया तक लिये जाते हैं। मैं तो समझता हूं कि 500 रुपये ही लिये जाते होंगे, लेकिन नगरपालिका के सदस्यों ने स्वयं बताया कि बाल्मीकि जी, अब तो 7–7 सौ उनसे लिया जाता है जो सफाई कर्मचारी रखे जाते हैं, जब नौकरी दी जाती है और वह पैसा सेनिटरी इंसपेक्टर और कुछ ऊपर भी चला जाता है। इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जब तक आप पूर्णतया तैयार नहीं हो जायेंगे और इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठायेंगे तब तक गरीबी दूर नहीं होगी और यह अस्पृश्यता की बात कभी दूर नहीं हो सकती।

क्वार्टर की बात इसमें लिखी है, आवास की बात है तो हरिद्वार की बात एक आध बात कही है कि वहां सफाई कर्मचारी छोटी-छोटी कोठरियों में किस प्रकार रहते हैं। मैंने देखा है कि 3 गज लम्बी, 3 गज चौड़ी कोठरी, उससे ज्यादा नहीं होगी उसमें आदमी रहता है उसकी औरत रहती है, उसका बेटा रहता है, उसकी बहू और दो एक बच्चे भी रहते हैं। कैसे गुजर करते हैं, मैं तो ताज्जुब करता हूं। फैसला नहीं कर सकता कि कैसे रहते हैं। यही नहीं, हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास तांगे इक्के खड़े रहते हैं। एक तबका और है कंजर बिरादरी का जो कि मेहतर के तबके से भी गिरा हुआ है, उसके बारे में हरिजन अनुदान जब आयेगा तो कहूंगा। तो जैसे आवारा लोग, कंजर लोग पेड़ों के नीचे पड़े रहते हैं, इसी तरह से गन्दगी में जहां तांगे इक्के खड़े रहते हैं, जानवरों का मल-मूत्र बहता रहता है वहीं थोड़े से सामान की गठरी बांध कर यह सफाई कर्मचारी मेहतर पड़े रहते हैं। मैं जब वहां गया तो मुझे वहीं बैठा कर बाजार से चाय मंगाई ताकि मैं भी अनुभव कर सकूं कि नेता जी तुम्हारे रहते हुए हमारी यह दुर्दशा है। यह-यह बीत रही है। श्रीमन, मैं निवदन करूंगा कि इस तबके को उठाने के लिये, इसकी गरीबी दूर करने के लिए और जो अस्पृश्यता, छूत-छात

फैली हुई उसको समाप्त करने के लिए शीघ्र एक आयोग का गठन किया जाय जो प्रदेश में जाकर सारी इन दुर्दशाओं को देखे और सही रास्ता तलाश करे। सरकार को सुझाव दे।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)--

आप क्या आशा करते हैं इस सरकार से ऐसी ?

श्री कन्हैया लाल बाल्मीकि--

इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मैं हृदय से माननीय मंत्री जी की भावनाओं की कद्र करता हूं, मैं आशा करता हूं कि वह अपनी योजनाओं पर अमल करेंगे और उनके अधिकारीगण और समाज के लोग मिलकर उसमें सहयोग देंगे, इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने अपने भाषण में महात्मा गांधी का नाम लिया। आये दिन आप महात्मा जी के नाम की दुहाई देते हैं। महात्मा जी ने हमेशा यह कहा कि गांव की स्वतंत्रा को बल दो, गाव स्वराज्य की बातें कीं, सत्ता के विकेंद्रीकरण की बातें कीं और उन्होंने कहा कि सत्ता का विकन्द्रीकरण पूरे तौर से नगर स्तर पर, टाउन एरिया स्तर पर गांव, सभा के स्तर पर करो। लेकिन आपने उस ओर कितना कदम बढ़ाया, इस बात पर आप जरा गौर करें। आप इस बात का बिचार करें कि टाउन एरिया, नगरपालिकाओं और नगरमहापलिकाओं को आपने क्या-क्या अधिकार दिये। दुनिया के अनेक राज्य हैं, जिनका उल्लेख करना ठीक नहीं होगा, उदाहरण के लिये अमरीका को लें ले, वहां के नगर प्रमुख को क्या अधिकार हैं। वहां की पुलिस उनके हाथ में है। यहां तक कि अपराधों के ऊपर नियंत्रण का अधिकार भी नगर निगम को है और यदि शहर में कोई बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसको शहर से निष्कासित करने का अधिकार वहां के नगर निगम के मेयर को है। लेकिन आपने किसी भी नगर महापालिका को यह अधिकार नहीं दिये बल्कि दिनो दिन आप उनके अधिकारों को छीन रहे हैं। पिछले वर्षों में मकानों के लिये लोन देने का अधिकार महापालिकाओं को था जिसे आपने हाउसिंग बोर्ड बनाकर छीन लिया। आप देख कि पिछले 6 वर्षों में, 1959 से 1965 के समय में महापालिकाओं ने कितना लोन लो इन्कम ग्रुप को दिया और हाउसिंग बोर्ड बनने के बाद 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश को कितना लोन दिया गया। आपको तुलना करने पर पता चलेगा कि 5 नगर महापालिकाओं ने जितना लोन दिया हाउसिंग बोर्ड ने पिछले 6 वर्षों में पूरा प्रदेश के लिये उतना लोन नहीं दिया। आप सारे अधिकारों को अपने हाथ में केन्द्रित करते जा रहे हैं।

अभी आपने प्राइमरी एजूकेशन को नगर महापालिकाओं के हाथ से ले लिया। हमने सुना है कि अपर हाउस में आपने सिवरेज ऐंड वाटर बोर्ड के लिये एक विधेयक पारित करा लिया। आप उनके हाथ से वाटर सप्लाई और सिवर लाइन की व्यवस्था भी लेने जा रहे हैं। अरबन डेवलपमेंट के नाम पर आप सारी स्कीमों को नगर महापालिकाओं के मातहत जो नक्शे पास करने का अधिकार था उसको भी लेने जा रहे हैं। तो अब नगर पालिकायें क्या करेंगी ? केवल झाड़ू लगायेंगी और चूंगी वसूल करेंगी ? क्या यही है आपका गांधी वाद ? क्या यही है सत्ता का विकेन्द्रीकरण ? क्या आपकी नीति रशियन पैटर्न पर नहीं चल रही है क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि उनके सारे अधिकारों को आप छीनते चले जा रहे हैं ? और सारे अधिकारों को आप अपने जेब में रखते चले जा रहे हैं और सारी स्थानीय निकायों को आप पंगु बना देना चाहते हैं। आज महापालिकाओं को इतना भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]

अधिकार नहीं है कि वे अपने सदन से जो प्रस्ताव पास करायें उनको कार्यान्वित भी करा सकें। मुख्य नगराधिकारी अगर सदन द्वारा पारित प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं करता तो नगर प्रमुख या उप प्रमुख के हाथ में उसके खिलाफ कार्यवाही करने की कोई शक्ति नहीं है। आपने मुख्य नगर अधिकारी को इतनी शक्ति दे रखी है कि वह वहां के सदन द्वारा पारित प्रस्ताव को चाहे तो कार्यान्वित कराये न चाहे तो न करायें। उसको आपने पूरी छूट दे रखी है। महापालिका का कर्मचारी यदि कोई गलती करता है तो उसको आपने पूरी छूट दे रही है। महापालिका का कर्मचारी यदि कोई गलती करता है उसकी चरित्र पंजिका में एन्ट्री आदि करने का अधिकार मुख्य नगराधिकारी को आपने दिया है, किन्तु मुख्य नगराधिकारी अगर कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ चरित्र पंजिका में एन्ट्री करने का अधिकार आपने मेयर या डिप्टी मेयर को नहीं दिया है। इस ओर भी आपको विचार करना चाहिये।

जहां तक टक्सों की वसूली और इन महापालिकाओं तथा टाउन एरिया आदि की आय का सवाल है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप सेल्स टैक्स तथा मनोरंजन कर का (व्यवधान) सारा पैसा खा जाते हैं। इन टैक्सों का कुछ प्रतिशत आपको इन महापालिकाओं को भी देना चाहिये क्योंकि सिनेमा घरों आदि की सफाई का प्रबन्ध तथा अन्य चीजों को तो यह नगर महापालिकायें ही करती हैं और वह उनकी सीमा में ही तो आते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये यह आवश्यक है कि मनोरंजन कर तथा सेल्स टक्स से होने वाली आय का कुछ प्रतिशत इन नगर महापालिकाओं को भी दिया जाय।

एक बात मैं और इन महापालिकाओं के जन प्रतिनिधियों के विषय में कहना चाहता हूं। सुबह से शाम तक कारपोरेटर्स को जनता का काम करना पड़ता है। उनको आप कोई सुविधायें नहीं देते। मैं 6 वर्ष तक महापालिका में रहा हूं। मुझे पता है कि कितनी परेशानी होती है। मीटिंग में आने के लिये उनको कोई भत्ता तक नहीं मिलता। इस संबंध में आपने अभी तक कोई नियम आदि भी नहीं बनाये हैं। उनके कार्य में और अधिक गति आ सके, इसलिये सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये जिससे कि वे अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें।

एक बात मैं महापालिका, टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया आदि के चुनाव के बारे में कहना चाहता हूं। जो नगरमहापालिकायें 3–4 साल से सुपरसीड पड़ी हुई हैं उनके भी आपने आज तक चुनाव नहीं कराये। मैं जानना चाहता हूं कि न कराने का कारण मंत्री जी बताने की कृपा करें। आप यह बतायें कि इनका चुनाव क्या आप शीघ्र कराने के लिये तैयार हैं? इसके अतिरिक्त जून तक अन्य महा पालिकाओं का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आप इस सदन में घोषणा करें कि उनका कार्यकाल समाप्त होते ही सबका चुनाव शीघ्र करा दिया जायेगा। यदि आपके अन्दर इस बात का साहस हो और आपकी जनतंत्र की दुहाई सत्य से परे न हो, तो आपको इस बात की घोषणा करनी चाहिये।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, टाउन एरिया, नगरपालिकाओं और महापालिकाओं के बारे में, आपका दृष्टिकोण क्या है? इस पर हमारे कटौती के प्रस्ताव को मूव करते हुए शर्मा जी ने जिस लचीलेपन से कहा, उसका हमें अफसोस है। जिस मंदिर का पुजारी हलवाहा रहा है, उस मंदिर की क्या दशा होगी। शासन, मंत्रिमंडल जब स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसका स्वशासन, प्रशासन कैसे ठीक होगा। सरदार पटेल ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है—यदि कोई चीज प्रशासन को ठीक रखने के लिये आवश्यक है तो वह उसका अनुभव नहीं है, प्रशासन का ठीक-ठीक संचालन करने के लिये यदि कोई उसके अंदर चीज होगी, तो वह उसका पर्सनल करेक्टर होगा, लोगों का व्यक्तिगत चरित्र होगा। जहां व्यक्तिगत चरित्र का अभाव होगा। वहां प्रशासन अक्षम होगा, फेल होगा, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा और प्रशासन का नाश होगा और जनता बर्बाद होगी। मैं कहना चाहता हूं जो आपके पंडित जी (मुख्य मंत्री) का शासन है, वह भ्रष्टाचार में झूम रहा है। ऐसे समय में

आपके विभाग से यह आशा करना कि वह उससे अलग होगा, पाक-साफ होगा, मृग-मरीचिका होगी। आप खाली चले जायेंगे भ्रष्टाचार में बिना डूबे, यह मेरे और किसी के समझने के बाहर की चीज है। आपने यह नहीं किया कि जो नगरपालिकायें कांग्रेस (आर) के बहुमत में नहीं हैं, उनको आपने परेशान किया ? उन टाउन एरियाओं को एड नहीं दिया ? आपने उन-टाउन एरियाओं को ऐड दिया और बिलकुल अनियमित रूप से दिया, जहां कांग्रेस के चेयरमैन हैं। 50 हजार रुपया आपने अनेक टाउन एरियाज को रोड-ग्रान्ट के रूप में दिया है, मैं जानना चाहता हूं कि उसका आधार क्या है ? यह जो आपने दिया है, वह किस आधार पर दिया है। जहां सड़कों का विस्तार कम है, उनको आपने 40 से 50 हजार तक दे दिया, लेकिन जहां पर सड़कें अधिक हैं वहां आपने ऐड नहीं दिया, क्योंकि वहां पर विरोधी दलों के लोग हैं। यह आधार प्रशासन नहीं आपका मंत्रिमंडल लेता है कि फलां-नगरपालिका-टाउन एरिया को ऐड दे दो और फलां को बन्द कर दो। जहां-जहां विरोधी दलों के लोग बैठे हैं, वहां-वहां उन लोगों को आप काम नहीं करने देना चाहते हैं। नौतनवां की लोकल बाडी को सुपरसीड करके आपने उसे अपने हाथों में इसीलिये तो लिया कि वहां पर विरोधीदल बहुमत में था।

इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है। रामपुर की नगरपालिका के अन्दर जो भ्रष्टाचार है, चाहे अधिकारियों का हो, चाहे चेयरमैन का हो, चाहे चुने हुए मेम्बरों का हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वह क्या आपसे छिपा हुआ है ? रामपुर की नगर पालिका के संबंध में वहां की जनता के भेजे हुए एक दर्जन शिकायती पत्र क्या आपके पास मौजूद नहीं हैं, उन पर क्या आपने जिलाधीश से रिपोर्ट नहीं मांगी ? और उनकी जांच और उत्तर से क्या यह नहीं निकला कि वहां भ्रष्टाचार है, उसको सुपरसीड करना चाहिये ? क्या यह सही नहीं है कि पिछले स्वायत्त शासन मंत्री जी ने रामपुर नगर पालिका को सुपरसीड करने के लिये पहले ही नहीं कह दिया था ? उसके बावजूद आपने पुनः जांच कराई और उसे धीरे से टाल दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा आधार आपका है आप क्यों नहीं एक ट्रिब्यूनल बिठालते हैं, जिससे जिनको भंग करना हो उसको उसके अन्दर रखकर उससे निर्णय मांगा जाये। आप अपने राजनीतिक चश्मे को उतार दीजिये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मंत्रियों को अपने पार्टी के राजनैतिक चश्मे को उतारकर प्रशासन चलाना होगा। आप पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, 9 करोड़ जनता के मंत्री हैं और आपको इन सभी के हित को देखना है। आप पूरे प्रदेश के मंत्री हैं और उस बाडी के एक सदस्य के रूप में बैठे हुए हैं। यह नहीं कि हमारी सरकार है, हमारे दल की सरकार है और उस दल का आदमी चाहे जितना खाना चाहे, खाने दो, और विरोधी न खाता हो तो कहो कि तुम भी खाते हो। यह बात अच्छी नहीं है। जिस महापालिका के सीमा क्षेत्र में मंत्री महोदय रहते हैं अगर कानपुर के भ्रष्टाचार को नहीं रोक सके तो मैं आशा नहीं कर सकता कि पूर प्रदेश को नगरपालिकाओं के भ्रष्टाचार को रोक सकेंगे।

एग्जिक्विटिव परिषद् की नियुक्तियों की बात है। नियुक्तियों के लिये आपने कमेटी बना दी। कौन कह सकता है कि वह नियुक्तियां निष्पक्ष हुई ? क्यों नहीं हुई ? अगर उस कमेटी के अन्दर नियुक्त लोगों के रिश्तेदार, एक्जिक्विटिव कमेटी के रूप में आये तो यह हिम्मत उन कमेटी के लोगों की क्यों पड़ी ? क्या उसके पीछे यह बात तो नहीं है कि मंत्री जी ने दबाव के कारण कई लोगों के नाम दिये। यदि मंत्री जी नाम न देते तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि अपने रिश्तेदारों को रोकता। यह चीज हुई या नहीं, क्या इसकी वह जांच करवायेंगे ?

बनारस महापालिका ने अपने शहर के लिये एक मास्टर प्लान बनाया, नगर की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। सड़कें छोटी पड़ गयी हैं। मास्टर प्लान पर विचार करके आपके पास भेजा। दो वर्ष के लगभग हो रहे हैं राज्य सरकार ने मास्टर प्लान पर विचार नहीं किया। आज तक गजट नहीं किया। महापालिका में बैठे हुए जन प्रतिनिधि जिस मास्टर प्लान को हिम्मत के साथ पास करते हैं, आपके यहां टेबिल पर पड़ी हुई है। क्या यह ढिलाई बरदाश्त की जानी चाहिये।

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]

आर बी ओ ऐक्ट के अन्दर जिस तरीके से एनक्रोचमेंट हो रहे हैं। नगरपालिकाओं ने मांग की कि आर बी ओ ऐक्ट को समाप्त कर दिया जाय। क्या आपने विचार किया। अगर सड़कें चौड़ी होती चली जायेंगी, नगर छोटा पड़ जायगा। आगे आने वाली जनता गाली देगी। वैसे आप लोगों को गाली की परवाह नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता 25 साल से गाली देती आयी है, बाल्मीकि जी कहते हैं कि 25 साल हो गये कोई परिवर्तन नहीं आया लेकिन मैं कहता हूं कि आप में भी कोई परिवर्तन नहीं आया, वही कांग्रेस के कीचड़ में पड़े हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता विस्मरणशील है। आपने अपना घड़े सा रूप बना दिया है। बोलने के लिये प्रजातंत्र बोलते हैं, न्याय बोलते हैं, बोलने के लिये कहते हैं कि समानता का व्यवहार लायेंगे लेकिन आपके कार्यों में इस प्रकार की कोई स्थितियां नहीं होतीं।

एल0एस0जी0डी0 की बात कह दूं। राज्य सरकार अनुदान देती है और कहती है कि एल0एस0डी0डी0 से काम करवाइये। एल0एस0जी0डी0 पर महापालिकाओं, नगरपालिकाओं का कोई नियंत्रण नहीं है कोई सुपरविजन नहीं है। चाहे जिस प्रकार का मैटीरियल चाहें लगा देते हैं। काम पूरा हुआ तो भी नहीं हुआ तो भी एल0एस0जी0डी0 अपने काम को सम्पन्न करके महापालिका को सौंप देता है। महापालिका का कोई नियंत्रण नहीं। आप ब्रिटेन की महापालिका, नगर निगमों से सबक लीजिये। जिस क्षेत्र में प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट का अंश खर्च होता है वहां पर नगरपालिका के चुने हुए प्रतिनिधि को निरीक्षण करने का, सुपरविजन करने का अधिकार है। लेकिन महापालिका और नगर-पालिका को अपने कर्जे के रुपये को खर्च करने वाले एल0एस0जी0डी0 के ऊपर कोई सुपरविजन का अधिकार नहीं है।

यही है न आपका प्रजातंत्र और सत्ता का विकेंद्रीकरण जिसकी आप दुहाई देते हैं। आपने कोई नई योजना नहीं रखी प्रशासन के अन्दर परिवर्तन करने की। जिस तरह से नौकरशाही तथा अधिकारी बढ़े हैं उसका परिणाम आज यह हुआ है कि एक आदमी कोई नक्शा देता है तो वह 7 हाथों से गुजरता है महापालिका के अन्दर। इसे कम हाथों से गुजरना चाहिये। उसके अतिरिक्त पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से राय लो, नजूल लैंड वालों से राय लो और एक तरह से सबकी राय लेने के लिये एक-एक नक्शे के पास होने में 6 महीने तथा साल भर लग जाते हैं। मेरा सुझाव है कि एक नक्शे को कम हाथों से गुजार कर कम समय में पास करना चाहिये। कानपुर, लखनऊ की नगरमहापालिकाओं में जिस तरह से अधिका-रियों का बाहुल्य हो गया है उसको कम कीजिये। ऐसा करने पर ही प्रशासन में आमूल चूल परिवर्तन होगा। जनता के हितों को दृष्टि में रखते हुए मैं इन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था।

मैं कुछ भ्रष्टाचार के मामलों का भी जिक्र कर दूं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

जहां नहीं है वहां की चर्चा कीजिये। बाकी तो है ही।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

मेसर्स कलिंगा पाइप तथा मेसर्स शर्मा एंड कम्पनी ने गत वर्षों में जो पाइप की सप्लाई की वे डिफेक्टिव थे जिसके बारे में इस सदन में भी प्रश्न उठाया गया और एक माननीय सदस्य ने आपको लिखकर भी दिया कि इसमें गड़बड़ी है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने उस संबंध में आज तक क्या कार्यवाही की? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की?

कांग्रेस के प्लेटफार्म से श्रीमती राजेंद्र कुमारी बाजपेयी बड़ी लम्बी चौड़ी भाषा का इस्ते-माल करती हैं। जब वह एल0एस0जी0डी0 में थीं जो फर्म्स ब्लैक लिस्ट में आ गयी थीं

उनके लिये यह आदेश दिये कि उनके टैंडर्स पर भी विचार किया जाय और उनके नाम बल्कि ब्लैक लिस्ट से काट दिये जायं । ऐसे आदेशों से जनता पर क्या प्रतिक्रिया होती है ? क्या यह भ्रष्टाचार का माध्यम नहीं है?

मैं आपके माध्यम से इस सदन में सबसे बड़ी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि अलीगढ़ तथा मुरादाबाद मे जलकल व्यवस्था प्राइवेट फर्म्स करती हैं । बार-बार वहां की जनता तथा नगरपालिका के द्वारा लिखे जाने पर भी आपने जलकल व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ली । यद्यपि वहां पानी की सप्लाई ठीक नहीं है । रोज शिकायतें आती हैं लेकिन आप उसको अपने हाथ में लेने के लिये तैयार नहीं है । आप आगे के लिये भी लेने को तैयार नहीं होंगे क्योंकि आपने वाटर एंड सीवेरेज से संबंधित जो विधेयक अपर हाउस में रखा उसमें भी आपने कोई जिक्र नहीं किया। क्या इसका वही कारण तो नहीं है जो कि हिन्डालको का है ? श्रीमन्, रास्ते भूलने पड़ेंगे । आपकी इन बड़ी-बड़ी बातों से जनता होशियार हो गई है और आने वाले सालों में आपको इसका जवाब मिलेगा । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप जनता के हित के बारे में विचार करें और उसके जीवन के साथ खिलवाड़ न करें । आप सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज की बात ले लीजिये । शासन ने यह सोचा था कि इससे जनता का हित होगा लेकिन क्या हुआ ? मैं कहना चाहता हूं कि बनारस में अभी तक मुगल कालीन सीवियर लाइनें हैं जिसमें कि हाथी भी निकल सकता है । वे अभी भी काम कर रही हैं । वे सीवियर की लाइन और पाइप इस तरह की हैं जिसकी जानकारी आपके ओवरसियर और इंसपेक्टर को वर्षों में हो पाती है । ऐसे ओवरसियरों और इंसपेक्टरों को यदि आप दूसरी जगह भेज देते हैं तो क्या स्थिति होती है ? दूसरी जगह जाकर वे अनभिज्ञ होते है । और वहां पर आने वाला व्यक्ति भी अनभिज्ञ होता है । आपकी जो सेंट्रलाइज सर्विसेज हैं, उन्हें समाप्त करना चाहिये नगरपालिका स्तर पर । अगर कोई कर्मचारी गलत काम करता है तो उसका ट्रान्सफर कर देना ही उसका हल नहीं होता है । उसको दन्ड भी मिलना चाहिये । इसमें कोई दलील नहीं दी जा सकती है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अवश्य कार्यवाही होनी चाहिये ।

नियमों के विरुद्ध हो रहे कार्यों के बारे में भी आपका ध्यान माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा खींचना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी मुझे इसके लिये क्षमा करेंगे मैं उनके भाषण से और बिचारों से बड़ा प्रभावित हुआ हूं । जब कभी मैं आपके कमरे में जाता हूं तो आप बड़े सिद्धान्त वादी भाषण देकर हमें भुला देते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि नियमों के अन्तर्गत रहने में आपको कितनी बड़ी हमदर्दी है । क्या आदर्शवाद में यह बात भी शामिल होती है ? इससे नवयुवकों में कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी । मैं पूछता हूं कि किसी नगर पालिका में इक्जीक्यूटिव आफीसर रखे जाने के लिये क्या आपका यह निर्णय नहीं है कि कोई व्यक्ति उसी नगरपालिका में इक्जीक्यूटिव आफीसर नहीं रखा जायेगा जहां का वह निवासी हो ? फैजाबाद नगरपालिका के अन्दर आपने क्यों ऐसा इक्जीक्यूटिव आफीसर रखा ? इसका क्या कारण है ? मुगरा-बादशाहपुर और जौनपुर में क्या स्थिति है । आपने वहां पर क्या भेजा । यह कौन सी स्थिति है ? मैं आपसे जवाब चाहता हूं । मेरठ की टाउन एरिया में अग्रवाल मंडी को आपने एक पैसा भी नहीं दिया खंगल खेड़ा में जनसंघ का हाथ है ? इसे भी आप स्पष्ट करें यदि कोई आरोप वहां पर हों ।

उपाध्यक्ष जी, मेयर्स कान्फेरेंस में एक प्रस्ताव पास हुआ था जिस पर कि पिछली सभी सरकारों ने अपनी मुहर लगाकर मान्यता दे दी थी कि किसी भी मेयर के द्वारा अपनी नगरपालिका के अधिकारी के ट्रान्सफर के संबंध में सिफारिश की गई तो उसको स्वीकार कर लिया जायेगा । इस प्रस्ताव को चौधरी चरण सिंह जी जैसे मुख्य मंत्रित्व काल में उन्होंने सहमति दी थी । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वे कौन सी नई मान्यतायें आ गई जिनसे उन पुरानी मान्यताओं को

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]

तोड़ दिया गया जो कि मेयर्स कानफेरेंस के अन्दर एक प्रस्ताव के अन्तर्गत पास हुआ था। मैं कहना चाहता हूं कि कौन सी नई योजनायें आपने बना दीं। और इधर तो उनको खाद्य विभाग भी मिल गया है। स्वशासन विभाग के बोझ से तो मंत्री जी दबे हुए थे ही, अब खाद्य विभाग का काम और मिल जाने से कैसे वे स्वशासन विभाग में आमूलचूल परिवर्तन कर पायेंगे जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है।

बड़े-बड़े और छोटे-छोटे नगरों में उसके बाहर जमीन को लेकर मिल्क कालोनीज बनाने की जरूरत है, क्या उसकी तरफ मंत्री जी का ध्यान जा सकेगा? नहीं जा सकेगा। मंत्री जी ने गंदी बस्ती सुधार योजना की बहुत बड़ी बात कही। लेकिन आगरा और कानपुर में तो यह योजना लागू की गयी है। क्या बाकी जगहों में गन्दी बस्तियां नहीं हैं? टाउन एरियाओं में सफाई मजदूरों के लिये क्वार्टर्स बनाने की स्कीम है क्या? बिलकुल नहीं है। मिर्जापुर और कछुआ बाजार के अन्दर सफाई मजदूरों के लिये क्वार्टर्स बिलकुल उपलब्ध नहीं हैं और एक नहीं सैकड़ों टाउन एरिया ऐसी हैं और नगरपालिकायें ऐसी हैं जहां ये क्वार्टर्स बिलकुल नहीं हैं। आपके बजट में इसके लिये कोई प्राविधान भी नहीं है।

हाउसिंग बोर्ड की बड़ी प्रशंसा आपने कर दी। उसके बारे में भी मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। उसका निर्माण इस आधार पर हुआ था कि व्यावसायिक दृष्टि से यह संस्थान चलेंगे। हाउसिंग बोर्ड ने पिछले साल डेढ़ वर्ष में जो काम किया है वह आपसे पिछले वर्षों की तुलना में अधिक किया है। इस बात को स्वीकार करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं है। लेकिन उसने कितना लोन सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया, कितना लाइफ इंश्योरेंस निगम से लिया, कितने परसेंट ब्याज उसको देना पड़ा, कितना लोन उसने दूसरों को दिया और कौन सी स्कीमें कार्यान्वित कीं, कितना ब्याज उसने प्राप्त किया, इन सब बातों का तुलनात्मक अध्ययन करके आपको देखना चाहिये। मैं पूछता हूं कि क्या आप डिटेल में बता सकते है कि हाउसिंग बोर्ड ने जितना लोन लिया था उस पर कितना ब्याज उसको अदा करना पड़ रहा है और कितना हाउसिंग बोर्ड को मिला है। मैं समझता हूं कि इसमें कई लाख रुपये के घाटे का बजट आपके सामने होगा। मैं कहना चाहता हूं कि हाउसिंग बोर्ड जितनी स्कीमें लाना चाहती हैं और जिस तरीके से ऋण की व्यवस्था करना चाहती हैं उसका पूरा-पूरा नक्शा आपके सामने होता नहीं है। ऋण की व्यवस्था के बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। 15 साल पहले अल्पावास योजना के लिये ऋणज 12 हजार और मध्यमावास योजना के लिये 25 हजार रुपये तक ऋण देने की व्यवस्था थी। अब चीजों के दाम ाई गुने और तिगुने हो गये हैं। जो ईंट के भाव 30 रुपये और 40 रुपये हजार थे अब वह सौ रुपये हजार से भी ऊपर हो गये हैं, सीमेंट जो सवा पांच रुपये बोरी बिकती थी अब 18 और 20 रुपये तक ब्लैक में बिक रही है, लोहे के दाम बढ़ गये हैं लेकिन आपने क्या किया है। आपने साढ़े 12 हजार को बढ़ाकर 14 हजार कर दिया और मैं पूछना चाहता हूं कि अब कोई छोटी आय वाला साढे 14 हजार में जितने स्क्वायर फीट पर मकान बनाना चाहता था बना सकता है? नहीं बना सकता। इसी तरह से मिडिल इंकम ग्रुप वाले 13 सौ स्क्वायर फीट का ही निर्माण 25 हजार में कर सकेंगे, बाकी का निर्माण नहीं करा सकेंगे। तो यह लोन कौन लोग ले जायेंगे। वह लोग ले जायेंगे जिनके पास पहले से बी टाइप का मनी है और उसको छिपाने के लिये वह धन ले लेंगे और उसके बहाने उस बी टाइप को भी लगाकर मकान बना लेंगे, वही लोग लोन ले सकते हैं, गरीब आदमी लोन नहीं ले सकते हैं और साढ़े 14 हजार में मकान नहीं बना सकते हैं। मैं आपसे इसलिये कहता हूं कि इस साढ़े 14 हजार को कम से कम 20 हजार करें और 25 हजार को 40 हजार करें ताकि जो धन आप देवें उसका पूरा-पूरा उपयोग हो सके और गरीब और मध्यम श्रेणी के लोगों को जो लाभ होना चाहिये था वह हो।

मैं एक अन्तिम बात कह कर खत्म करना चाहता हूं। माननीय उपाध्क्षय जी, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग के अन्दर जो थोड़े से ट्रांसफर उन्होंने आमूल चूल परिवर्तन करने की दृष्टि से किये भी हैं उनके लिये मैं यह नहीं कह सकता कि ट्रांसफर करते वक्त उन्होंने अपने विवेक का कितना प्रयोग किया है। उसमें उन्होंने अगर भ्रष्ट कर्मचारियों का ट्रांसफर किया है तो ईमानदार कर्मचारियों का भी ट्रांसफर कर दिया।

श्री बेनीसिंह—

वह भी आप लोगों की सिफारिश पर ही किया होगा।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

क्षमा करिये, मेरे नाम से कोई सिफारिश आपको नहीं मिली होगी।

वह कौन सा आधार था। यदि आप जानना चाहते हैं तो वह सूची भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा जिसमें आपके हाथों द्वारा अन्याय हुआ है। सिफारिश की बात मैं नहीं करता। आप भी कभी-कभी सिफारिश के विरोधी बातें करते हैं लेकिन सिफारिश की बात तो मैं कोई सही भी नहीं समझता यदि ओवरसियर और एक्जीक्यूटिव आफिसर्स की नियुक्तियों के अन्दर धांधलियां न हुई होतीं। आपके कार्य काल में इस तरह की धांधलिया हुई हैं और आप इस तरह की दलील देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों को आप अधिकार दीजिये, लो इनकम ग्रुप और मध्य इनकम ग्रुप के लोगों को राहत देने के लिये उनको प्लाट्स दीजिये, बने हुए मकान दीजिये और गन्दी बस्तियों के सुधार की योजना बना कर हरिजनों के क्वार्टर्स बनवाइये। यदि आप यह काम करेंगे तब तो जनता थोड़े दिनों तक और बरदाश्त कर पायेगी नहीं तो जय राम जी की।

(इस समय 2 बजकर 59 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगवीर सिंह पीठासीन हुए।)

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

मान्यवर, आपका मैं आभारी हूं कि आपने मुझे स्वायत्त शासन विभाग के इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। हम गुनाहगार हैं लेकिन कोई हमसे पूछे जो गुनाहगार कम हो। आप 67–68, 69–70 और 70–71 को देख लीजिये जब कि संविद की सरकार थी। आप आज से बहुत पीछे थे। आज जितनी तरक्की हुई है उस जमाने में नहीं हो सकी थी। आज संविद के जमाने से ज्यादा तेजी के साथ तरक्की हुई है और वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। ग्रामीण जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत मार्च, 1972 तक कुल 2315 ग्रामों में पेय जल सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा ऐसी आशा है कि मार्च 1974 तक यह संख्या 3234 हो जायेगी। त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 2.25 करोड़ रुपया तथा आगामी वित्तीय वर्ष में 4 करोड़ रुपये, लगभग 200 योजनाओं पर व्यय किया जायेगा और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 1486 ग्रामों में पेय जल व्यवस्था करायी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की भी 203 योजनायें हैं जिनकी अनुमानित लागत 605 लाख रुपये है। इस वर्ष के अन्त तक 275 लाख रुपये की राशि खर्च होने की आशा है और आशा है कि सभी योजनायें मार्च, 74 तक पूरी हो जायेंगी जिनसे 1457 गांवों को लाभ

(व्यवधान)

होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज की समस्याओं को देखते हुए तरक्की की जो गति है वह बहुत धीमी है। जब समाजवाद का नारा देते हैं, गरीबों को मिटाने का नारा देते है तो इससे सैकड़ों गुना तरक्की करनी चाहिये संसाधन जुटाकर यह जो तरक्की की चाल है वह कछुवे की चाल है, बहुत धीमी चाल है। जब समाजवादी नारे के बजाय अमल में आ जावेगा तो चाल में बहुत तेजी आ जायेगी।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

इसीलिये हम सब का दामन लेकर आप उधर चले गये ?

श्री प्यारे लाल---

आपसे कम ।

अब मैं एल0एस0 जी0 डी0 के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं । मुरादनगर से दिल्ली तक दिल्ली को नहर गंग से पानी सप्लाई करने के लिये पाइप लाइन डाली जायेगी जिस पर 10-15 या 20 करोड़ रुपये तक खर्च होगा । वहां पर 6 डिविजन खोल दी है और उसके गाजियाबाद में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर पहुंच गया है और स्टाफ आ गया है जिस पर इतना सब खर्च किया जा रहा है । क्या हिंडन नदी में जहां आज भी वोहल की झाल से कुछ ऊपर नहर गंग से पानी डाला जाता है उसी में और पानी को बढ़ाकर दिल्ली को दिया जाता तो उससे करोड़ों रुपये की खर्च में बचत नहीं हो जाती क्या ? मुहम्मद तुगलक की तरह योजना नहीं बनानी चाहिये । ऐसी योजना होनी चाहिये जिसमें पैसा कम लगे और कार्य भी पूरा हो जाय ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

अभी तक तो आप उनकी प्रशंसा कर रहे थे ।

श्री प्यारे लाल ---

मेरा मतलब यह है कि आफिसरों द्वारा वातानुकूलित कमरे में बैठ कर कोई योजना न बनायी जाय जैसा कि आफिसरों द्वारा आज बनायी जाती है बल्कि मौके पर जाकर ही सारी योजनायें बनें । यदि बद किसमती से कभी नल फट जाय तो. . .

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल---

यही किया करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

आप कृपया शांति रखिये।

श्री प्यारेलाल---

गांव के गांव बह जायेंगे मैंने जो स्कीम बताई है यदि उसको अपनाया गया तो करोड़ों रुपया बच सकता है । मैं कानपुर गया था । वहां लेबर आफिस की तरफ जो जाने वाली सड़क है, वह बड़ी टूटी फूटी है और उसके दोनों ओर गन्दगी के ढ़ेर हैं । उसी पर उन गरीब बालमीकियों की बस्ती पड़ती है जिसका माननीय बाल्मीकि जी जिक्र कर रहे थे । कानपुर के लिये केन्द्र से भी 105 करोड़ तथा 365 लाख रुपया मिलता है गन्दी बस्तियों के उद्धार हेतु प्रदेशीय सरकार भी देती है । पता नहीं उस रुपये का क्या होता है जो इसकी हालत ठीक नहीं की जाती है । मैं कहना चाहता हूं कि इस रुपये का उपयोग ठीक तरह से होना चाहिये । कानपुर की अगर दुर्दशा सुधर जायेगी तो कानपुर की गन्दगी हट जायेगी माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी भी वहीं के हैं जब कानपुर की दशा ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो समस्त प्रदेश को कैसे उन्नत बनायेंगे मेरी समझ में नहीं आता है ।

श्री अधिष्ठाता---

यही शिकायत माननीय जायसवाल जी को है ।

श्री प्यारे लाल---

यही हालत लखनऊ में भी है । यहां बड़ी भारी गन्दगी है । नालों की कभी सफाई नहीं होती है । इसीलिये बाढ़ आ जाती है । कालीदास मार्ग इसीलिये डूब जाता है क्योंकि नालों में ऊपर तक कूड़ा व मिट्टी भरे रहते हैं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

दारुलशफा के पिछले हिस्से को भी देख लीजिये ।

श्री प्यारे लाल--

उसको भी बताऊंगा दारुलशफा से जो लालबाग को चलते हैं तो रास्ते में खाद बनाई जाती है । जो गोबर वहां जमा होता है उस पर लाखों रुपया खर्च होता है । और उसकी खाद भी बेकार होती है क्योंकि उसे बजाय सड़ाने के सुखाया जाता है और उससे कोई लाभ नहीं हो सकता है । हमारे ही कमरों के पीछे कूड़े का ढेर पड़ा रहता है और नाले में कूड़ा जमा रहता है ।

इसके साथ ही साथ अलीगढ़ में सीवर बनने वाली थी । वहां जमींदोज नाला बनने वाला था । उसके न बनने के कारण अलीगढ़ में बदबू व मच्छरों का राज्य है । दस साल से नाला बन रहा है पर वह नहीं बन पाया है । जितनी योजनायें लम्बी खिंचती हैं उतना ही खर्चा ज्यादा होता है । इन अफसरों के कार्य करने के ढंग बदलना पड़ेगा बड़ा सुस्त है धन अर्जन करने वाला है । एक फाइल को एक मेंज से दूसरी मेंज पर जाने में ही काफी समय लग जाता है । इस बिलम्ब की परम्परा को खत्म किया जाय जिससे काम जल्दी हो सके और योजायें जल्दी से जल्दी लागू हो सकें जिससे गरीब जनता लाभान्वित हो सके और धन का दुरुपयोग बन्द हो, सरकारी पैसा भी बचे ।

पिलखुआ नगरपालिका में एक सड़क बनी जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के शिड्यूल रेट से 70 प्रतिशत से भी ज्यादा रेट पर बनीं । उसकी शिकायत की गयी । पता नहीं कि वह सचिव के यहां दब गयी या मंत्री जी के पी0 ए0 के यहां दब गयी । एक और सड़क 6 इंच ऊंचाई में बनने वाली थी, वह तीन इंच ऊंचाई में ही बनी । उसकी भी शिकायत हुई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । सारी सामग्री व धन खाया गया । कोई देखने वाला नहीं और न ही शिकायत सुनने वाला । अब मैं गाजियाबाद पर आ रहा हूं । वहां पर भंगियों की एक बस्ती है जिसमें सारे शहर का गन्दा पानी जाता है । नाला खुला हुआ है जिसमें कितने ही बच्चे गिर कर मर चुके हैं और कितने ही आदमियों की टांगें टूट चुकी हैं। लेकिन अभी तक नाला पाटा नहीं गया है । वहां के अध्यक्ष के पास हम लोग बच्चों की लाश को लेकर गये । उन्होंने एक महीने में उसको पाटने के लिये कहा । वह आपकी ही पार्टी जनसंघ के अध्यक्ष हैं । साल भर से ज्यादा हो गया लेकिन आज तक वह नाला नहीं पाटा गया । वहां जनसंघ के अध्यक्ष हैं और अमीरों के मुहल्लों को स्वर्ग बनाया जा रहा है ये हैं कारनामें जनसंघी चेयरमैन के गाजियाबाद में ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल--

आप अपने मंत्री जी से पूछिये ।

श्री प्यारे लाल--

अपने जूडे के हर एक फूल की तारीफ सूनीं, हमने दर्दे दिल दिखाया तो बुरा मान गये । आपकी सारी बातें हम सुनते रहे, अब आप क्यों बुरा मानते हैं । वहां के चेयरमैन ने अपने आदमियों से एल0 एम0 सी0 की जमींन पर कब्जा करवा दिया । जो 100 रुपये गज से भी ज्यादा कीमत की थी और बाद में उसी जमींन को एक रुपये गज में दे दिया गया । वहां पर अर्थले में एक कौशल्या देवी जूनियर हाई स्कूल बना है ।

मैं यह बताना चाहता हूं कि कौशल्यावती के नाम से जो स्कूल खुलवाया गया उसी के पास बगीचे के लिये 10 हजार रुपया खर्च किये गये लेकिन उतना खर्च करने के बाद वहां

[श्री प्यारे लाल]

आज तक घास तक नहीं उगी। उसके पास सड़क बनाने के लिये भी 30 हजार रुपये की योजना है रामलीला मैदान में भी घास उगाने के लिये 30 हजार रुपया खर्चा किया दिखाया है केवल एक दिन वहां ट्रैक्टर चलता हुआ दिखाई दिया और आज तक न घास है न कोई लान है और इस तरह से 30 हजार रुपया हजम हो गया। वहां पर उनके पिता जी के नाम से एक ईंट का भट्ठा है। उसके लाभ पहुंचाने के लिये भी नगरपालिका से बिना प्रस्ताव पास कराये नगरपालिका की सीमा से बाहर लगभग एक मील की दूरी पर चुंगी को ले गये ताकि भट्ठे की ईंटों पर चुंगी न लगे। शहर में सड़कें बनाने हेतु 2×2 की पट्टियां बन रहीं हैं वह इस तरह के माल से और खराब सामान से बनाई जा रहीं हैं सीमेंन्ट बचाकर कि उनको जरा भी पटकिये तो वह चूरचूर हो जायेंगी। वह जहां भी लगाई जायेंगी सारी सड़क ही जरा से हेवी यातायात से टूट जायेगी। इस तरह से आज नगरपालिका में 70 प्रतिशत रुपया निर्माण के काम में गलत तरीके से खाया पिया जा रहा है और 30 प्रतिशत ही लग रहा है।

थोड़ा सा जिक्र मैं वहां के सुधार मंडल का भी करना चाहता हूं जो गाजियाबाद में सफेद हाथी के रूप में पल रहा है जिसनें वहां के किसानों को वहां के मजदूरों को तबाह किया है। छोटे-छोटे दुकानदार, ठेली, पटरी व खोमचा लगाने वाले खोखे वाले सबको तबाह किया गया है। वहां मास्टर प्लान बनी लेकिन वहां का बाजार आज तक वही है जो सन् 47 में था, जबकि वहां की आबादी केवल 20-25 हजार की थी। बाजार को बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया है जबकि आबादी वहां की अब 2 लाख हो गयी है। वहां आबादी बढ़ने से नये-नये दुकानदार पैदा हुये, ठेली खोखे, पटरी वाले तमाम लोग वहां पर मारे-मारे फिरते हैं कोई स्थान ही नही मिलता उन्हें जिसकी वजह से वहां के बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। जब मास्टर प्लान बनाई गयी थी तो हमें यह आशा हुई थी कि वहा बड़े-बड़े बाजार विकसित किये जायेंगे और भीड़ उससे कम हो सकेगी लेकिन आज वहां पर बाजार की जो हालत है और जिस तरह से ठेले वाले, खोमचे वाले, खोखे वाले भीड़ लगाते हैं वह बहुत ही बुरी हालत होती है उनका रोज पुलिस वाले चालान करते हैं उन पर अदालतों में जुरमानें होते हैं। और पुलिस द्वारा पीटे जाते हैं और अपमानित होते हैं। इन गरीब लोगों का अगर कोई उचित प्रबन्ध कया जाय और स्थान बैठने का दे दिया जाय तो वह पुलिस और नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा होने वाले शोषण से वह बच जायेंगे और जनता को भी भीड़ से राहत मिलेगी। उनको भी इज्जत से रोजी कमाने का अवसर मिलेगा। गाजियाबाद के इस सुधार मंडल को भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार से करीब साढ़े तीन करोड़ रुपया मिला है। इस योजना में भी दो लाख 25 हजार एक सौ रुपया देने की बात है लेकिन जितना भी रुपया वहां के लिये दिया जाता है उससे जितने मकान बनते हैं वे सब बड़ें आदमियों के लिये ही बनाते हैं। जब जमींन ली गयी तो बयान हल्फी पर कहा गया कि नो प्राफिट नों लास पर यह स्कीम चलाई जायेंगी और छोटे लोगों को जमीन दी जायेगी। लेकिन जो जमीन एक आना गज पर एक्यवार की गयी वह नवयुग मार्केट में 100 रुपये से 250 रुपये वर्ग गज तक बिक रही है, जो जमीन 1/2 आने गज पर ली गयी वही गांधीनगर में 75 रुपये से 150 रुपये गज बेची है। वहां कही भी कोई जमीन अब 36 और 40 रुपये गज से कम पर नहीं है। जो गरीब मजदूर हैं वह किसी तरह से भी इन जमींनों को नहीं खरीद सकते।

यह सुधार मंडल केवल मिलमालिकों और पूंजीपतियों के लिये ही मकान बनाता है क्योंकि केवल वे ही इतनी महंगी जमींन व मकान ले सकते हैं जिनके पास काला धन है, गरीब आदमी तो उनके पास भी नही जा सकता। हाउसिंग बोर्ड की मारफत जो साढ़ें तीन करोड़ का कर्जा मिला है उससे जो आप मकान अब बना रहे हैं या जो पहले बने हैं उनका किराया भी किसी का 75 से कम नही है और 425 रुपये तक है। गरीब उन भवनों को कसे ले सकता है यह भी बताया जा रहा है कि सात 8 सौ ऐसे क्वार्टर बनाये जा रहे हैं जिसकी

कीमत भी करीब सात आठ हजार होगी लेकिन उसे भी गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। सस्ती किस्तें भी गरीब आदमी की ब्याह, बीमारी व बच्चों के दाखिले शिक्षा आदि के कारण रुकेगी, एक दो किस्त तो टूट जाना मामूली बात है इस तरह से उनको मिले मकान भी छिन जायेंगे और जमा किया गया धन भी उस के साथ भी ऐसे खर्च लगे हैं बच्चों को स्कूल में दाखिल कराना है, बीमारी का शादी का खर्च उसके ऊपर आयेगा ही, इस तरह से उसको किस्त के न चुकाये जाने पर मकान वापस नहीं मिलेगा। इसी प्रकार प्लाट्स भी नहीं खरीद सकता क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा है प्लाटों की प्रेसक्राइब्ड अथारिटी जो करती है उन केसेज में गरीबों पर सैकड़ों हजारों रुपया कम्पाउन्डिग फी लगाई जाती है और अमीरों पर यदि ज्यादा लगाती भी है तो सरकार में अपील करने पर छूट जाती है जैसे:—

इन्डो बल्गर फूड्स कम्पनी, गाजियाबाद पर 2 लाख 40 हजार फीस का रुपया कन्ट्रोलिंग अथारिटी ने तय किया, गवर्नमेंट में अपील करने पर वह 5 हजार रुपया रह गया लेकिन अगर कोई गरीब आदमी अपील करता है तो उसके अपील की कोई सुनवाई नहीं होती इसी के साथ-साथ गाजियाबाद में विनियोजक क्षेत्र की सीमायें बढ़ा दी गयी हैं। बुलन्दशहर और मेरठ जिलों में भी बढ़ा दी गयी हैं लेकिन कोई स्टाफ नहीं बढ़ाया गया है और न ही लन्ड यूज तय किया है। कम्पाउन्ड फीस, नक्शा फीस व अन्य फीस 1 लाख से डेढ़ लाख रुपया प्रतिवर्ष आता है लेकिन वहां पर न कोई एग्रीमेंन्ट ही है और न कोई हिसाब है। अतः जब प्रेसक्राइब्ड अथारिटी की सीमा बढ़ाई गयी तो उसका स्टाफ भी बढ़ाया जाय लेकिन नहीं बढ़ाया गया है और हिसाब-किताब के लिये एकाउन्टेन्ट को वहां भेजना जनहित में जरूरी है।

इसके साथ-साथ साथ गाजियाबाद में 6-7 हजार गरीबों के मकानों के गिराने के आदेश हैं उनको मौके पर जाकर नियमित करवाइये। सरकार ने जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई थी उसकी 1966–67 और 67–68 में दो मीटिंग और 70–71 व 1971–72 में दो मीटिंग हुयी और उन्होंने कुछ तय किया जिस पर कन्ट्रोलिंग अथारिटी ने भी निर्णय लिया परन्तु वह यहां सरकार के पास पैंडिंग पड़ा हुआ है। इसीलिये गरीबों के मकान नहीं बच रहे हैं। इसके लिये मैं चाहूंगा कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाय जिसमें सरकार और जनता के नुमाइन्दे हों और उसमें राज्य मंत्री जी भी हों। वे मौके पर जाकर देखें वहां पर जो मकान बने हैं, उनको नियमित करके ऐलान वही करें जिससे वहां के गरीब लोग सुख की नींद सो सकें।

आज गाजियाबाद एक श्रमिक केन्द्र बनता जा रहा है। बजट में वहां पर गरीबों की बस्ती बनाने की बात कही गयी है। वहां पर 60 हजार मजदूर हैं और पल्लेदार वगैरह को मिला कर सब को लगभग एक लाख आदमी बैठ जाते हैं। तो 10 से 20 हजार प्लाट ऐसे बनाये जांय जिनकी कीमत जिस भाव पर भूमि एक्वायर की गयी है वही लगायी जांय और डेवलपमेंट चार्ज भी उनसे वह लिया जाय जो हिण्डन नदी के पार 2.40 रुपया प्रति गज कालोनाईजरों से लिया गया है। और उसे भी सस्ती किश्तों पर उनको दिया जाय और इसी प्रकार 20 हजार मकान हायर परचेज सिस्टम पर मजदूरों और गरीबों को दिये जांय जिनका किराया 18-20 रुपया प्रति माह से अधिक न हो। और किराया किस्त के रूप में माना जाय। लैण्ड पालिसी गरीब किसानों के लिये ही बनी थी जिनकी जमीन एक्वायर की गयी थी ताकि वे फायदा उठा सकें। तय हुआ था कि 40 फीसदी किसानों को लैण्ड पालिसी पर दी जायगी और 60 फीसदी जमीन सरकार लेगी। 1965 में जब चरण सिंह जी स्वायत्त शासन मंत्री थे तो 47 1/2 फीसदी किसानों के लिये तय कर दिया लेकिन आज तक किसानों को न तो प्रार्थना देने हेतु सूचना दी गई और जो उन्होंने दरख्वास्त दी भी उन्हें टाइम के बाहर बता कर कैंसिल कर दिया जो कि उनके साथ अन्याय है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

*श्री सुरेन्द्र विक्रम--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे माननीय चन्द्रभान शर्मा द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उस पर बोलने का अवसर दिया । आपकी आज्ञा से मैं इसके साथ-साथ अपना प्रस्ताव भी जोड़ता हूं । प्रस्ताव है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना । दूसरा प्रस्ताव है सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा पार्टी बन्दी के आधार पर जो पक्षपात होता है, उसकी चर्चा करना । तीसरा प्रस्ताव है सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में 13 हजार रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य-निर्माण कार्यों के लिये धन दलबन्दी के आधार पर दिया जाता है और बरेली में जितना धन लिया गया वह खत्म हो गया तथा कोई निर्माण-कार्य नहीं हुआ, उसकी जांच करवाना ।

तीसरा है मान्यवर:---

"सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य--तिलहर नगरपालिका द्वारा प्रत्येक दिन सैकड़ों रुपये की चुंगी चोरी की जा रही है, पचासों ट्रक घूस लेकर रोज पास किये जा रहे हैं, मंत्री जी से शिकायत के बावजूद भी कोई जांच नहीं हुई, जब कि केवल टाउन एरिया मीरानपुर कटरा तथा नगर शाहजहांपुर की चुंगी के रजिस्टर देख लिये जाने की आवश्यकता है । जितनी ट्रकें बरेली से शाहजहांपुर या शाहजहांपुर से बरेली जाती हैं, सबकी इन्ट्री शाहजहांपुर तथा मीरानपुर कटरा की चुंगी में है । तिलहर में वही घोर भ्रष्टाचार है, इसकी शिकायत करना ।"

श्रीमन्, एक प्रस्ताव इसलिये मैंने जोड़ दिया कि मंत्री जी जब उत्तर देने के लिये खड़े हों, तो उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बारे में भी विचार व्यक्त कर दें । मान्यवर, मैं सन् 62 से इस हाउस का मेम्बर हूं । यहां एक से एक विद्वान लोगों के भाषण सुने । जेड० ए० अहमद, गोविन्द सहाय, गेंदा सिंह, आदि-आदि लोगों ने बड़े-बड़े कंक्रीट सुझाव दिये थे । मैं नहीं समझता कि आज उनके कौन से सुझाव माने गये । दोनों तरफ से उसी भाषा में, उसी आवेग में विचार व्यक्त किये जाते हैं । फर्क इतना होता है कि हम लोगों का कटौती का प्रस्ताव होता है, उसका समर्थन करते हैं और शासक दल के लोग मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करते हैं, यद्यपि उनकी भाषा और भाषण वही रहता है ।

श्री अधिष्ठाता--

भाषा अपनी और विचार आपके से थे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

मान्यवर, आज इस सरकार के भाषण होते हैं, वे तो समाजवादी हैं और रहन-सहन सामन्तवादी है और विचार पूंजीवादी हैं । फिर भी ये समाजवादी होने का देश को धोखा देते हैं । यही सब बर्बादी की वजह है । दोहाई ये राम-राज के देते हैं कि हम राम राज लाना चाहते हैं । लेकिन 49 के माने ये "जीरो" समझते हैं और 50 के माने ये 100

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समझते हैं यानी अगर इनकी सरकार बन गयी तो इनकी बात ठीक हो गयी, और हमारी बात गलत हो गयी, चाहे हम कितने को कंक्रीट सुझाव क्यों न दें । लेकिन दोहाई देते हैं कि हम राम-राज लाना चाहते हैं कि जिस राम-राज में ऐसा प्रजातंत्र था कि एक, धोबी ने महारानी सीता, महासाध्वी सीता के ऊपर लांछन लगाया था–किसी संसद में नहीं किसी पार्लियामेंट में नहीं–अपने घर में लांछन लगाया था जिसको कि गुप्तचरों ने सूचना दी थी राजा राम को कि जिस पर उन्होंने महारानी सीता को घर से निकाल दिया था । तो मान्यवर, ऐसा रामराज था, जिसकी ये आज दोहाई देते हैं ।

मान्यवर, मैं लखनऊ से ही अपनी बात शुरू करूंगा । श्रीमन्, इसी विधान भवन से 2/3 फर्लांग पर ऐसे प्लाट्स हैं, जो गरीब किसानों से एक्वायर किये गये थे । 25 साल बीत गये लेकिन आज तक उन पर मकान नहीं बन पाये हैं । उस वक्त ये बहुत सस्ते प्लाट्स लिये गये थे । आज 8/8, 10/10 और 14/14 गुने दाम बढ़ा दिये गये हैं । आखिर ये प्लाट्स क्यों पड़े हैं ? जब गरीब लोगों से जमीन ली गयी थी, तो मुआवजा दिया गया होगा । तो श्रीमन्, आज हर जगह बिजनेश व्याप्त हो गयी है । इनकी सरकार में भी वह व्याप्त है । चौधरी चरण सिंह की कोठी के पास यहां से 2/3 फर्लांग पर ये प्लाट्स हैं । आज ये 55 रुपये स्क्वायर तक इनके दाम हैं, जबकि उस वक्त, जब ये लिये गये थे, 4 आने या 8 आने में रहे होंगे । अगर इन पर मकान बन जाय तो तमाम लोगों को फायदा होगा । श्रीमन, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इसकी जांच करावें । एक्वायर होने के बाद भी मकान नहीं बन सकते हैं । तो उनको तुरन्त चाहिये कि आर्डिनेंस निकालें, अगर नियमों में कोई संशोधन लाना पड़ता है, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी उनका साथ देगी कि इन सारे प्लाट्स को उनको आवंटित कर दिया जाय, जिनके पास कि रहने को जगह नहीं है । यह तो मैंने लखनऊ की बात कही ।

अब मैं शाहजहांपुर की बात कहता हूं । अभी थोड़े दिन पहले शाहजहांपुर की नगरपालिका सुपरसीडेड थी । साल भर हुये चुनाव हुआ । नये अध्यक्ष आये और साल भर बाद उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया । उस समय रहमान साहब थे वह निकाल दिये गये । वह हाई कोर्ट चले गये । नेचुरली उसमें शासन किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता था । हाई कोर्ट में उनकी रिट खारिज हो गई । उसके बाद जब वह निकाल दिये गये तो उन्होंने गवर्नमेंट को सुपरसेशन के लिये लिख दिया । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हारा हुआ चेयरमैन कैसे सुपरसेशन के लिये लिख सकता है, उसका क्या अधिकार है ? मैंने मंत्री जी को दो-तीन बार लिखा लेकिन उन्होंने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया और नहीं नये चुनाव की कोई तारीख मुकर्रर की– मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया । जैसा माननीय जायसवाल जी ने कहा और मैं भी उनका समर्थन करता हूं कि हमारे मंत्री रुपये–पैसे के मामले में काफी ईमानदार हैं, हो सकता है कि उनके कुछ साथी भले ही भ्रष्ट हों, लेकिन यह पालिटिकल करप्शन भी तो बहुत अच्छी बात नहीं । अगर वह गल्ती से नोटिफिकेशन करा देते, तो वहां पर अब तक तारीख भी पड़ जाती और उसके बाद एक नया चेयरमन चुन जाता ।

अब मैं तिलहर नगरपालिका के विषय में कहना चाहता हूं । वहां का चेयरमैन उसी पार्टी का है जिस पार्टी के मंत्री जी हैं । इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं । डेमोक्रेसी में ऐसा होता ही है–सरकार आयेंगी और जायेंगी ही–कभी इस दल की सरकार होगी और कभी उधर और जिसको जनता चाहेगी सुशोभित करेगी । अफसोस की बात वह है कि नियम यह है कि नगरपालिका में साल भर तक कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आयगा, और उसके बाद, अगर आया और गिर गया तो फिर साल भर तक कोई नहीं आयेगा ।

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

वहां पर 6 महीने पहले जो अविश्वास का प्रस्ताव आया था उसमें इन्ही के पार्टी के लोगों ने कुछ लोगों के फर्जी दस्तखत करके प्रस्ताव दिया। मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शाहजहांपुर से मिला और उन मेम्बर्स की बयान हलफी दाखिल की कि उनके उसमें दस्तखत नहीं हैं और इस तरह से अविश्वास का प्रस्ताव नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा कि बात तो ठीक है और मैं इसमें राय ले रहा हूं उन्होंने ला-डिपार्टमेंट से डी0 जी0 सी0 जिससे भी उचित समझा हो राय ली और एक निश्चित बात कही कि बात ठीक है। लेकिन मुझे खेद है, दुख भी है कि लखनऊ से टेलीफोन हुआ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिये और कहा गया कि यह तो कोर्ट का मामला है वह डिसाइड करेगी, आप तारीख डालिये और जबरदस्ती तारीख डलवा दी। क्या यह पालिटिकल करेप्शन नहीं है? मैं मंत्री जी का बड़ा आदर करता हूं और करता रहूंगा और जो भावना मेरे हृदय में उनके प्रति है, वह भविष्य में भी बनी रहेगी। अतः उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसा व्यवहार करें जिससे यह भावना बनी रहे और एक निष्पक्ष तरीके से इस मामले में देखें। मैंने 3–4 मर्तबे उनको कहा कि वहां पर बहुत बड़ी चोरी होती है। यह नगरपालिका तिलहर राजकीय मार्ग 24 पर है। बरेली शाहजहांपुर से जो ट्रक आती जाती है वह नगरपालिका तिलहर से पास होती है और उसमें टाउन एरिया मिरानपुर कटरा शाहजहांपुर में पड़ता है। जो भी ट्रक बरेली से शाहजहांपुर को जायेगा वह तिलहर होता हुआ जायेगा। जब से नोकान्फीडेंस का प्रस्ताव पास हुआ है 400–500 रुपये की चोरी रोज की जा रही है और ट्रक फ्री में पास किया जाता है और शाम को मेम्बरों के बीच बंटवारा होता है। मैंने मंत्री जी को 2–3 बार लिखा है, ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव भी दिया था, और उसे मंजूर भी किया गया था और कहा गया था कि मैं मंत्री जी को पर्सनली लिखकर दूं। मैंने मंत्री जी को लिखकर दिया। मंत्री जी ने मेरे सामने यह आदेश लिखा कि कोई मजिस्ट्रेट मौके पर जाकर जांच करे। दो महीने गुजर गये या तीन महीने गुजर गये। मुझे विश्वास था कि मंत्री जी के आदेश हुए है तो कोई मजिस्ट्रेट जरूर गये होंगे चेकिंग के लिए लेकिन कोई मजिस्ट्रेट नहीं गया। वहां पर चुंगी की काफी चोरी होती है। पैसा लेकर ट्रकों को पास कराया जाता है। रात को रुपया मेम्बरों में बांटा जाता है। आप वहां दरोगा से पूछ लें क्योंकि दरोगा भी चेक करता है कि ट्रक पास है या नहीं, उसके पास लाइसेन्स है या नहीं, ज्यादा सामान तो नहीं है। चाहें तो दरोगा से बात कर लें या सी0 आई0 डी0 से जांच करा लें या मजिस्ट्रेट को भेज दें या किसी निष्पक्ष आदमी को भेज दें जो मीरानपुर कटरा का रजिस्टर देख लें। वहां पैसा लेकर ट्रक पास कर दिये जाते हैं और इस तरह से चुंगी की चोरी होती है। मंत्री जी इसपर विचार कर लें। अब मैं बरेली की बात कहना चाहता हूं। मुझे ठीक तो याद नहीं लेकिन आपके पहले बरेली के नालों की सफाई के लिए छः सात लाख रुपया दिया गया था।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)––

बरेली आप कितने दिन रहे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम––

जितने दिन आपने अपनी बहिन भेजी थी। अधिष्ठाता महोदय, माफ कीजियेगा यह मेरे साले हैं। ठाकुर हुकुम सिंह से भी इनका रिश्ता था और हम से भी है।

मैं कह रहा था कि छः लाख रुपया बरेली में नालों की सफाई के लिए भेजा गया था लेकिन वहां सफाई नहीं हुई। उस सारे रुपये का गबन हो गया या क्या हुआ आप उसका आडिट करायें। इकोनामिक सेल है, उससे आडिट करायें। मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप करने का आदी नहीं हूं। जहां पर कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं और गलत काम करने वाले हैं

वहां कुछ अच्छे और ईमानदार अधिकारी भी हैं और मुझे इस सदन में यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों की तारीफ की जाय। ऐसे ही बहुत से मंत्री हैं जो पब्लिक लाइफ में भी ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन जो बेईमान हैं उनकी भी बात कहनी चाहिए। (लाल बत्ती होने पर) अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना है।

श्री अधिष्ठाता—

पन्द्रह मिनट आपको हो गये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मेरे दल से और कोई नहीं बोला है। अभी मुझे और समय द।

श्री अधिष्ठाता—

आप जारी रखें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

एम० ओ० एच० ने सेनीटरी इन्सपेक्टर्स के तबादले किये। बृजभूषण लाल एम० पी० थे जनसंघ के। उन्होंने कम्प्लेन्ट की थी कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। उनकी कम्प्लेन्ट की जांच हुई और कुछ सिनेटरी इन्सपेक्टर्स और एक्जीक्यूटिव आफिसर्स के तबादले किये गये। लेकिन हुआ क्या? इसमें भी पालिटिकल करप्शन हुआ। पालिटिकल करप्शन इसलिये कह रहा हूं कि जब बरेली में मंत्री आये तो जिनका तबादला हुआ था उन्हें वापस बुला लिया गया। इसमें किसी चीज की गंध आती है। दि मेटर इज फिशी। बरेली इतनी बड़ी नगरपालिका है परन्तु वहां पर कोई इंजीनियर नहीं है। नालियों की सफाई के बहाने रुपया लिया जाता है परन्तु सफाई कभी कोई नहीं हुयी। जो मम्बर्स थे नगरपालिका के उन्होंने स्पेसिफिक चार्ज लगाया था। अध्यक्ष और 2–4 मेम्बर्स थे वे इन्हीं के दल के थे। उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री को लेटर भेजा था। जो सचिव रहे होंगे उनको भेजा होगा कि नालियों की सफाई के लिये रुपया आया था और कोई काम नहीं हुआ। मुझे यह भी बताया गया, हो सकता है सच हो या झूठ, मगर आप इसकी जांच जरूर कराएं। नगरपालिका की जो मशीन थी वह मंत्री जी के बंगले पर लगी और 50–60 लाख रुपये का काम हुआ। मंत्री जी के मकान में लेवलिंग का काम हुआ। कोलतार डाला गया और कंकड़ डाले गये। किस ठेकेदार ने डलवाये वह भी मुझे मालूम है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

कौन मंत्री हैं?

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

कोई भी मंत्री हों, मैं नाम नहीं लेना चाहता। शासक दल के एम० एल० एज० द्वारा लिखित शिकायत हुयी थी। अगर आपके पास शिकायत की कापी न हो तो मैं कापी दे दूंगा। उनके यहां सड़क बनी है।

अभी थोड़ी देर पहले हमारे बाल्मीकी भाई बोल रहे थे। बहुत जगह तो मंत्री जी ने गाड़ियों का इंतजाम किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि सब से निकृष्ट काम भंगियों का है। इनको गाड़ियों तथा निवास आदि की सुविधा दी जाए।

कानपुर की बात आयी। एक किताब इन्होंने बांटी है। वहां एक योजना चल रही है। इसमें सिर्फ कानपुर की ही बात है। इसमें आखिरी पेज पर लिखा है:—

"जल अपदूषीकरण की रोक-थाम"

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

प्रदेश की प्रमुख एवं पवित्र नदियों का अपदूषीकरण रोकने के संबंध में भी राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।"

यह दफ्तर कानपुर में ही रखा गया है। क्या यह इसलिए रखा गया है क्योंकि मंत्री जी कानपुर से ही आते हैं। इसके बाद मैं एक शेर सुना दूं :

"सितमगर आप जब कोई सितम ईजाद करते हैं,
तो सब के पहले आप मुझको याद करते हैं।"

श्री राम लाल भाई (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि जो आपने ऐसे महत्वपूर्ण बजट में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, स्वायत्त शासन विभाग अन्य विभागों से बहुत ही महत्वपूर्ण है--यह मनुष्य के दैनिक जीवन में बहुत ही जरूरी कार्य करता है। इसके माध्यम से पेय जल, जल उत्सरण, सफाई शौचालय इत्यादि-इत्यादि की व्यवस्था इस विभाग के द्वारा की जाती है। मेरी जानकारी में यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग के लिये जितना बजट हो वह कम है। माननीय चन्द्रभान शर्मा ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है कि सम्पूर्ण अनुदान की राशि घटाकर 1 रु0 कर दी जाये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1 रु0 में तो आज के युग में कोई भी काम नहीं हो सकता है। मांग तो लम्बी-लम्बी रखते हैं लेकिन धन देने के बारे में एक रुपया। मैं उनका बड़ा स्वागत करता यदि वे प्रस्ताव करते कि स्वायत्त शासन का बजट 10 करोड़ रुपये और बढ़ा दिए जायें। तब बहुत ही काम होता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा बड़ी ही प्रगति हुयी है। जहां पानी नहीं मिलता था वहां भी पानी की व्यवस्था की गयी है जैसे पहाड़ी भाग। लेकिन यह निश्चित है कि इसमें जितनी प्रगति होना चाहिये उतनी नहीं है। फिर भी 4, 5 साल के अन्दर इस विभाग ने कोशिश करके जो कार्य किया है वह बधाई के पात्र है। मान्यवर, इस विभाग का कार्य पेयजल की व्यवस्था और जल निस्तारण का कार्य अधिक करना है। पिछले वित्तीय वर्ष में 4 करोड़ रुपया रक्खा गया था जिसके अनुसार काफी तरक्की की है लेकिन माननीय मंत्री जी द्वारा जो आंकड़े पेय जल सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये हैं उनसे हमें सन्तोष नहीं है। मान्यवर, 50 लाख रुपया सिंचाई विभाग को नलकूपों के जरिये पानी के लिये दिया गया है। 35506 गांवों में पानी की व्यवस्था करनी है जिसमें अब तक 1972--73 में 1572 गांवों में व्यवस्था कर चुके हैं। मंत्री जी सहमत होंगे कि यह बहुत मन्दगति है।

मान्यवर, सदन में मांग प्रस्तुत किये जाते हैं और सम्बन्धित बजट प्रस्तुत किया जाता है। हम लोग आलोचना करके और सुधार का सुझाव देकर उसको पास कर देते हैं लेकिन बाद में अधिकारीगण या मंत्री जी कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हमने अमुक चीज के लिये अमुक धनराशि पास की है। क्या वह कार्य हो रहा है या नहीं, मैं आपके माध्यम से कुछ तथ्य आडिट रिपोर्ट के प्रस्तुत करूंगा। मान्यवर, गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये भारत सरकार ने एक स्कीम प्रारम्भ की। इस स्कीम का 87.5 प्रतिशत व्यय भारत सरकार वहन कर रही है। शेष 12.5 प्रतिशत राज्य सरकार या निकायों को वहन करना पड़ता है लेकिन जैसा कि श्री शंकर प्रसाद जायसवाल ने कहा है इस स्कीम में जितने मकानों का निर्माण होना चाहिये था वह नहीं हुआ है। बहुत सी जगहों पर यह धनराशि पड़ी हुई है। इस नियम के अनुसार यदि कोई नगरपालिका कार्य नहीं करती है तो सरकार को उसे सुपरसीड करके कार्य कराना चाहिये। 1965 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर लोक लेखा समिति में इस स्कीम की असफलता पर चिन्ता प्रकट की गई थी और कहा गया था कि समिति को यह जानकर दुःख हुआ कि इस स्कीम की वांछित तेजी से पूर्ति नहीं हो सकी है। क्योंकि 223 मकान 2234 की जगह बने जो कि लक्ष्य का 10 प्रतिशत है। उन्हें भी उन लोगों को दे दिया गया जो हकदार नहीं थे।

अनधिकृत लोगों का कब्जा हो गया है इन्हें हरिजनों को देना था लेकिन ऐसे आदमियों का कब्जा हो गया जो उचित नहीं था। यही नहीं मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस स्कीम के अन्दर कानपुर को ही ले लें, जो स्कीम तैयार की गई और उस पर दो तीन लाख रुपया स्टाफ पर व्यय हो गया तो कहा गया कि जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी क्योंकि हरिजन को जमीन जहां मिल रही है जाने को तैयार नहीं थे। ऐसा नहीं था। हमने देखा है कि जिन लोगों के लिए मकान योजना ली गई उन लोगों को वहां पर मकान बनने पर मकान न देकर दूसरे लोगों को दिये गये हैं। उन लोगों को नगरपालिका हटा भी नहीं सकी और लाखों रुपये के किराये का नुकसान हुआ है। जो आज भी यही स्थिति है। इस पर शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये।

मैं आपके माध्यम से आवास विकास परिषद् के बारे में भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, इस विभाग को काफी रुपया भारत सरकार से मिलता है। पिछले बार यह विभाग पूरी धनराशि इस्तेमाल नहीं कर सका। यह अधिकारियों की शिथिलता और टेक्-निकल डिफकल्टी रही होगी। यह रुपया लैप्स हो गया। अब इसमें जागरूकता आई है। मान्यवर, निश्चित रूप से विकास परिषद् में तेजी आई है लेकिन जितनी तेजी आनी चाहिये और जितना धन इनको देना चाहिये उतना धन मांगा नहीं गया है। आज मकानों की समस्या इतनी जटिल है कि इस विभाग को अधिक से अधिक धन और प्रोत्साहन देकर जल्द से जल्द इन मकानों की समस्या को हल करा लेना चाहिये। निश्चित रूप से पहले नगरपालिका द्वारा हाउस के लिए लोन दिया जाता था, लेकिन कुछ अनियमितताओं के कारण वह बन्द कर दिया गया। जैसा कि शंकर प्रसाद जायसवाल ने कहा, गोरखपुर में जनसंघ के अध्यक्ष थे, लेकिन मैं पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा। नगरपालिका तो सबकी देखरेख में रहती है, जनता की शुभचिन्तक होती है, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है। जो धन उपलब्ध होता है वह निश्चित रूप से सरकार की तरफ से वितरित होता है। शहर और टाउन एरिया में सब का जाना आना रहता है, कोई जनसंघ या पार्टी विशेष नहीं रहती है। हर एक आदमी को पानी, हवा, शौचालय की आवश्यकता रहती है। एक चीज और देखी गयी है कि प्रत्येक लोक निर्माण का रजिस्टर प्रत्येक छमाही के अन्त में बन्द कर देना चाहिये, लेकिन स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग के 12 प्रभागों ने सितम्बर, 1970 तक स्टाक रजिस्टर बन्द नहीं किये। इस तरह से अनियमितताएं होती रहती हैं। मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। स्वायत्त शासन इंजीनियरी विभाग की 2,05·66 लाख की अनधिकृत आपत्तियां शेष थीं।

अब मैं गोरखपुर शहर के बारे में आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सड़क की व्यवस्था के संबंध में बहुत ही कम धनराशि मिलती है। आज कल सौभाग्य से जनसंघ के चंगुल से निकल कर सरकार के चंगुल में नगरपालिका आयी है। पहले काफी अनियमितता थी और जनता को परेशानी थी, उसके लिखने-पढ़ने पर सरकार ने उसको सुपरसीड किया। इस सुपरसेशन के पीरियड में काफी काम हुआ है, लेकिन अब सरकार को और ध्यान देना चाहिये क्योंकि वह नगरपालिका सरकार के हाथ में है। मकानों के नकशे की बात कही गयी है। निश्चित रूप से बिलम्ब करके इस संबंध में जनता को, मकान बनाने वालों को अधिक परेशान किया जाता है और जो पैसे रुपये वाले होते हैं वह अपने नक्शे पास करा लेते हैं। हजारों शिकायतें हैं। माननीय काजी जलील अब्बास जब गोरखपुर गये थे तो उनके सामने सब प्रस्तुत की गयीं। सब नगरपालिकाओं की यही हालत है। मैं विशेष जानकारी से बतला रहा हूं कि नक्शे के संबंध में मंत्री जी ध्यान दें, कोई ठोस कदम उठावें। अधिकारियों की मीटिंग करके, समस्त नगरपालिकाओं के चेयरमैन, एक्जीक्यूटिव आफिसर्स, प्रभारी अधिकारियों की मीटिंग कर लें और जनता की दिक्कतों को समझें तथा शीघ्र हल निकालें।

[श्री राम लाल भाई]

सिवरेज के संबंध में, गोरखपुर के बारे में कहना चाहता हूं। 7 लाख रुपया जलोत्सारण के लिए स्वीकृत हुआ था सिवर लाइन के लिए जो कि रेलवे लाइन के पैरेलल जाती है। उसकी शिकायत श्री मुहीउद्दीन साहब ~~अन्य~~ स्वायत्त शासन से की थी जो कि सरकार में बड़े कर्त्तव्य निष्ठा वाले व्यक्ति है। वे गोरखपुर में रह चुके हैं। उनके काम के बारे में सब लोगों की श्रद्धा है उनसे कहा। नगरपालिका जो एल0 एस0 जी0 डी0 से काम कराती है उसमें बड़ी गड़बड़ी होती है। तोड़-फोड़ का काम तो तुरन्त वे लोग कर देते हैं, लेकिन जब निर्माण की बात आती है तो कहा जाता है कि रुपया खत्म हो गया, हमको रुपया दीजिये। 7 लाख रुपये से नहर का, सिवरेज लाइन का निर्माण हो रहा है। वह बन्द पड़ा है काम। उसमें 50 लाख रुपये की आवश्यकता है, आगे करोड़ों रुपये की आवश्यकता हो सकती है। अगर तत्काल व्यवस्था नहीं की गयी तो वही परिस्थिति हो जायगी जिस प्रकार कि गाजियाबाद में बच्चों की मृत्यु हुई। ठीक सड़क के पास दुर्घटना हो सकती है, बच्चों की भी हो सकती है। तो मंत्री जी इस ओर अवश्य ध्यान दें। और सचिव स्वयं देखने का आश्वासन दिये हैं।

मैं पिछले सत्र में आपके सामने स्लाटरहाउस के बारे में कह चुका हूं। 3–4 पुस्तिका जो मंत्री जी ने बड़ी खोज करके सदस्यों को दिया है, उस पुस्तिका में भी स्लाटर-हाउस के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अगर वहां मंत्री स्वयं गोरखपुर जाकर 10 मिनट खड़े रह सकें तो पता चल जायगा कि किस तरह से हम लोग वहां रहते हैं। वह स्लाटर हाउस शहर गोरखपुर के खूनीपुर मोहल्ला में है, वहां दो-ढाई सौ बकरियां रोज कटती है और पास ही शौचालय भी है, वहां आदमियों का रहना दूभर हो गया है। दोनों की दुर्गन्ध दम घुटाने वाली होती है। वहां करीब-करीब 10 परसेंट आदमी इस दुर्गन्ध से बीमार रहते हैं। हमने निवेदन किया था कि आप काफी प्रगति कर रहे हैं। इस रजत जयन्ती के अवसर पर जानवरों का कटना बन्द न कर सके तो कम से कम तत्काल स्थान से हटा कर कहीं अन्यत्र कर दें क्योंकि इस समय नगरपालिका सरकार के नियन्त्रण में है। खूनीपुर का स्लाटर हाउस जब तक नहीं हटाया जायगा तब तक रात दिन लोगों को परेशानी रहेगी क्योंकि उसी के पास शौचालय भी है, उसकी बदबू और स्लाटर हाउस की बदबू, दोनों से एक खास तरह की गैस पैदा होती है जिसके कारण 10–15 परसेंट लोग रोज बीमार रहते हैं और अस्पताल जाया करते हैं। छोटे-छोटे बच्चों के लिए तो यह मौत का विशेष कारण है।

आज गोरखपुर नगरपालिका को जितनी आवश्यक चीजों की कमी है, उन पर ध्यान न देकर एक छोटा सा पार्क इन्होंने गोरखपुर में निर्माण किया जिसकी अनियमितताओं की तरफ मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया और साथ ही साथ सेक्रेटरी साहब का भी ध्यान आकर्षित किया कि बगैर टेन्डर इन्वाइट किये उस पार्क को बनवाना शुरू कर दिया। जब जनता को मालूम हुआ तो लोगों की तरफ से एतराज हुआ कि पार्क की क्या आवश्यकता है। जब लोगों को पानी नहीं मिलता है, शौचालय नहीं है और दूसरी आवश्यक चीजें नहीं हैं तो पहले उनकी व्यवस्था करें। लेकिन एक अनियमित ढंग से पार्क बनाया गया। उसके बारे में जनता के प्रतिनिधियों की आवाज भी दब गयी क्योंकि माननीय मंत्री जी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने भी कहा तो उसको एवायड कर गये। मुझे दुःख है कि उस पर माननीय मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया जब पार्क बन गया तो एक महीने बाद, लोगों के एतराज करने पर, टेन्डर आमंत्रित किये गये जिस पर जिलाधिकारी की भी रिपोर्ट है कि इस टेन्डर की अब क्या आवश्यकता है जब कि 90 परसेंट काम पार्क का पूरा हो गया। इस पार्क को बनाने का काम गोरखपर के ही ठेकेदार को न देकर बाहर के, बनारस के ठेकेदार को दिया गया। इसमें बीसों हजार का घोटाला है। इसकी जांच होनी चाहिये। जबकि विभाग में ही इन्जीनियर अधिदर्शक हैं। इनसे कराना चाहिए था।

एक हमारे आफिसर इन्चार्ज श्री आर0 पी0 सिंह हैं जिन्होंने पवित्रता से 60 साल सेवा करते हुये गुजारे हैं। जिसमें से नगरपालिकाओं को भी अवसर मिला है उनके कार्यों

से जनता को काफी राहत मिली। नगरपालिका की भी आमदनी बढ़ी। जिस नगरपालिका के ऊपर लाखों रुपये का कर्ज था उसका उन्होंने जमा करने की व्यवस्था की। मैंने उनके लिये लिखा कि कम से कम 6 महीने का एक्सटेंशन इन्हें और दे दिया जाय। चीफ सेक्रेटरी श्री एम0 लाल साहब थे। उन्होंने कहा कि 60 साल के बाद पी0 सी0 एस0 को एक घंटे का भी एक्सटेन्शन नहीं मिलेगा क्योंकि यह नीति का मामला है। श्री डी0 एन0 खन्ना, पी0 सी0 एस0 जो वर्तमान समय में गोरखपुर के एग्जीक्यूटिव आफिसर हैं उनको 60 साल के बाद 6 महीने का एक्सटेन्शन दिया गया। यह बिल्कुल अनियमित कार्य है। इस पर मंत्री जी ध्यान दें क्योंकि जब नीति है कि किसी को एक्सटेन्शन नहीं देंगे तो इनको भी नहीं देना चाहिये था। इस समय कार्य भी नहीं कर रहे हैं। समझते हैं कि अब तो मुझे हटना ही है।

पानी का जहां तक सवाल है, माननीय मंत्री जी ने एक पुस्तिका दी है। उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की है। उन्होंने लिखा है कि यजुर्वेद में आदेश है "जल में ओका या थूका न जाय। जल में रक्त मत गिराओ, न हो जल में केश, नाखून, हड्डियां, राख इत्यादि डालो और न उसमें गन्दे कपड़े धोओ क्योंकि ऐसा करना ईश्वर के अमूल्य धन की अवहेलना होगी"। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि ये सब चीजें कहां जायं। क्या ये सब चीजें सड़कों पर या मकानों के चारों तरफ रख दी जायं? केवल अधिकारियों का एरिया साफ रहे और मोहल्लों में ये सब चीजें पड़ी रहें। वैसे भी नगरपालिका के अधिकारी इस नियम का पालन करते हैं कि किसी जगह कुत्ता मर जाता है तो वह चार पांच दिन तक पड़ा रहता है। मालूम होता है इसी को देख कर मंत्री जी ने यह निश्चय किया। (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर 10 मिनट और दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

आपको काफी समय हो गया है।

श्री राम लाल भाई--

अच्छा 5 ही मिनट और दे दीजिये। पिछली बार हमने आवाज उठायी कि गोरखपुर में एक धोबी घाट बनवाने की कृपा करें। आपने भी यह सुझाव दिया है कि नदी में गन्दे कपड़े न धोयें। तो आखिर धोबी लोग कपड़े कहां धोयें? धोबी तथा अन्य लोग भी गन्दे कपड़े धोते हैं। तालाब कहीं है कहीं नहीं है। तो फिर जायं कहां? काफी सुधार आप कर रहे हैं। तो कम से कम एक धोबी घाट गोरखपुर में निर्माण करवायें।

क्योंकि धोबियों का कई बार जलूस भी निकला, हमने उनको समझा दिया कि कोई प्रदर्शन वगैरह न करो, हम आपकी मांगों को मंत्री जी तक पहुंचा देंगे। आप इस पर आवश्यक कार्यवाही करें।

मान्यवर, हमारे यहां राप्ती नदी का स्तर ऊंचा है। और शहर का नीचा जिससे बरसात के दिनों में जब थोड़ा सा भी पानी बरसता है तो शहर में पानी भर जाता है। उसको निकालने के लिये किराये पर पंपिंग सेटों को लेना पड़ता है। उसमें बड़ा खर्चा आता है और काम में भी देरी होती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे तत्काल वहां के लिये 10–15 पंपिंग सेटों की व्यवस्था करा दें। सरकार द्वारा खरीदकर भिजवा दें।

चुंगी के संबंध में भी काफी घोटाला है। धीरे-धीरे उसमें सुधार हो रहा है। और सुधार होने की आवश्यकता है।

[श्री राम लाल भाई]

जहां तक हाउसिंग बोर्ड का संबंध है, माननीय शंकर प्रसाद जी ने कहा, सब लोगों को उससे लोन नहीं मिल पा रहा है। जब तक उसके पास अधिक रकम की व्यवस्था नहीं होगी तब तक सब लोगों को लोन मिलना संभव न हो सकेगा। कुछ आपत्तियां भी होती हैं।

हमारे यहां जो शराब की दुकानें चलती हैं। सिनेमा घर चलते हैं उन सब की सफाई आदि का काम इन नगर महापालिकाओं और नगर पालिका को ही करना पड़ता है। उनकी आय बढ़ाने के लिये मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप हर सिनेमा टिकट पर 10 पैसा टैक्स लगा दें और वह पैसा इन नगर महापालिकाओं को दें। इसी प्रकार शराब के ठेकों से जो पैसा मिलता है उसका भी 10 परसेंट आप इन नगर पालिकाओं को दें। ताकि उनकी आय बढ़ सके और वे आय से अपने उपयोगी कार्य कर सकें। जो सरकस तथा मेले आदि लगते हैं उनसे भी एक निश्चित रकम वसूल करनी चाहिये। इस प्रकार आय के साधन उनके बढ़ाये जा सकते हैं।

नगर पालिकाओं के शिक्षक लोग कुछ समय से हड़ताल कर रहे हैं। उनकी भूख हड़ताल के संबंध में भी माननीय मंत्री जी को कुछ सोचना चाहिये। जो शोर करता है उसकी मांग तो आप मान लेते हैं, किन्तु जो शोर नहीं करता, शान्ति के साथ अपनी मांगों को रखता है, उसकी बातों को आप नहीं मानते, यह ठीक नहीं है। इस पर तत्काल विचार कर लें। उन्हें उत्तर दे दें। ताकि अपने कार्यों पर जायं। मान्यवर, कारपोरेशन के जो मकान बनते हैं व भी जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पाते। आपके अधिकारी जो अपना मकान बनाये हुए हैं अपने मकान को तो किराये पर उठाये हुए हैं और कारपोरेशन का मकान लेकर स्वयं उसमें रह रहे हैं। ऐसे बहुत से अधिकारी हैं। उनसे मकान खाली कराकर कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मकान देना चाहिये।

शौचालयों के संबंध में भी निवेदन करना चहता हूं। हमारे यहां गोरखपुर में जो शौचालय बनाये गये हैं वे बड़े ही गन्दे रहते हैं। आपने कहा है कि हम बहुत से शौचालयों को फ्लश सिस्टम से बना रहे हैं। मगर हमारे यहां शौचालयों की स्थिति यह है कि न वहां की सफाई होती है, और न ही वहां एक बूंद पानी आता है।

मन्यवर, मेरे यहां हाउस और वाटर टैक्स तो वसूल करते हैं। किसी को उसे देने में एतराज भी नहीं है। मगर एक बूंद पानी भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। पहले जब गोरखपुर की आबादी 1 लाख 20 हजार की थी, तब वहां पानी की दो टंकियां थीं, आज 3 लाख 38 हजार की आबादी होने पर भी वहीं दो टंकियां हैं। वहां पर 4 टंकियां और बनायी जानी चाहिये। जिससे पानी मिल सके।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने बलिया में वाटर टैक्स की वसूली के लिये जिलाधीश को आदेश भेजे हैं वैसे ही आदेश आप हमारे गोरखपुर के लिये भी भेजने की कृपा करें। एक-चौथाई तो आप वसल कर लें। शेष को किश्तों में वसूल कर लिया जाय।

जो पुराने कुएं हैं, उनकी सफाई की भी जरूरत है। आप उनकी सफाई करा दें, गरमी आ रही है। ताकि लोगों को पानी मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं आशा करूंगा कि मंत्री जी मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो स्थानीय निकायें हैं उनमें बड़ा घपला है, गड़बड़ियां हैं। जनता को उनसे बड़ा असंतोष है। किसी भी दल की

नगरपालिका हो, वह जनता की अच्छी तरह सेवा नहीं कर पा रही है । इसका भी एक कारण है । वह यह कि हमारे उत्तर प्रदेश नगरपालिका का जो ऐक्ट है, अधिनियम है वह 1916 का बना हुआ है । उसमें आज की परिस्थिति के अनुसार जो परिवर्तन होना चाहिये । संशोधन होने चाहिये, वह आज तक उसमें नहीं हुआ । कई बार हमारी सरकारों ने, जब-जब सरकारें बदलीं उसके नये-नये मंत्रियों ने इसमें परिवर्तन करने के लिये उप समिति बनाई, लेकिन आज तक उनकी रिपोर्ट सरकार को नहीं दी गई, सदन को नहीं दी गई । उसमें कोई संशोधन नहीं किये गये ।

मैं मुख्य रूप से कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि उस ऐक्ट में कौन-कौन से आमूल परिवर्तन किये जायं, जिससे वह नगर की जनता के हित के लिये सक्षम साधन सिद्ध हो सके । एक तो यह है कि जब सरकार नगरपालिकाओं को सुपरसीड करती है नगरपालिका और सरकार किसी भी पार्टी की हो, तो राजनैतिक प्रभाव और दबाव से प्रेरित होकर सरकार नगरपालिकाओं को अपने हाथ में लेती है और भंग करती है। कई ऐसे उदाहरण हैं जब नगरपालिका के अधिकांश सदस्यों ने, जिलाधीश ने और कमिश्नर ने मांग की कि नगरपालिका भंग की जाय पर वह उस समय नहीं की गई, किन्तु एक छोटे से कारण पर वे बाद में भंग हुई हैं । बदायू नगरपालिका का उदाहरण सामने है । बदायूं के जिलाधीश ने, रुहेलखंड डिवीजन के कमिश्नर ने लिखा नगरपालिका को भंग करने के लिये, किन्तु वह नहीं किया गया, परन्तु जब बाद में वहां का चेयरमैन, अध्यक्ष बदल गया तो उसे तुरन्त सुपरसीड कर दिया गया तो इसका परिणाम यह है कि सरकार नगरपालिकाओं को भंग करती है और हाईकोर्ट उसे स्टे दे देता है । अतः इसका निर्णय मंत्री जी करें । बल्कि इस काम के लिये एक ट्रिब्युनल स्थायी न्यायाधिकरण गठित किया जाय । जो जिलाधीश और कमिश्नर नगरपालिका के विरुद्ध चार्जशीट भेजें वह ट्रिब्यनल को सौंप दी जाए, और उस ट्रिब्युनल का निर्णय अन्तिम माना जाए, लास्ट माना जाये । उसका परिणाम यह निकलेगा कि किसी भी दल के मंत्री हों, वह किसी भी राजनैतिक कारणों से किसी पालिका को भंग नहीं करने पायेंगे । इसी प्रकार से आप नगरपालिकाओं के सदस्यों को उनकी सदस्यता से कभी-कभी निलम्बित करते हैं, मैं चाहूंगा कि यह अधिकार भी सरकार के पास न रहे । जिस सदस्य के विरुद्ध शिकायत आये, आरोप आयें, उसे ट्रिब्युनल को सुपुर्द कर दें, वह अंतिम निर्णय करे । मेरा यह सुझाव ऐसा सुझाव है, जो मंत्री जी को मान लेना चाहिये । मैंने कई बार सदन में कहा है, विभिन्न नगरपालिकाओं को विभिन्न सरकारें भंग करती हैं और दूसरे दिन ही उन्हें हाईकोर्ट से स्टे मिल जाता है । इससे सरकार को सबक लेना चाहिये । इसी से नगरपालिकायें आज सेवा का सक्षम माध्यम नहीं हो पा रही हैं । उनके माध्यम से सफाई, रोशनी शिक्षा और विकास का काम सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है ।

एक और शिकायत है जो मिनट्स, कार्यवाई प्रोसीडिंग्स हैं, उनकी पवित्रता नहीं है, उनकी सैंकट्टी नहीं रह गई है । उसका कारण क्या है, मैं सदन को बताऊं, माननीय कमलापति त्रिपाठी जी इस सदन के नेता हैं सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं किन्तु विधान सभा के मिनट्स मेंटेन करना उनके अधिकार सीमा में नहीं है । उसके लिये अध्यक्ष महोदय हैं, जो विरोधी दल के मेम्बरों को भी समानता का अवसर देते हैं । लेकिन वहां पर स्थिति विपरीत है, वहां पर सत्ताधारी पार्टी का जो नेता है, चेयरमैन उसको ही पावर है मिनट्स को मेंटेन करने का यही कारण है कि विरोधी सदस्यों के प्रस्ताव, उनके डीसेंट-नोट्स मिनट्स में नहीं आते हैं । जब नगरपालिका की मीटिंग समाप्त हो जाती है, तो चेयरमैन अपने आफिस या घर में बैठकर मिनट्स लिख लेते हैं । कई स्थानों पर ऐसा हुआ है कि मीटिंग का 4 बजे का समय है और कोई विरोधी मेम्बर सवा 4 बजे आया तो उससे कहा गया कि अब तो मीटिंग समाप्त हो चुकी है । अब तो सवा चार बजे हैं । मैं चाहता हूं कि उसकी मीटिंग की अध्यक्षता वहां के चेयरमैन न करें, चाहे एस0डी0एम0 से करायें चाहे एस0डी0एम0 हो, या तहसीलदार हो या वरिष्ठ

[श्री कृष्णस्वरूप वैश्य]

सदस्य हों जो चेयरमेन के अतिरिक्त हो, वह उस की अध्यक्षता करे जिससे मिनट्स की पवित्रता रह सके और विरोधी दल के सदस्यों को यह कहने का मौका न मिले कि हमारे सुझाव और डिसेंटिंग नोट्स कार्यवाही में नहीं आते। इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। जिस प्रकार बी0डी0सी0, जिला परिषद के अन्दर उस क्षेत्र के एम0एल0ए0 को जिला परिषद का सदस्य बनाते हैं, उसी तरह से जिस एम0एल0ए0 के क्षेत्रों में नगरपालिका, टाउन एरिया हो उसको उसका सदस्य होना चाहिये। इस प्रकार का संशोधन किया जाय जिससे वह विधायक अपने नगर की समस्याओं से अवगत हो सके। यदि आप मुनासिब समझें तो वह नगरपालिकाओं की बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। इस प्रकार के बहुत से सुझाव हो सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जो पुराना ऐक्ट 1916 का है जिसमें अधिकार चेयरमैन में निहित हैं, सदस्यों और समितियों को अधिकार नहीं है (व्यवधान)

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

बैठिये।

श्री कृष्णस्वरूप वश्य—

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि नगरपालिका ऐक्ट में इस प्रकार का संशोधन किया जाय कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाय। सारे अधिकार नगरपालिका अध्यक्ष में निहित न रहें। कुछ उपाध्यक्ष के पास आने चाहिये, कुछ सब कमेटियों के पास जाने चाहिये जैसे फाइनेंस सब कमेटी है, पी0 डब्लू0 डी0 सब कमेटी है और दूसरी सब कमेटियां हैं। उनके अध्यक्ष हैं। उनके पास अधिकार जाने चाहिये। उनके आर्थिक स्रोत बढाये जायं। नगरपालिका क्षेत्र में सिनेमा चलते हैं, दंगल होते हैं। सरकार जो मनोरंजन कर उस क्षेत्र में लेती है उसका 25 या 30 प्रतिशत स्थानीय निकायों को मिलना चाहिये जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके।

इसके साथ ही साथ आज जो फूड अडल्ट्रेशन कैस होते हैं, उनका चालान होता है, कोर्ट में जाते हैं और जुरमाना पड़ता है, वह सरकार के खजाने में रह जाता है। फूड अडल्ट्रेशन के जो केसेज हैं और नगरपालिकाओं के क्षेत्र के हैं, उस क्षेत्र में नगरपालिकाओं की स्वच्छता की जिम्मेदारी है, वह जुरमाने की राशि नगरपालिकाओं को मिलना चाहिये जिससे नगरपालिका की आय का स्रोत बढ़ सके।

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री सिविल सप्लाइज मिनिस्टर भी हैं। आपने नया कंट्रोल ऐक्ट बनाया उसमें स्थानीय निकायों को उस रेन्ट कंट्रोल से मुक्त कर दिया है। एग्जेम्प्ट कर दिया है। वह उन पर लागू नहीं होता। आपका इससे अभिप्राय यह होगा कि यदि नगरपालिकाओं या स्थानीय निकायों को अपने काम के लिये कोई जगह चाहे जिसमें नगरपालिका का कोई किरायेदार है तो वह खाली करवा सकें। परन्तु स्थानीय निकाय यह कर रही है कि जितने नगरपालिका के किरायेदार है सबको नोटिस दे दिया है कि हमारी दूकानों को खाली कर दीजिये। हम आपको हटाना चाहते हैं और जो आज 25 रुपये किराया है उसका 200 रुपये किराया लेंगे। माननीय मंत्री जी अपने जवाब में स्पष्ट करें कि लोकल बाडीज को रेंट कंट्रोल ऐक्ट से एग्जेम्प्ट करने का क्या अभिप्राय है? क्या यह अभिप्राय है कि वह हर साल अपने टिनेंट्स से दूकान खाली करा लें, चाहे बदायूं हो, सहसवान हो या पीलीभीत हो इस प्रकार से नगरपालिकायें किरायेदारों को हैरस कर रही हैं। रिश्वत के लिये, भाई भतीजेवाद के लिये, कुनबापरस्ती के लिये उनको एक नया अस्त्र मिल गया है जो आपने रेंट कंट्रोल ऐक्ट से नगरपालिकाओं को एग्जेम्प्ट कर दिया है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जो रोड ग्रांट देते हैं नगरपालिकाओं की सड़क बनाने के लिये आज उनमें भी पक्षपात हो रहा है। जो सत्तारूढ़ दल की नगरपालिकायें हैं या जिन

विधायकों ने दौड़भाग कर ली उनको ग्रांट मिल जाती है जब कि होना यह चाहिये कि जिन नगर पालिकाओं की सड़कें हैं अथवा जहां बड़ी सड़कों की दुर्दशा है उनको ग्रांट दी जाती है। होता यह है कि जिनकी सड़कें अच्छी हैं, जिनके पास पैसा है उन्हें आप ग्रांट देते हैं जब कि देना उनको चाहिये जिनकी सड़कें खराब हैं और जिनके श्रोत कम है, आमदनी कम है और इसी तरह से बदायूं की नगरपालिका एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में रही जिसने सारे नगरपालिका के ढांचे को बिगाड़ दिया। आज उसको ग्रांट मिलनी चाहिये थी लेकिन नहीं मिली।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नगरपालिका के अन्दर जो सेवायें एवं अधिकारी हैं उनको आपने सेन्ट्रलाइज कर दिया है यह समझकर कि एक अधिकारी के एक स्थान पर बहुत दिन तक बने रहने से एक किलिक सा बन जाता है, स्वार्थ निहित हो जाते हैं जिससे वहां गंदगी फैलती है भ्रष्टाचार फैलता है। लेकिन सेवाओं के सेन्ट्रलाइज करने के प्रश्न पर हमको इस विषय पर पुनर्मूल्यांकन करना चाहिये। जो सेंट्रलाइज एम्प्लाईज होते है वे समझते हैं कि नगरपालिका के अध्यक्ष अथवा चेयरमैन की आज्ञा मानने के लिये, उनके अनुशासन में रहने के लिये वे बाध्य नहीं हैं और उनका तबादला लखनऊ से होगा, मंत्री करेगा। इसलिये वह सेंट्रलाइज एम्प-लाईज उतनी लगन, तत्परता तथा दक्षता से काम नहीं करते जितना कि उनको करना चाहिये। एक्जिक्यूटिव आफिसर का पद महत्वपूर्ण पद है। जिस नगरपालिका में मेजारिटी से प्रस्ताव पास हो तो कम से कम उस एक्जिक्यूटिव आफिसर को उस नगरपालिका के अन्दर नहीं रखना चाहिये, उसका स्थानान्तरण हो जाना चाहिये।

इसके अलावा जितनी भंग नगरपालिकायें हैं, जिनमें आज एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हैं वहां आप चुनाव नहीं करा पाये जब कि जिला परिषद् तथा बी० डी० सी० के चुनाव हो रहे हैं। आपका निहित स्वार्थ है इसलिये कि आप अपनी इच्छा के एडमिनिस्ट्रेटर वहां नियुक्त रखना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि इन भंग नगरपालिकाओं के चुनाव जल्द कराये जायें और वहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नियुक्त किये जायं। बदायूं के अन्दर स्लाटर हाउस की समस्या भी अपनी जगह पर है। यह स्लाटर हाउस नगर के बीचो बीच में है जहां से अनाज की मंडी, कपड़े का बाजार तथा स्कूल पास है। नगरपालिका को मजबूर किया जाय कि वहां से इस स्लाटर हाउस को हटाये क्योंकि उसके रहने से बदबू फैलती है। और झगड़ा होने का अंदेशा भी रहता है। इन शब्दों के साथ जो मैंने रचनात्मक सुझाव दिये हैं नगरपालिका अधिनियम में संशोधन लाने के लिये उन पर सरकार विचार करेगी जिससे नगरपालिकाओं का ढांचा बदल सकेगा और माननीय मंत्री उत्तर देते समय उन पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करेंगे।

*श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण अनुदान पर जो मुझे बोलने का अवसर दिया है मैं उसके लिये आपको बधाई देता हूं और मंत्री महोदय ने जो अनुदान पेश की है उनकी मैं ताईद करता हूं।

और मैं इनकी इस माने में ताईद करता हूं कि इन्होंने एक बड़ा भारी क्रान्तिकारी कदम उठाया है। नगरमहापालिकाओं को उनके मेम्बरों के हाथों से निकालकर अपने हाथ में ले लिया है। ये नगर महापालिकायें भ्रष्टाचार के अड्डे बनी हुई थीं उनके लिये कानून बनाकर उन्हें तोड़ने का इस सरकार ने क्रान्तिकारी कदम उठाया है। यह बड़ा सराहनीय कदम है। जो हमारे जाने-माने माननीय सदस्य हैं वे जानते हैं कि इन नगर महापालिकाओं के अन्दर चाहे जो मेम्बर हों, चाहे प्रेसीडेन्ट हों, मेयर हों या अध्यक्षायें हों, उनके साथ किस प्रकार का बरताव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजित राम पांडेय]

किया जाता था। इस सदन में कई बार इस संबंध में इस तरह की समस्या भी उठाई गई और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इनको ले लिया जाय। लेकिन हमारे बेनी सिंह जी और इस सरकार को मैं उनके इस क्रान्तिकारी कदम उठाने के लिये बधाई देना चाहता हूं।

अधिष्ठाता महोदय, हमारे कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आप कटौती का प्रस्ताव क्यों नहीं लाये। मान्यवर, यह स्वायत्त शासन का महकमा इतना बड़ा है कि जिसमें इतने कम पसे से काम नहीं चल सकता है। इसके अन्दर पीने के पानी का भी सवाल है। इसलिये जो पैसा माननीय मंत्री जी ने मांगा है, वह बहुत कम है। अगर आप 25 साल आजाद हुए देश में समाजवाद लाना चाहते हैं, अगर आप गरीबों को कुछ राहत पहुंचाना चाहते हैं तो आपको इंदिरा जी के प्रोग्राम के अनुसार चलना होगा, उनके नतीजे पर आना होगा। यही जनता की मांग है। अब जनता चुप नहीं रहेगी। आपको मजबूरी के साथ इस काम को करना पड़ेगा। हमारे भाई साहब बहुत शोरगुल मचा रहे हैं। इस चुनाव में आपने जनता की आवाज को पहचाना। चाहे इस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्य या उस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्य हों 25 साल तक जो कुकृत्य किये गये हैं, उन्हें जनता माफ करने वाली नहीं है। आप लखनऊ की ही हालत देख लीजिये, यहां पर 3/4 लोग कितनी जगह पर रहते हैं। उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है। माननीय बाल्मीकि जी ने एक बात सदन के सामने रखी। वह जमाना अब गुजर गया है। अब वह जमाना आने वाला है जब कि जनता सब समझ गई है और वह किसी को माफ नहीं कर सकती है। पिछले चुनाव में ही उसने बता दिया और बाकी आने वाला चुनाव बतायेगा। जो नारा इंदिरा गांधी ने दिया है कि गरीबों को रहने की व्यवस्था करेंगे, उनके लिये पानी की व्यवस्था करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि इतने कम रुपये से काम चलने वाला नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज गरीबों के घर में, हरिजनों के घर में, मेहतरों के घर में और शहरों में रहने का कोई ठिकाना नहीं है। इसके लिये प्रबन्ध करने होंगे। पिछड़ेपन को हमें दूर करना होगा। यह बहुत बड़ा सवाल है। आज के आजादी के युग में एक कमरे में 10-20-25 आदमी रहें और एक आदमी के पास 10 बीघे जमीन हो और उस पर बड़े-बड़े अफसर रहते हों तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अगर आप वास्तव में समाजवाद लाना चाहते हैं तो आपको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। जमीन कोई रबड़ नहीं है। इस संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो एक-एक अफसर का बंगला है चाहे वह डिप्टी कलेक्टर का बंगला हो, जज का बंगला हो उनके पास दसों बीघे जमीन खेती करने के लिये पड़ी हुई है। लेकिन जो बेचारे चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं, मजदूर हैं और जो 50-100 रुपये महीने की नौकरी करते हैं उनको शहरों में रहन के लिये कोई मकान नहीं है, एक कोठरी भी नहीं है। आपको उनके लिये भी थोड़ा इन्तजाम करना होगा। अगर आज इस बात को मद्देनजर रखते हुये इन्तजाम नहीं करेंगे तो समाजवाद झूठा है, और फिर लोग आपको माफ नहीं करेंगे। मैं आपको आगाह करता हूं कि इन्दिरा जी की जो नीति है और जो उनकी नीयत है यह उन्हीं की जुर्रत है जो इस काम को करने को तैयार हैं और समाजवादी तरह का कुछ काम उन्होंने किया भी है। जहां तक हरिजनों व भंगियों में इस प्रकार की व्यवस्था है, उसको तोड़ना होगा।

श्री अधिष्ठाता--

आपके मुख्य मंत्री जी भी समाजवाद लाना चाहते हैं।

श्री राजित राम पांडेय--

इन्दरा जी चाहती हैं कि गरीबी को हटाओ, और समाजवाद को लाओ।... (व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आपका टाउन एरिया है, जहां आपके म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं, जहां आपकी नगरपालिकायें हैं वहां पर बड़ी चोरी होती है। आपकी

जो चुंगी हुआ करती है उन चुंगियों में बड़ी चोरी होती है जिसकी वजह से आपको राजस्व बहुत कम मिलता है । सारे के सारे पैसे चाहे मेयर खा जाता हो, चाहे वहां के मेम्बर्स खा जाते हों, चाहे कर्मचारी खा जाते हों लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि इलाहाबाद में इन लोगों का एक अड्डा ऐसा है जिसके जरिये सब लोग खाते हैं । आपको इस तरफ भी तवज्जह करना होगा ।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो सड़कें आपने बनायीं, जिस तरह से हमारे बट साहब ने इलाहाबाद की सिविल लाइन को सजाया उससे वहां वाले आफिसर लोगों और बड़े लोगों को काफी आराम पहुंचा लेकिन वहीं पर लोकनाथ की गलियों को देख लें, वहीं पर घंटा घर को देख लें, नखास के कोने को देख लें जहां पर इन्सान हैवान की तरह से रहते हैं । अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि शहरों में रहने वाले गरीबों की तरफ भी तवज्जह करें । (व्यवधान) . . . सुकवा बोले तो बोले चिरैया क्या बोले । आपकी ही सरकार तो 25 साल तक रही और आपके कुकर्मों को ही इन्दरा जी धो रहीं हैं । अगर आप लोग चेते होते तो यह नौबत ही न आती ।

मान्यवर, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि थोड़ा सा आप पानी की तरफ भी तवज्जह करें । मेरे यहां नगरपालिका में चाहे बिजली की कमी हो, चाहे जो भी हो, लेकिन पानी की बड़ी दिक्कत है । दिन में शायद 10 बजे तक पानी मिलता है, इसके बाद दिन भर पानी नहीं मिलता है । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप पानी का इन्तजाम नहीं करते तो बड़ी मुश्किल हालत हो जायगी । चीफ इंजीनियर, एल० एस० जी० ई० डी० के बैठे हुये हैं । हमारे इंडिया में पानी की बड़ी दिक्कत रही तो वहां एक बम्बा गाड़ा गया और वह बम्बा भी खराब हो गया और पानी नहीं आया । वहां पर बड़ी जबरदस्त योजनायें चलाई गई हैं । 2/3 साल से स्कीमें चल रही हैं । लेकिन लोगों को एक बूंद भी पानी नहीं मिला । कागजात में भले ही लिखा हुआ हो लेकिन एक गांव में भी पानी नहीं आया और ये सारी स्कीमें वैसे ही पड़ी हुई हैं । इस स्कीम में बड़ा भ्रष्टाचार है, जितनी नालियां खोदी गई हैं, जितने पम्प गाड़े गये हैं वे सब खराब हो गये हैं लेकिन पानी नहीं मिला। पानी की हमारे यहां बड़ी भारी दिक्कत है ।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)––

सरकार पानी नहीं दे पा रही है तो माननीय बंशीधर पांडेय देने के लिये तैयार हैं ।

(इस समय 4 बजकर 21 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

श्री राजितराम पांडेय––

हमारे यहां एक हंडिया तहसील है वहां पर 1/2 टाउन एरिया बनाई जायं जिससे लोगों को राहत मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा––

उपाध्यक्ष महोदय, आज की बहस में जो सुझाव दिये गये हैं उनको अन्त में मैं मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूंगा । वे बड़े अहम सुझाव हैं । जैसे कि रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में उन्होंने एक बात कही है कि नगरपालिका की प्रापर्टी को इससे मुक्त कर दिया गया है ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)––

मान्यवर, मैं आपके द्वारा इस सदन का और मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समय नहीं है। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, मैं 2 3 मिनट ही लूंगा और माननीय शर्मा जी से क्षमा मांग लूंगा। छोटे आदमियों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। बड़े-बड़े शहरों में जहां हमारी पवित्र मानी जाने वाली नदियां बहती हैं, उनकी सफाई की तरफ, आजादी के 25 साल बाद भी सरकार का ध्यान नहीं गया है। इसका कारण यह है कि बड़े लोग उनसे लाभ नहीं उठाते हैं बल्कि छोटे लोग ही उनमें स्नान करने जाते हैं और उनका पानी इस्तेमाल करते हैं, पर्व पर ही छोटे लोग ही स्नान करने जाते हैं। सरकार का ध्यान इधर जाना चाहिये। उद्योगों का ज्यों-ज्यों विकास हो रहा है, उनकी गंदगी भी उनमें ही पहुंचती है। लखनऊ जो ज्यादा साफ माना जाता है, जो फुलवारी और पार्कों का शहर है, यहां भी मच्छर बहुत हो गये हैं। पहले निश्चय किया गया था कि सफाई मजदूरों को अपनी कमर पर या सिर पर मला लादकर चलना पड़ता है, यही प्रथा ज्यों की त्यों है।

इस प्रथा को तो कम से कम खत्म किया जाय कि लोगों को अपने सिर या कमर पर मैला न उठाना पड़े। सरकार के आदेश जा रहे हैं कि इस काम के लिये गाड़ियां खरीदी जायं। यह बहुत जरूरी है कि इस बात को देख लिया जाय कि यह गाड़ियां किस एजेंसी से खरीदी जा रही हैं और किस एजेंसी से उनको एप्रूव कराया गया है। उनका हल यह है कि दो-चार दिन के इस्तेमाल पर ही उनके अंजर-पंजर अलग हो जाते हैं, वह बहुत ही रद्दी गाड़ियां हैं और इसको देखते हुये उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। जैसे और विभागों में खरीदफरोख्त में गड़बड़ी चलती है उसी तरह से एप्रूव्ड लिस्ट में इन रद्दी गाड़ियों को रखा गया है और उनकी जो कीमत रखी गई है वह गाड़ियां उसके लायक नहीं है। इसलिये इस सिर पर और कमर पर मैला उठाने की प्रथा को फौरन खत्म करना चाहिये और अच्छी किस्म की गाड़ियां सफाई कर्मचारियों को दी जानी चाहिये।

आबादी के साथ-साथ शहरों में गन्दगी तरह-तरह से बढ़ रही है। आपके विभाग की ओर से जो सफाई का इंतजाम रहता है या स्वास्थ्य विभाग का जो इंतजाम रहता है, वह प्रायः नाकाफी है और इसी वजह से लोगों को मक्खी और मच्छरों का शिकार होकर बीमारी में मुगतला होना पड़ता है। इसी तरह से पेय जल की भी बड़ी गम्भीर समस्या है जिसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। छोटे लोगों की बस्ती में बिजली और पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है, इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये। इसके अलावा कभी हमने स्वप्न देखा था कि स्वायत्त शासन संस्थाओं के अधिकार बढ़ाये जायेंगे लेकिन वे बढ़ने के बजाय दिनो-दिन और संकुचित होते चले जा रहे हैं। मिसाल के लिये सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षिता, पेय जल सब उनके विषय रहे हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में आते थे लेकिन उनके नियंत्रण से निकाल कर यह अधिकार छीने जा रहे हैं। शिक्षा का जहां तक सवाल है, प्राइमरी स्तर की शिक्षा भी उनसे छीनी जा रही है, नतीजा यह है कि क्या स्वास्थ्य के, क्या पेय जल के, सभी अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। प्रश्न यह है कि क्या आप स्वायत शासित संस्थाओं को कायम रखना चाहते हैं या उनको धीरे-धीरे मार डालना चाहते हैं? यह भी योजना है कि पेय जल योजना को भी नगरपालिकाओं से निकाल कर किसी निगम के सुपुर्द कर दिया जाय। यह भी नहीं देखा जाता है कि कौन नगरपालिका अच्छी तरह से काम चला रही है या नहीं चला रही है। एक स्कीम बना ली जाती है और कोई स्थानीय संस्था अगर ठीक ढंग से भी काम चला रही होती है तो उसको भी केन्द्रित कर दिया जाता है। नतीजा यह है कि उनकी शक्ति क्षीण होती जा रही है बजाय बढ़ने के।

एक ओर मैं और आप का ध्यान दिलाऊंगा कि 3 साल पहले जब सड़कें बहुत टूटी थीं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम इतना अधिक बढ़ गया कि वह अपने सड़क पर चलने वाले स्टीमरोलर्स को नगरपालिकाओं के लिये स्पेयर नहीं कर सके । उनके पास अपने स्टीमरोलर थे नहीं, उसका नतीजा यह हुआ कि शहरों में जो सड़कें पहले से बनी हुई थीं वह बेकार हो रही हैं और टूटती चली जा रही हैं । बाराबंकी म्युनिसिपिल बोर्ड को सड़क का अनुदान मिला हुआ है । उसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये ताकि सड़कों का ठीक से संरक्षण हो सके और वह बन सके ।

हमारे यहां बाराबंकी जिले में बड़ैल में पेय जल योजना का शिलान्यास किया गया और वहां सरकार की तरफ से मंत्री जी ने एलान भी किया कि मई-जून तक इस योजना को चालू कर दिया जायगा ताकि लोगों को पीने को पानी मिल सके । लोगों को इससे बहुत खुशी हुई और सन्तोष भी हुआ लेकिन अब इंजीनियरिंग विभाग से हमें पता लगा है कि जो अनुदान इस योजना को समय के भीतर पूरा करने के लिये मिलना चाहिये था, वह अभी नहीं मिला है । वह चाहते थे कि अगर कोई टरेकिन ग्रान्ट ही एक दो हजार की मिल जाती तो हम इस योजना को समय से पूरा कर देते । इस ओर ध्यान दिया जाय ताकि आपकी घोषणा को वहां के लोग कोरा वरदान समझें जैसे और वादे आप के होते हैं । इसे किसी तरह से पूरा कराया जाय । इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री चन्द्रभान शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये भी माननीय सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये । जो विचार व्यक्त किये गये हैं उनकी ओर ध्यान दिलाते हुये मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह उनको खास तौर से नोट कर लें ।

जैसा राम लाल भाई ने 1965 की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया और यह कहा कि सरकार को यह नोट भेजा कि जमीन लेकर ऐसे लोगों को नौमिनल प्राइस पर दे दी गयी और उन लोगों ने अभी तक मकान नहीं बनाये हैं और वे लोग इस जमीन से मुनाफा उठाने के फिक्र में हैं, जब कि सरकार की घोषणा है कि वे हरिजनों को जमीन देना चाहती है । जिन जमीनों को मामूली मालियत के ऊपर दे दिया गया, उनसे उन जमीनों को वापस लेकर क्यों नहीं हरिजनों और लैंडलैस को दे देती है ? सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये ।

एक और हाउसिंग स्कीम के मातहत आप लोगों को मकान एलाट कर देते हैं, वे गरीबों को तो मिलते ही नहीं और ज्यादातर वे अधिकारियों को ही मिलते हैं । और अगर अधिकारियों का तबादला भी हो जाता है तो भी वे उन्हें घेरे पड़े रहते हैं । आज सैकड़ों और हजारों मकान लखनऊ, कानपुर और मेरठ जैसे बड़े बड़े शहरों में आक्युपाइड हैं, उन अधिकारियों के परिवार या तो कब्जा किये हुये हैं या उन्होंने किराये पर दे रखे हैं और दूसरी जगहों पर भी वे मकान ले लेते हैं और आप बेबस हैं, आप टुकर-टुकर उनकी ओर देखते रहते हैं । कोई ठोस कदम आप उठायें वरना यह समस्या बढ़ती जायगी ।

माननीय कृष्णस्वरूप वैश्य ने कानून में तरमीम करने के लिये बहुत से प्वाइन्ट्स उठाये । रेंट कन्ट्रोल से महापालिका की प्रापर्टी को एक्जैम्प्सट कर दिया है जिसका नतीजा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

वह है कि अपनी जरूरतों को देखते हुये, अपनी प्रापर्टी को गरीब लोगों से जिनसे कम रुपया मिलता है उनसे लेकर अपने हित के लोगों से नजराना लेकर देते चले जा रहे हैं। इस पर आप उस कानून को लागू करवाने की व्यवस्था करें।

दूसरी बात एडल्ट्रेशन की बात बतायी गयी। उसके अन्दर जो जुर्माना होता है वह महापालिका के कोष में न जाकर सरकार के कोष में जाता है। मेरा सुझाव है कि वह नगरपालिकाओं को भी मिलना चाहिये ताकि उनकी आमदनी के जरिये बढ़ें।

तीसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वह यह है और आप उसे तुरन्त नहीं कर वायेंगे तो इसका बहुत बुरा दृश्य होगा। जब महापालिकाओं में मीटिंग होती हैं, तो जाते समय मेम्बर्स दस्तखत कर देते हैं। जो चीजें ऐजेन्डा में हों उनको प्रोसिडिंग्स बुक में लिखा जाय और जो अध्यक्ष के सामने सुझाव आयें, उन पर सदस्यों के दस्तखत हों। वे मनमाने प्रोपोजल्स और रेजील्युशन्स बाद में अपनी एक्जीक्यूटिव से लिख कर पास कराते हैं और लोगों के खिलाफ रिप्रिजेन्टेशन करते हैं तो गवनमेंट कोई निर्णय नहीं दे पाती है बल्कि जो घर पर बैठ करके लिख लिए जाते हैं वे ही स्टेन्ड करते हैं। तो इस तरह से नगरपालिका का बहुत नुकसान हो जाता है। जब आपकी कमेटी बनी है, आपका पैनल बैठा ह, कानून में तरमीम करने के लिए तो ऐसा प्राविधान इसमें होना चाहिए कि जो भी प्रोसीडिंग्स हों वे मीटिंग के रजिस्टर में दर्ज हों और वे सब मैम्बर्स के सामने हों ताकि कोई फर्जी कार्यवाही न हो सके।

वैश्य जी ने एक बात और रामपुर की म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में कही। उनका कहना था कि कमिश्नर ने सुपरसेशन की रिपोर्ट कर दी और उसको आप सुपरसीड नहीं कर रहे हैं और अगर कोई पार्टी बेसिस पर रिपोर्ट कर देते हैं तो नगरपालिका भंग कर देते हैं। आप ऐसा निर्णय करें कि आपके सबोर्डिनेट की जो रिपोर्ट हो, उसके आधार पर आप को फैसला करना चाहिए। और रामपुर म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में कोई न कोई ठोस कदम अवश्य उठाना चाहिए।

जहां तक ग्रान्ट्स का सम्बन्ध है जिनका परिचय है या जो मंजूरेनजर होता है उसको दे दी जाती है। हमारी पार्टी के एक एम0 एल0 ए0, माननीय शफीक अहमद साहब हैं, उनको एक पैसा भी ग्रान्ट का नहीं दिया गया है। क्या ऐसा मुख्तलिफ पार्टी का होने के नाते किया गया है? अभी भाई सुरेन्द्र विक्रम जी ने शाहजहांपुर के कोई बोर्ड के इलेक्शन का जिक्र किया कि 4 साल हो गये लेकिन आप वहां पर इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। चेयरमैन निकाल दिया गया। सुपरसेशन किया हो या न किया हो, लेकिन इलेक्शन हो जाना चाहिये। लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहा है। न जाने क्यों? पता नहीं कि क्या पोलिटिकल बात है। ऐसा नहीं होना चाहिये। मान्यवर, आज जनता का जमहूरियत के खिलाफ विश्वास बढ़ता जा रहा है। सुरेन्द्र विक्रम जी ने तिलहर बोर्ड का जिक्र किया। ये तमाम ऐसी बातें हैं कि आपके अनुदान में आनी चाहिये। आखिर में, मैं यह कहना चाहता हूं कि चूंकि इस विभाग का सफाई, स्वच्छ पानी और जनता को सहूलियतें देने का काम है, इसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिये। अभी प्यारेलाल जी ने बताया कि दारुलशफा और रायल होटल के पीछे गन्दगी और कूड़े कर्कट की फर्श बिछी है। जब यहां राजधानी का यह हाल है तो दूर के जिलों के अन्दर क्या हाल होगा, इसकी कल्पना, मान्यवर, आप कर सकते हैं। इन बातों को देखते हुये, मान्यवर, मैं यह मांग करता हूं कि जो सुझाव अभी माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये हैं, माननीय मंत्रीजी उनको गम्भीरता से सोचेंगे और कमेटी के सामने रखेंगे और जो जरूरी बातें सामने आवें, उन पर कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे। मान्यवर, यह कहता हुआ, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव का फिर समर्थन करता हूं।

*श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, मैं कोई जाप्ते की बात नहीं करता, जो सुझाव इधर आया उधर से मिले हैं, उनमें से कुछ बहुत अच्छे सुझाव हैं। मैं यही यकीन दिला सकता हूं कि उन सुझावों पर, कमेटी की रिपोर्ट जो कि अभी डिपार्टमेंट के विचाराधीन है और जब हम उसको ऐक्ट में एमेंड करेंगे, तो पूरा-पूरा विचार करेंगे, बिला किसी भेद-भाव के कि किसने क्या कहा था, किस लहजे में कहा था, किस वक्त कहा था, उनके सुझावों पर पूर्ण विचार होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में एमेंडमेंट करने के लिये 2/3 वर्ष पहले ही एक कमेटी बन गयी थी। इसके दो हिस्से हो गये, एक नगरपालिका और एक महापालिका। जैसे ही मैंने चार्ज लिया, उसकी मीटिंग्स बलाई, जल्दी-जल्दी कर्ा था, और उनकी रिपोर्ट अभी हफ्ते/डेढ़ हफ्ते से आई है, उस पर गौर कर रहे हैं और यह भी है कि हम इस ऐक्ट को एमेंड करें, इस पुराने ऐक्ट, टाउन एरिया ऐक्ट, 1916 को, और म्यनिसपैलिटीज ऐक्ट को, अगर हमको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलाना है और लोकल बाडीज चलाना है।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, गढ़वाल जिले में दोगड्डा म्यनिसिपैलिटी के प्रेसीडेंट नो-कन्फीडेंस पर निकाल दिये गये थे और उसका चार्ज किसी अधिकारी को—शायद एस0 डी0 एम0 को दे दिया गया था। अब दिसम्बर में चुनाव हो गया लेकिन आज तक उनको चार्ज नहीं मिल रहा है। तो मंत्री जी कृपया इस पर कार्यवाही करवा दें।

श्री बेनी सिंह—

इस पर कार्यवाही जरूर करवा देंगे।

मान्यवर, जब इधर-उधर से लोग बोलते हैं, तो चाहे जितनी ईमानदारी से काम किया जाय, निष्पक्षता से काम किया जाय, चूंकि उनको पूरी जानकारी तथ्यों की नहीं रहती है, इसलिये यही आभास होता ह कि यह बात इसलिये की जा रही है कि किसी पक्ष विशेष का ध्यान रखा जा रहा है। मैं, मान्यवर, बता दूं, विश्वास दिला दूं कि मैं इस प्रकार की कार्यवाही में नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ता। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनका एक प्रोसेस होता है। अगर किसी म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड करते हैं तो उसकी रिपोर्ट आती है, ला डिपार्टमेंट को जाती है, फिर आती है, फिर हम भेजते हैं और इस प्रकार काफी देर हो जाती है। और जब 6-7 महीने बाद ऐक्शन लिया जाता है तो ऐसा लगता है कि रिपोर्ट कब गई और कार्यवाही कब हुई। मैं आपको ऐसा बता दूं कि मैं किसी भेदभाव के आधार पर ऐसी बात नहीं करता, यह बात आप अपने दिमाग से निकाल दें कि करता हूं।

मान्यवर, बहुत से बातें हो गई हैं और उनका अगर एक-एक करके जवाब दूं तो काफी समय लगेगा, लेकिन उनको दो प्रकार से बांटा जा सकता है—एक तो सामान्य सुझाव हैं कि इलेक्शन डाइरेक्ट होना चाहिये आदि तो वह जब विचार होगा उस समय यह बात ध्यान में रखी जायेंगी, लेकिन दूसरी कुछ चीजें ऐसी कही गई हैं जैसे हमको ग्रान्ट नहीं मिली—जैसे कैराना है। हमने कैराना को 10 हजार आर्डीनरी और 4 हजार स्पेशल ग्रान्ट दी है। मेरे खयाल से शर्मा जी ने कुछ देखा नहीं, किसी ने कह दिया और मान लिया। बहेड़ी को भी हमने ग्रान्ट दी है।

एक सदस्य—

बदायूं को क्यों नहीं दी गई?

श्री बेनी सिंह---

बदायूं को इसलिये नहीं दी गई कि 3 लाख रुपये की जो ग्रान्ट दी गई थी उसका यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट आज तक नहीं आया। फिर भी हम यह कर रहे हैं कि सड़क वगैरा बनाने के लिये जो ग्रान्ट दें वह कलेक्टर के पास रख दें और एल० सी० जी० ई० डी० के माध्यम से बना दी जाय ताकि पब्लिक न सफर करे।

श्री हर नारायण (जिला पीलीभीत)---

मुरादाबाद में 10-12 साल से सुपरसीडेड है वहां पर कब तक चुनाव होगा।

श्री बेनी सिंह---

आप बहुत देर से आये हैं। चुनाव क्यों नहीं हो रहा है अगर इस बात का उत्तर देने लग जाऊंगा तो सारी चीजें रह जायेंगी और इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य---

जैसा आपने कहा कि 3 लाख की ग्रान्ट का यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं आया तो जो ग्रान्ट आप देंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, वह एल० एस० जी० ई० डी० व्यय करेगी या म्युनिसिपैलटी ?

श्री बेनी सिंह---

जब हमारी एल० एस० जी० ई० डी० की ब्रांच सभी जगह पर है तो वह टाउन एरिया वगैरा में जाये और स्वयं स्कीम बनावे। वैसे हम बदायूं के लिये कुछ सोच रहे हैं। शाहजहांपुर में वाइस-चेयरमैन का इलेक्शन हो गया और जो रिपोर्ट गवर्नमेंट ने मंगाई है, वह अभी नहीं आई है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

आप उसका जल्दी से नोटीफिकेशन करा दें।

श्री बेनी सिंह---

बहुत जल्दी।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं आपसे एक प्रार्थना यह करूंगा कि जो सिफारिशी और पहुंच वाले हैं वह तो ग्रान्ट ले जाते हैं, इसलिये जिन म्युनिसिपैलिटीज की सिफारिश नहीं आई है उसी को आप ग्रान्ट देंगे क्या ?

श्री बेनी सिंह---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पांडेय जी से यह कह दूं कि उन बदनाम व्यक्तियों में से हूं जो सिफारिश पर बहुत कम ध्यान देते हैं। और अन्दर खाने में आप सब कहते हैं। यहां पर चाहे हमें जो कह लें।

श्री बंशगोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ)---

आप बार-बार कह रहे हैं, अन्दर खाने क्या होता है यह समझा दें।

श्री बेनी सिंह---

बार-बार मैंने नहीं कहा। आपको भ्रम हो गया है। उसे कैसे रफा करें ?

श्री बंशीधर पांडेय---

आपकी बाहरी शक्ल अच्छी है, भीतरी शक्ल को ठीक कीजिये।

श्री बेनी सिंह—

आपकी आंख खराब हो गयी है। चश्मा लगवाइये।

नबाव सैय्यद मुर्तजा अली खां (जिला रामपुर)—

वाटर टैक्स गरीबों पर है। वह पानी इस्तेमाल नहीं करते।

श्री बेनी सिंह—

जितने सवालात आप ने कर दिये हैं उनका जबाव दे लें, नहीं तो रह जायेंगे। घड़ी चल रही है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मंत्री भी चलते हैं।

श्री बेनी सिंह—

अगर मंत्री न चलते होते तो असरार साहब हमको बेच लेते। दुगड्डा में वाइस चेयरमैन को चार्ज लेने के लिए लिख दिया है। रायबरेली को नोटिस गया है। रोशनलाल जी की बात आपने कही, भूतपूर्व चुंगी अध्यक्ष की। वहां के बोर्ड ने पास किया कि हम उसको नहीं रखते। बोर्ड का रेजूलूशन और व्हिप दोनों साथ-साथ हो गये।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मैंने तो आपके दफ्तर की धांधलेबाजी बतलाई थी।

श्री बेनी सिंह—

हमारे आने के बाद वह जल्दी हो गया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

तिलहर के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री बेनी सिंह—

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा है। उन्होंने कहा है कि हफ्ते, दो हफ्ते में भेज रहे हैं। आप कहते हैं कि कुछ नहीं करते तो इन सब बातों से बचने के लिये डायरेक्टोरेट कायम किया है।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

रामपुर नगरपालिका के डी० एम० और कमिश्नर दोनों की रिपोर्ट आ गयी है कि वहां भ्रष्टाचार है।

श्री बेनी सिंह—

मैं उसे देख लूंगा। सब का सब तो याद नहीं रह सकता।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

इलाहाबाद पालिका से साइकिल टैक्स हटाने के लिये प्रस्ताव आया है करीब एक हफ्ते पहले।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

यह और मंत्रियों से बैटर हैं। ग्रान्ट शुरू करा दीजिये।

श्री बेनी सिंह---

क्या जितने महापालिकाओं की आमदनी के जरिये हैं जैसे साइकिल टैक्स, भूमि भवन कर-सब माफ कर दें ? माननीय रूपनाथ सिंह जी कहते हैं कि साइकिल टैक्स माफ कर दो ।

मान्यवर, हम एक बात और करने जा रहे हैं । म्युनिसिपैलिटीज के मेम्बर्स और चेयरमैन को और कारपोरेशन के मेयर और सदस्यों को मीटिंग एटेन्ड करने आने के लिए डेली एलाउन्स मिलेगा ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

यह आदेश सन् 1971 का है, मगर लागू नहीं किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

जब आप यह समझते हैं कि आमदनी कम होती है तो फिर डेली एलाउन्स क्यों दिया जा रहा है ?

श्री बेनी सिंह---

सेटेंलाइज्ड सर्विसेज के बारे में एक बात बता दूं । उसका रूप बना दिया है और वह पब्लिश भी हो गया है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या वह म्युनिसिपैलिटीज व टाउन एरियाज में भी लागू होगा ?

श्री बेनी सिंह---

जी हां ।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

बरेली और मेरठ शहर बहुत बड़े हो गये हैं । उन्हें कारपोरेशन कब बनाने जा रहे हैं ?

श्री बेनी सिंह---

अभी गौर नहीं किया है ।

जो म्युनिसिपैलिटीज सुपरसीडेड हैं वहां पर चुनाव करा देंगे । अब सन् 1971 की सेन्सस हो गयी है । हमारे लिये यह लाजमी हो गया है कि पहले डिलिमिटेशन हो । हम इस काम में जल्दी कर रहे हैं ।

श्री मोहन लाल कपूर---

एक साल हो गया है । कितना टाइम लगेगा ? जल्दी करिये ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

एग्जीक्यूटिव आफिसर्स को उन्हीं टाउन में रखते हैं जिनके वे रहने वाले हैं ।

श्री बेनी सिंह---

इसको भी देख लेंगे । आप अपने दिल पर हाथ रख कर पूंछ लें कि क्यों करते हैं, ऐसा दोष हम पर ही न रखें ।

श्री हरिनाथ तिवारी---

यह तो आपके साथी ही करते हैं । हम तो बताते हैं, आप खुद ही करने को तैयार नहीं हैं ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री बेनी सिंह—

जो भी काम होंगे वे बिना किसी राजनीतिक पार्टी के खयाल के होंगे। लोकल बाडीज का तो सेवा का कार्य है ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा जरूरी स्पष्टीकरण है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि क्या अनुदान संख्या–36–सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,86,32,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 43 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,70,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 14 प्रस्ताव आये हैं । इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान 51—अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर दिलाना चाहता हूं । एक ही उपवेशन में एक से अधिक ऐसे विषय नहीं उठायें जायेंगे । एक ही दिन के लिये एक से अधिक सूचनायें प्राप्त होने की दशा में उस सूचना को स्वीकार किया जायेगा जिसका विषय अध्यक्ष की राय में सर्वाधिक अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण हो । कुछ माननीय सदस्य कई पर दस्तखत करके भेज देते हैं । एक ही भेजना चाहिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

आपके यहां लाटरी है इसलिये कई पर दस्तखत करके भेजते हैं, जो हाथ में आ जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो नियम के अनुसार है । आप लोग दो तीन पर दस्तखत करते हैं तो किसको महत्वपूर्ण समझते हैं, यह लिख देना चाहिये ।

नं0 1 सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम और रामबिलास पांडेय का प्रस्ताव केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है ।

नं0 2 श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का प्रस्ताव नियम 56 के अधीन वक्तव्य के लिये स्वीकृत सूचना में जोड़ दिया जायगा ।

नं0 8 श्री मैनेजर सिंह का बलिया जनपद के पूर्वांचल में विभिन्न गांवों में अग्निकांड के कारण जन धन को अपार क्षति के प्रस्ताव को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है ।

नं0 9 सर्वश्री हीरा सिंह बोरा और गोपाल दत्त ओझा का पर्वतीय क्षेत्र के महाविद्यालयों के छात्रों द्वारा कुमाऊं एवं गढ़वाल विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रश्न पर आन्दोलन का प्रस्ताव केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है और शेष प्रस्ताव अस्वीकार किये गये हैं ।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी नियम 51 की तहत में दिया था और मंशा यह था कि 24 मार्च को श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री का भाषण मुजफ्फरनगर में होना था । वह वहां गयीं और बहुत से युवक और छात्र जो बैठे हुए थे उनको पुलिस की ओर से बुरी तरह से मारा गया है, पीटा गया है । उनको पकड़ करके पुलिस कोतवाली ले गयी और इरादा उससे भी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन मुजफ्फरनगर की जनता बड़ी तादाद में वहां पहुंच गयी और कोतवाली को घेर लिया और उनको छोड़ने पर मजबूर किया । उनकी हालत बड़ी खराब थी, उनको डंडों से, लोहे की सलाखों से मारा गया है, उनके कपड़े फट गये और बुरी हालत कर दी गयी । उन नवयुवकों की यह हालत देख कर जनता में बड़ा रोष है । यह बहुत बड़ा लोक महत्व का प्रश्न है, अविलम्बनीय है, इसको आपने खारिज कर दिया । तो मेरा निवेदन है कि इसको रूल में स्वीकार करें । मुख्य मंत्री जी वहां स्वयं मौजद थे । मेरे पास जो सूचना है उसमें यह है कि मुख्य मंत्री जी भी थे और भाषण दिया । आपके भाषण के फौरन बाद पुलिस ने, सी0 आई0 डी0 ने वह हरकत की । तो इस पर वक्तव्य करा दीजिये । उन छात्रों को बुरी तरह पीटा गया और झूठा इलजाम लगाने की कोशिश की गयी है, नगर में तनाव का वातावरण पैदा हो रहा है । फिर कौन सी ऐसी बात हम कहें कि जिससे यह अविलम्बनीय लोक महत्व का हो । मुख्य मंत्री के सामने की घटना है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं बलबीर सिंह जी के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । आज कोई व्यक्ति अपने विचार को व्यक्ति नहीं कर सकता । अपने प्रधान मंत्री के सामने अपना क्रोध प्रकट नहीं कर सकता, असंतोष व्यक्त नहीं कर सकता । वह तुरन्त लाठी का शिकार हो जाता है । इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे । पता नहीं प्रजातंत्र जिन्दा रहेगा या नहीं !

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें यह विचारणीय है कि जो घटना हुई तो हजारों की तादाद में लोगों ने कोतवाली को घेर लिया ।

श्री अजब सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

यह सब झूठ है। मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं। यह बिलकुल निरर्थक कह रहे हैं। इनको पता भी नहीं है, उस घटना को देखा भी नहीं। मुझे मालूम है, सब गलत है।

श्री बलबीर सिंह—

मेरे पास पत्र है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या मुख्य मंत्री जी जब उपस्थित हों तो उस समय की घटना के बारे में कोई गलत बात कही जा सकती है ?

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या उपाध्यक्ष जी, वे सज्जन आपकी तरफ से बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। आप चाहते हैं कि जो विवादास्पद मामला है उसको स्वीकार कर लिया जाय ?

श्री अजब सिंह—

नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

तो क्यों खड़े हो जाते हैं ?

मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ? आप कहेंगे तो दूंगा। वह कह रहे हैं कि सारी बात गलत है। आपके ऊपर निर्भर है कि मैं वक्तव्य दूं अथवा न दूं। वरना बात तो कोई वक्तव्य देने लायक है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

जब लोगों की तरफ से आन्दोलन हो किसी अत्याचार के विरोध में, तो एक तरह से जन-ऐक्शन, पीपुल्स ऐक्शन जनता की ओर से हुआ, कार्यवाही हुई। जो अत्याचार वर्णित है, उसका उपचार भी वहां की जनता ने कर लिया और मजबूरन उनको छोड़ना पड़ा। तो जनदृष्टि से अगर इस पर विचार किया जाय तो यह मामला एक तरह से हल हो गया है, इसलिए वक्तव्य देने लायक नहीं समझता हूं।

श्री बलबीर सिंह—

हल नहीं हुआ है। जो हल्ला हुआ वह पुलिस की ज्यादती से हुआ है। वह तो मैंने लिखा है कि वहां का वातावरण बहुत बिगड़ा हुआ है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

आपकी इस व्यवस्था से इस हल को मान्यता मिल जायगी। सरकार के लिये परेशानी बढ़ जायगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हुये और उन्होंने कहा कि इस पर वक्तव्य देने लायक नहीं है। इसका अर्थ जरा बतला दें।

श्री उपाध्यक्ष—

सत्याग्रह-परक-दृष्टिकोण मनः शुद्धि सर्वथा उभार का लक्षण है। जहां कहीं और जिस मात्रा में दिखायी पड़ता है उसका वह स्वागत करता है। इसलिये वक्तव्य की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार और अत्याचार का विरोध करने के लिये अगर जन समुदाय उठे तो वह कर्म है। उसके ऊपर हम क्या ऐक्शन लें।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

जनता कर रही है तो ठीक है। लेकिन यहां भी अत्याचार का विरोध करना चाहिये और अत्याचारी को सजा मिलनी चाहिये।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मान्यवर, ऐग्रो इंडस्ट्रीज की तरफ से सैकड़ों आदमियों को यह नोटिस दे दिया गया कि आप रुपया लेकर आ जाइये और ट्रैक्टर ले जाइये। दूर-दूर के लोग यहां पर रुपया लेकर आ गये और रुपया जमा करा दिया। लेकिन उनको ट्रैक्टर नहीं मिल रहे हैं। जिन लोगों को ट्रैक्टर दिये जा रहे हैं उनको ले जाते हुये पुलिस हैरेस कर रही है। उनसे साढ़े 10 परसेंट का ब्याज लिया जाता है। अब वह कहते हैं कि हम आपको साढ़े 6 परसेंट का ब्याज देंगे और आपको इन्टीमेट कर देंगे जब हमारे पास ट्रैक्टर होंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

सहारनपुर जिले में एक बेहट गांव है वहां एक चार वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया गया। उसका भाई जब रपट लिखाने गया तो उसे मार कर थाने से निकाल दिया गया। वहां हड़ताल हुई, जुलूस निकला, कितने ही शिष्ट मंडल मिले, लेकिन आज तक रपट नहीं लिखी गयी और न पुलिस ने कोई कार्यवाही की।

श्री उपाध्यक्ष—

यह न्यायालय के विचाराधीन तो नहीं है?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

जब रपट ही नहीं लिखी गयी तो न्यायालय के विचाराधीन कैसे होगा?

श्री उपाध्यक्ष—

केवल वक्तव्य के लिये कर देते हैं।

श्री राम किशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

रिटायर्ड स्कूल अध्यापकों की पेंशन के सम्बन्ध में एक मेरा है, उसको अल्पसूचित प्रश्न के लिये कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

हां, आप अल्पसूचित प्रश्न करें। माननीय हरनारायण।

(व्यवधान)

हरदोई–शारदा नहर से सीपेज से कई हजार एकड़ भूमि जलमग्न होने के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

(कुछ देर तक श्री रूपनाथ सिंह यादव तथा श्री हरनारायण एक साथ बोलते रहे)

श्री हरनारायण (जिला पीलीभीत)—

शारदा नहर से जो सीपेज हो रहा है उस पानी से लगभग ढाई हजार काश्तकार प्रभावित हैं। पिछले चार वर्षों में अनेक बार इसके लिये प्राथना-पत्र दिये गये परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। सिंचाई विभाग ने पिछले दो वर्षों में कुछ नाले खुदवाये उसमें 40 हजार रुपया प्रति नाला बेकार खर्च किया गया। इसके बाद एक साइफन 21 मील 5 फर्लांग पर बनाने की योजना बनाई गई जिससे जो पानी 11 मील से 23 मील तक लगभग 5,000 एकड़ भूमि में 9 वर्ष से बराबर भरा रहता है जिससे किसानों की कोई फसल नहीं होती। उनसे माल विभाग लगान लेता है साथ ही साथ उस पानी में "जोंक" पैदा हो गई है जो जानवरों को काटती हैं। बहुत नुकसान होता है। वह स्कीम 2 वर्ष हुए लखनऊ भेजी गई। पहली जनवरी, 1972 को फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने स्कीम को मंजूर किया, परन्तु इस स्कीम पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जहां पानी भरा हुआ है वहां पर पतरौल ने किसानों पर सिंचाई लगान लगाना शुरू कर दिया है। एक तो उनकी फसल नष्ट हो रही है। उनको नुकसान पहुंच रहा है, और दूसरी ओर उन पर लगान लगाया जा रहा है। कुलावों की बराबर मांग की जाती रही है मगर कुलावे नहीं दिये जा रहे हैं—(व्यवधान) 2 मील 4 फर्लांग पर, 8 मील पर, पानी भरा हुआ है। लीकेज बराबर हो रहा है। इन स्थानों के लिये कुलावों की मांग की जा रही है, मगर कोई ध्यान नहीं किया जा रहा है। एक तरफ पानी बरबाद हो रहा है, दूसरी ओर लोगों को सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल रहा है। कुलावों के लिये चीफ इंजीनियर के यहां दो-दो सौ रुपयों की मांग की जाती है। (व्यवधान) शाहगढ़ माइनर जो ब्रांच निकलती है उसमें भी पानी सड़कों पर बह रहा है। (व्यवधान) 21 मील 5 फर्लांग तक पानी भरा हुआ है। 5 लाख 85 हजार की एक योजना स्वीकार भी हुई पर वह खटाई में पड़ी हुई है। मैं यह मांग करता हूं कि इस योजना को तुरन्त चालू किया जाय, इस पर कार्यवाही की जाय जिससे काश्तकारों की रक्षा हो सके। पानी को तुरन्त रोकने की आवश्यकता है। इससे लगभग ढाई हजार परिवारों की रक्षा हो सकेगी।

(मंत्री जी को बुलाने पर)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, पहले मंत्री जी यही बता दें कि वे, अभी माननीय सदस्य ने जो भाषण दिया उससे क्या समझे? हमारी या किसी की समझ में कुछ भी नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष—

इनका यहां इम्तिहान नहीं हो सकता।

*सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राज बिहारी सिंह)—

मान्यवर, इनकी वही स्थिति है कि लिखें ईसा और पढ़ें मूसा। (व्यवधान) मान्यवर, हरदोई मार्ग पर 11 मील पर लीकेज होता है। यहां नहर जो है वह सन् 1928 में बनी थी। तब से ही धीरे-धीरे लीकेज होता रहा है। अब उसका लीकेज और बढ़ गया है। उसके कम करने के लिये 2–3 प्रयोग किये भी गये। पानी निकाल कर गोमती नहर में गिराने का भी काम किया गया। किन्तु वे प्रयोग नाकामयाब रहे। पानी वहां इकट्ठा होता रहा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज बिहारी सिंह]

अब यह है कि 30.5 मील पर एक साईफन बनाया जाए और साइफन से एक मील नहर काट कर गोमती नदी में पानी गिरा दिया जाए। यह विभाग ने स्वीकार कर लिया है और विभाग ने रुपया भी मंजूर कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता के फायदे के लिए विभाग को काम करना चाहिए---जैसा कि सदस्य ने कहा, तो अक्षरशः उनकी बातों का हम पालन कर रहे हैं। इतना भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, ऐसे समय में यदि इस समय इसको 6 हफ्ते के लिए बन्द कर दें तो उससे फसल का बड़ा नुकसान हो जाएगा। यों ही 2,500 एकड़ की फसलों का नुकसान हुआ है। यह इसको बन्द करने का उचित समय---अवसर नहीं है, ऐसा करने से बड़ा भारी फसलों का नुकसान होगा। इसलिए आगे जब विभाग को मौका मिलेगा तो वह करेगा अवश्य करेगा लोगों की फसलों का नुकसान न हो। इसलिये जब-जब मौका मिलेगा एक बारगी या थोड़े-थोड़े दिनों के लिए इसे बन्द किया जाएगा और 2-3 बार में यह काम पूरा किया जाएगा। अभी गन्ने की बुवाई का समय है। उसके बाद नहर को बन्द करके काम हम लगवा देंगे। यह आवश्यक बात है लेकिन इसका उन्होंने कभी पहले जिक्र नहीं किया कि उसकी वजह से जो 2,500 एकड़ जमीन डूबी हुई है, उस पर लगान लगता है। अब उसकी जांच करवा ली जाएगी। कुलावे की जो बात कही गई, वह यहां से समझी नही जा सकती। वह कहां पर कुलावा चाहते हैं, यहां पर बैठे हुए कोई व्यक्ति उसे पास नहीं कर सकता है कि कुलावे कहां जाएं। जो प्रार्थना-पत्र आता है, वह चीफ इंजीनियर के पास भेज दिया जाता है। उन्होंने आज पहली बार हाउस में इसका जिक्र किया कि कुलावे के लिए किसी ने उनसे 2 सौ रुपया मांगा है। यह बड़ी आपत्तिजनक बात है, लिखवा कर देंगे तो गम्भीरता से दिखवा लूंगा। यों मैं नहीं समझता कि किसी अधिकारी की यह हैसियत है कि वह हरनारायण जी से 200 रुपया इस प्रकार मांग ले। किसी का नाम देंगे तो जांच करवा लूंगा। गन्ने की बुवाई के बाद विभाग जब उचित समय समझेगा तो 10-10, 15-15 दिन के लिए बन्द करके इसका काम कराया जाएगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, रुपया मंजूर ही हो चुका है।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, जब मंत्री जी स्वतः इसको स्वीकार करते हैं कि उसके सीपेज से वहां की फसलों का नुकसान हुआ है और यह भी जानते हैं कि वहां के काश्तकारों का नुकसान हुआ है, तो क्या लगान माफी के अलावा यह सम्भव नहीं है कि उनकी क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्हें किसी दर से कम्पेन्सेशन भी दे दिया जाए? क्योंकि यह बहुत सालों से चल रहा है और पता नहीं कितने समय और चलेगा।

श्री राज बिहारी सिंह---

आज तक यह परम्परा नहीं रही कि सीवेज में जो जमीन डूबी रहती है उसका मुआवजा दिया जाए। अब पाण्डेय जी ने कहा है उसके ऊपर कोई सरकार निर्णय लेगी तो वह आगे भी सोचने की बात हो सकती है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

जब श्री हरनारायण ने हाउस में इतने बड़े नुकसान की तरफ ध्यान दिलाया तो सरकार का ध्यान गया तो अब तक किसी अधिकारी ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया?

श्री राजबिहारी सिंह---

मैंने कहा तो इसके लिए बहुत वर्षों से प्रयास होता रहा है। विभाग ने इस बात का प्रयास किया कि पानी पम्प से उठा कर नहर में डाला जाए, उसके बाद ड्रेन निकालने की बात जब आए तो गोमती का पानी वहां और इकट्ठा हो गया, जिससे नहर को खतरा हो गया, वह भी काम रोकना पड़ा। अब विभाग बराबर कोशिश कर रहा है कि कैसे उसको किया जाए। जितना हिस्सा पानी है उसको दूसरी नदी में कर दिया जाए, इस बात का विचार है।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

जब नहर के सीपेज से इतना नुकसान हुआ है और किसानों को कोई उसका मुआवजा नहीं दिया जाता है तो माननीय मंत्री ऐसी व्यवस्था करेंगे कि नहर टूटने और सीपेज की वजह से जो जमीन खराब होती है उसके लिए किसानों को मुआविजा दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह नीति का प्रश्न है। उसका उत्तर दिया है। आपने और व्यापक बना दिया।

श्री हरनारायण—

मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें बताया है कि कोई भी इस प्रकार की सिंचाई उन काश्तकारों पर जिनकी फसलें सीपेज से बरबाद होती हैं, नहीं लगाया गया है। इस वर्ष लगान लगाया गया है। अजिस्टेंट इंजीनियर, मिस्टर कमर साहब पहुंचे हैं, उनके द्वारा 10 हजार रुपया लगान में लगा कर कुर्की का आर्डर किया है। हमने डी0 एम0 से कह कर स्टे दिलवाया है। 23–3–73 को माननीय मंत्री को प्रार्थना-पत्र दिया है। जो तमाम फसलें बरबाद हो रही हैं, इस तरह से लगान लगाया जा रहा है, इसके ऊपर माननीय मंत्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मैंने पहले निवेदन किया कि जमीन डूबी हुई है, लगान लगा हुआ है, यह अन्याय की बात है, इसकी जांच करवाएंगे।

श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)—

जो बड़ी-बड़ी नहरें हैं, जहां जहां से होकर गुजरती हैं, उनके लेबिल से नीचे जो जमीन है हर जगह पर सीपेज है, तो बड़ी-बड़ी नहरों के किनारे ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि खेतों में सीपेज का पानी न पहुंच सके ? यू0 पी0 भर में ऐसा हो रहा है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

इसकी जानकारी तो नहीं है। कोई जगह लिख कर दें तो देखा जा सकता है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

जहां ऐसे लीकेज से इंजीनियर्स की लापरवाही से तमाम किसानों को नुकसान होता है, तो क्या सरकार उचित नहीं समझती कि बजाय लगान माफी के मुआविजा दे दे ? यह कानून भी है। इस सरकार को सरकार वहन भी करेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर दे दिया। ऐसी नीति अभी नहीं है। यह नीति सम्बन्धी सवाल है। सरकार जवाब देना चाहेगी तो दे सकती है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

हरनारायण जी ने जो बात कही है, वह बात स्पष्ट है कि 25 साल से लगान नहीं लिया गया था। मंत्री जी महसूस करते हैं कि आज भी जमीन डूबी हुई है तो आपको क्या अड़चन है कि यह घोषित कर दें कि लगान माफ कर दिया जायगा ? स्थिति साफ है। सदस्य महोदय कह रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके आज लगान माफी की घोषणा कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें लिखा है कि जांच करवायेंगे।

श्री हर नारायण—

जो माल का लगान है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सिंचाई का लगान लगाया गया है। उसकी बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उसी के बारे में निवेदन किया कि जो जमीन पानी से डूबी हुई है उस पर अगर टैक्स लगाया गया है तो अनुचित है। उसको देखेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

नहर कानून का साधारण नियम है कि सिंचाई के जो रास्ते हैं उसके अलावा किसी तरह से खेत में पानी पहुंच जाय तो तावान लिया जाय। क्या उस नियम के तहत तावान वसूल कर रहे हैं किसानों से ?

श्री राजबिहारी सिंह—

तावान वसूल करने का इस वक्त कोई सवाल है ही नहीं।

श्री राम किशोर शुक्ल—

तत्काल आप आदेश प्रसारित कर दें, उसकी वसूली स्थगित कर दें और जांच करवा कर माफ करवाएं। जिस इंजीनियर ने जिस जमीन पर 25 वर्ष से सिंचाई-कर नहीं लगा था इस वर्ष लगाया है। उस इंजीनियर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे क्योंकि 25 वर्ष तक सिंचाई कर लगा रहा ?

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल एकदम कर लिए जायं फिर एकदम जवाब दे दिया जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एस० डी० ओ० तथा इंजीनियर को जब मालूम हुआ कि किसानों की किसी गलती की वजह से पानी नहीं पहुंच रहा है बल्कि नहर विभाग की गलती से खेतों में पानी भर जाता है ऐसी स्थिति में लगान लगाया गया तो क्या इसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ?

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

जब खेतों से सिंचाई-कर वसूल किया जा रहा है तो क्या उनमें फसल हुई है ? और अगर फसल हो रही है तो क्या यह सच है कि किसानों को लाभ भी पहुंच रहा है ?

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

किसानों को जो काफी हानि उठानी पड़ी तो पतरौल से इंजीनियर तक ने शासन का ध्यान दिलाया कि नहर में खराबी आ गयी या जब हरनारायण जी ने ध्यान दिलाया तो सरकार का ध्यान उस ओर गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह नया सवाल है।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

नहर का लगान लगा दिया गया यह गनीमत है लेकिन उन पर जुर्माना भी होना चाहिये, खेत में पानी अगर किसी तरह से पहुंच जाता है तो मालगुजारी ही वसूल नहीं होती, उन पर जुर्माना भी होता है। फिर यह दैवी प्रकोप से नुकसान नहीं हुआ, यह माननीय प्रकोप से हुआ है तो ऐसी स्थिति में जहां लगान माफ होना चाहिये था वहां जो फसल नहीं उग सकी है उसकी क्षति पूर्ति की भी सरकार कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

सिंचाई के अनुदान के वक्त इस बात को आप रखियेगा।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

हर जगह नहरों के इंजीनियरों की लापरवाही से वे टूट गयी हैं और गांव जलमग्न हो गये हैं, जमीनें डूब गयी हैं और बाग बगीचों में पानी पहुंच गया है फिर भी सिंचाई कर उनसे जबरदस्ती वसूल की जा रही है तो क्या माननीय मंत्री सिंचाई कर को स्थगित करने के अलावा किसानों को मुआविजा भी दिलायेंगे और देवरिया में जो सिंचाई कर वसूल हो रहा है उसे मुल्तवी करायेंगे ?

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि प्राकृतिक प्रकोप से अगर नहर टूट जाती है तो किसानों को मुआविजा दिया जाता है तो क्या इस केस में भी उनको मुआविजा दिलाने की व्यवस्था की जायगी ?

श्री हर नारायण—

मैं सरकार की आलोचना करने के लिये प्रश्न नहीं कर रहा हूं बल्कि सही बातें बतला रहा हूं।

पहली बात यह है कि अधीक्षण अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार फसल खराब हुई है जिसके लिये कि 12 अप्रैल स नहर को बन्द करने की मांग की गई है, उसे माननीय मंत्री जी बन्द करने की कृपा करेंगे और सम्बन्धित अधिकारियों को इसका आदेश देंगे ? दूसरी बात यह है कि हमारी जो कुलावे की मांग है, उसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे और तीसरी सिंचाई कर जो लगाया गया है, उसे स्टे कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री रूप नाथ सिंह यादव—

मान्यवर, सबसे अधिक भयंकर रुख किस सन् में हुआ था ? उस वक्त क्या कार्यवाही हुई थी। इस मामले में मुझे ज्ञात हुआ कि तीन इंजीनियरों में आपस में मतभेद था इसलिये कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। एक ने कहा सम्भव है दूसरे ने कहा असम्भव है।

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, जहां तक माननीय रूपनाथ सिंह जी का सवाल है मैं समझता हूं कि इसमें सच्चाई की गुंजाइश बहुत कम है। यह किसी में मतभेद की वजह से नहीं हुआ है। दूसरा सवाल पानी भर जाने से मुआवजा दिये जाने से है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर कि हम लोग मौके-बेमौके विचार करते रहते हैं। आगे भी हम विचार करेंगे और जो बात किसानों के हित में होगी वही करेंगे। माननीय हरनारायण जी ने 12 अप्रैल से नहर बन्द करने के बारे में कहा, वह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अब किसानों को गन्ना और धान बोना है। जब किसानों का यह कार्य हो जाय तब इसके बन्द करने पर विचार किया जा सकता है। तभी साइफन बना दिया जायेगा। जहां तक किसानों पर टैक्स लगाने की बात है उसके बारे में मैं जांच कर लूंगा यदि बात सही पायी जायेगी तो उसकी माफी कर दी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
3 अप्रैल, 1973।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 391 पर)

तालिका 'क'

कृषि उत्पादन मण्डी समिति बिल्थरा रोड (बलिया) के वर्ष 1970–71 का विवरण—

आय			व्यय		
क्र0सं0	आय की मदें	धनराशि	क्र0सं0	व्यय की मदें	धनराशि
		रु0 पै0			रु0 पै0
1	मण्डी शुल्क ..	16,415.12	1	एकीकरण एवं कार्यालय व्यय—	
				1—अधिष्ठान	22,550.62
				2—आकस्मिकतायें	332.00
2	लाइसेंस शुल्क ..	7,821.50	2	यात्रा भत्ता ..	1,918.32
3	अन्य (आकस्मिकतायें)	303.20	3	आकस्मिक—	
				1—नियत ..	1,212.08
				2—अनियत—	
				(अ) आवर्ती ..	725.33
				(ब) अनावर्ती	61.05
4	सहायक अनुदान	6,530.00	4	विशेष आकस्मिक— मूल ब्याज एवं अग्रिम धन ..	1,607.00
	कुल आय ..	31,069.82		कुल व्यय ..	28,406.40

तालिका 'ख'

कृषि उत्पादन मंडी समिति, चितबड़ा गांव (बलिया) के वर्ष 1970—71 का विवरण—

आय			व्यय		
क्र0 सं0	आय की मदें	धनराशि	क्र0 सं0	व्यय की मदें	धनराशि
		रु0 पै0			रु0 पै0
1	मण्डी शुल्क ..	34,653.44	1	अधिष्ठान (रेगुलर एवं शार्ट टर्म) ..	10,367.02
2	लाइसेंस शुल्क ..	3,423.00	2	यात्रा भत्ता ..	1,490.06
	अन्य ..	222.69	3	आकस्मिक—	
				1—नियत ..	1,571.36
				2—अनियत—	
				(अ) आवर्ती ..	730.00
				(ब) अनावर्ती ..	1,810.61
			4	विशेष आकस्मिक ऋण ब्याज एव अग्रिम धन	1,223.90
	कुल योग ..	38,299.13		कुल योग ..	17,192.65

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पष्ठ 399 पर)

संलग्नक

	नाम सड़क	लम्बाई कि0 मी0 में	अनुमानित मूल्य (लाख रु0 में)	विकास क्षेत्र
1.	मखलिसपुर पम्प कैनाल रोड के सर्विस रोड का वह भाग जो ग्राम देवरिया से रकोली तक गोरखपुर जनपद में पड़ता है ।	12	5	सहजनवां
2.	सेखुआती से सेवतरी बाजार ..	5	2.50	नौतनवां
3.	परतावल से धनहा ..	5	2.50	परतावल
4.	रामकोला से असवनापार ..	5	2.25	बड़हलगंज
5.	सिकरी गंज-बेलघाट ..	2	1	बेलघाट
6.	महाबीर छपरा-कुस्महौल ..	3	1.56	पिपरौली
		32	14.81	

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 400 पर)

जौनपुर जनपद में ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों का विवरण

क्रमांक	सड़क का नाम	लम्बाई (कि0 मी0)	प्रगति (1 अक्तूबर, 1971) से 31 जनवरी, 1973 तक				अन्य विवरण
			वित्तीय प्रगति (रु0)	भौतिक प्रगति मिट्टी का कार्य (कि0मी0)	पुलिया निर्माण (संख्या)	सीलिंग (कि0 मी0)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1—बक्शातेजो बाजार		2.60	94,286	2.60	8	1.50	1,748 घनफुट कंकड़ एकत्र किया गया है।
2—दहीदपुर-करजाकलां	..	3.20	1,33,746	3.20	3	3.20	584 क्यू0 मी0 पत्थर की गिट्टी एकत्र की गई।
3—रसैयना-लोकासराय	..	3.60	1,44,981	3.60	9	3.50	422 क्यू0 मी0 ईंट की गिट्टी एकत्र की गई, 5,000 घनफुट कंकड़ संग्रह किया गया, 597 क्यू0 मी0 पत्थर की गिट्टी एकत्र की गई और 1.5 कि0 मी0 विरोही गिट्टी की कुटाई की गई।
4—बरसठी-बंधवां	..	4.40	1,03,160	4.40	7	4.40	कंकड़ एकत्र किया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	सड़क का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	प्रगति (1 अक्तूबर, 1971) से 31 जनवरी, 1973 तक वित्तीय प्रगति (रु0)	भौतिक प्रगति मिट्टी का कार्य (कि0 मि0)	पुलिया निर्माण (संख्या)	सीलिंग (कि0 मि0)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
5—चौकिया-आरा	..	9.10	2,50,000	9.10	18	4.152	52,600 घनफुट कंकड़ एकत्र किया गया है, 422 क्यू0 मी0 ईंट की गिट्टी संग्रह की गई और 3 कि0मी0 में विरोही व ईंट की गिट्टी की कुटाई हुई है।
6—गौरा बादशाहपुर-मनिहाबारी (ब्लाक धर्मापुर)		3.60	1,88,503	3.60	9	3.60	3.6 कि0 मी0 में विरोही व ईंट की गिट्टी की कुटाई हुई और कार्य 2.20 कि0 मी0 पर पेंटिंग का काय किया गया।
7—जलालपुर-बाबतपुर	..	6.60	69,700	5.80	4		2967 घनफुट कंकड़ संग्रह किया गया व 105 क्यू0 मी0 ईंट की गिट्टी। इकट्ठा की गई।
8—रामपुर-गोपालपुर	..	4.20	34,810	3.20	5		8234 घनफुट कंकड़ संग्रह किया गया।
9—शीतलगंज-मोकलपुर	..	4.20	1,23,833	4.20	8	4.20	421 क्यू0 मी0 ईंट की गिट्टी व 575 क्यू0 मी0 विरोही गिट्टी
10—जलालपुर-मड़ियाहूं	..	4.00	1,69,875	4.00	9	3.80	566 क्यू0 मी0 पत्थर की गिट्टी संग्रह की गई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

11—चंदवक-थाना गद्दी ..	3.70	66,200	3.70	13	1.00	11,235 घनफुट कंकड़ और 176 क्यू0 मी0 ईंट की गिट्टी संग्रह की गई।
12—गुरैनी-मानीकलां ..	4.00	95,700	4.00	6	2.00	60,000 घनकट कंकड़ व 615 क्यू0 मी0 विरोही गिट्टी संग्रह की गई।
13—बिरैली-समोघपुर ..	5.50	93,440	5.50	10	—	32630 घनफुट कंकड़ संग्रह किया गया।
14—तेजीबाजार-लोहिन्दा ..	3.00	37,360	3.00	6	—	6,000 घनफुट कंकड़ संग्रह किया गया।
15—केराकत-सुल्तानपुर ..	3.70	93,900	3.70	10	2.70	55,000 घनफुट कंकड़ संग्रह किया गया।
16—गौरा बादशाहपुर-मनिहाबारी (ब्लाक केराकत)	1.60	33,300	1.60	1	0.20	16,000 घनफुट कंकड़ संग्रह किया गया।
17—बटाऊबीर-मई ..	4.40	88,700	3.50	8	3.12	34576 घनफुट कंकड़ संग्रह किया गया।
18—सिगरामऊ-लालगंज ..	2.00	59,180	2.00	4	0.922	26486 घनफुट कंकड़ तथा 421 क्यू0 मी0 ईंट की गिट्टी इकट्ठा की गई।
19—वटाऊबीर-सिगरामऊ ..	8.00	68,167	6.45	5	0.569	—
20—मुगरा बादशाहपुर-बेलवार	5.70	92,300	5.70	11	2.50	61505 घनफुट कंकड़ तथा 150 क्यू0 मी0 पत्थर की गिट्टी एकत्र की गई।
21—मछलीशहर-बरईपार	3.22	72,639	3.22	4	1.10	19600 घनफुट कंकड़ व 866 क्यू0 मी0 ईंटे की गिट्टी एकत्र की गई।
22—गोधना-भटहर ..	2.48	33,367	2.48	4	—	—
योग ..	92.80	21,47,147	83.55	162	42.463	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 400 पर)

प्रतिलिपि

माननीय श्री जे0 डी0 शुक्ला,

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लि0, लखनऊ के जनपद बुलन्दशहर में शुभागमन पर सादर समर्पित---

मान एवं मांग पत्र

श्रीमान जी,

मान्यवर, अतिथि जी यह हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हम लोगों के बीच पधार कर हमारी कठिनाइयों को सुनने के लिये अपने अमूल्य समय में से कुछ समय देकर हमें कृतार्थ किया है जिसके लिये हम आपके विशेष आभारी हैं:---

हमारी राज्य सरकार ने किसानों को सहायतार्थ यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 संस्था को जन्म दिया था, इस संस्था ने आप जैसे कर्मठ एवं निष्पक्ष व्यक्ति की अध्यक्षता पाकर अपनी राज्य सरकार के लक्ष्य को पूर्ण करने में सफलता प्राप्त की है किन्तु फिर भी इस विभाग में कुछ निम्न कठिनाइयां, हैं, हम आशा करते हैं कि आप अवश्य ही इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे ।

(1) उर्वरक की कमी---

इस वर्ष जनपद बुलन्दशहर के किसानों ने सरकार को सबसे अधिक अनाज-गेहूं दिया है । जिसका एक कारण उर्वरक है । यदि किसानों को समय पर उर्वरक उचित मात्रा में मिलता तो गेहूं की पैदावार कहीं और अधिक बढ़ जाती इसके लिये हम सब डीलर्स की मांग है कि जनपद बुलन्दशहर में एक उर्वरक कारखाना स्थापित किया जाना चाहिये, जिससे किसानों को उचित समय पर उचित मात्रा में उर्वरक मिल सके ।

(2) टेगिंग

नत्रजन उर्वरकों के साथ अन्य उर्वरकों व फल उत्पादकों का टेगिंग न किया जाय । जैसे 10 टन यूरिया के साथ 10 टन पोटाश दी गई है । यह किसानों एवं डीलर्स के साथ अन्याय है । सरकारी आदेशानुसार बेसिक ड्रेसिंग के लिये निर्धारित एन0 पी0 के0 की मात्रा बेचने के पश्चात् भी टौप ड्रेसिंग में नाइट्रोजन उर्वरकों के साथ पोटाश एवं सुपरफास्फेट उर्वरकों को लेने को बाध्य किया जाता है । यदि कोई डीलर विक्रय सहायक के कहने के अनुसार माल नहीं उठाता है तो उसे माल देना बन्द कर दिया जाता है ।

(3) कटा फटा खराब उर्वरक---

अधिकांश उर्वरक असावधानी से स्टोर करने के कारण कटफट जाता है, जो डीलर्स को वजन में आपके विभाग द्वारा लेने को बाध्य कर दिया जाता है । जैसा कि पोटाश उर्वरक 60-70 कि0 की बोरी डीलर्स को 100 कि0 में दी गई है जबकि पोटाश कम्पनी द्वारा विभाग को इस कटे फटे माल का क्लेम मिल चुका है । स्टेशन व गोदामों की सकेरन को उर्वरकों के खाली कट्टों में भरकर फ्रेश माल के साथ लेने को बाध्य किया जाता है ।

(4) कमीशन में परिवर्तन--

पहले डीलर्स को गोदाम से माल उठाने की अपेक्षा स्टेशन से 5 रु0 प्रति टन कमीशन अधिक दिया जाता था किन्तु अब स्टेशन से भी माल उठाने पर भी कमीशन गोदाम का दिया जाता है ऐसा क्यों?

(5) विशेषत--

बुलन्दशहर शाखा पर डीलर्स को माल लेते समय बिल व पैसा जमा करते समय कोई रसीद नहीं दी जाती है। इसका कारण विक्रय सहायक द्वारा स्वयं पैसा लेकर अनधिकृत व्यक्तियों को उर्वरक की बिक्री करना है। इससे विक्रय सहायक हिसाब में भूल चूक डालकर अधिकृत डीलर्स से अनावश्यक पैसा जबरन वसूल करते हैं। इस कारण डीलर्स को अपनी धन हानि की आशंका विक्रय सहायक महोदय की तरफ से सदैव बनी रहती है।

(6) मजदूरी में गड़बड़--

अधिकांश शाखाओं पर विक्रय सहायक महोदय की जानकारी में 5 पैसा प्रति कट्टा मजदूरी के बजाय 15 पैसा प्रति कट्टे तक की मजदूरी वसूल करते हैं। ऐसा क्यों?

(7) अनधिकृत व्यक्तियों को माल देना--

विक्रय सहायक महोदय अनधिकृत व्यक्तियों को माल पहले देते हैं जबकि अधिकृत डीलर्स बैठे रहते हैं एवं डीलर्स को अनधिकृत व्यक्तियों के सामने अपमानित करते हैं विशेष कर बुलन्दशहर शाखा पर विक्रय सहायकों का व्यवहार बड़ा ही कटु एवं तानाशाहीपूर्ण होता है।

अन्त में हम आशा करते हैं कि आप अवश्य ही हमारी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हमारी सहायता करेंगे। एक बार फिर से हम सब डीलर्स परमपिता परमात्मा से आपके स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना करते हैं।

विनीत

दिनाक 10-1-72
बुलन्दशहर, यू0 पी0

(ह0) हम हैं आपके
डीलर्स

उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 407–408 पर)

गोरखपुर जिले के विकास खण्डों में स्वाश्रय विकास कार्यक्रम/राज्य स्वाश्रय योजना के अन्तर्गत जून, 1970 से दिसम्बर, 1972 तक पेय जल हेतु निर्मित कुओं/हैण्ड पम्पों से संबंधित सूचना

क्रम-संख्या	विकास खण्ड का नाम	वर्ष	स्वीकृत धनराशि (रुपये)	व्यय की गई धनराशि (रुपये)	पूर्ण कुंए/हैण्ड पम्पों की संख्या	अपूर्ण कुओं/हैण्ड पम्पों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	
1—महराजगंज ..		1–6–70 से 31–3–71	13,825	13,825	53	..	
		1–4–71 से 31–3–72	8,500	500	4	..	
		1–4–72 से 31–12–72	17,500	14,637	..	7	सभी कुओं पर 80% कार्य हो चुका है।
2—धानी		1–4–72 से 31–12–72	17,637	17,388.46	7		
3—बंगल कौड़िया ..		1–6–70 से 31–3–71	4,200	4,200	9		
		1–4–71 से 31–3–72	16,145	16,145	35		
		1–4–72 से 31–12–72	17,630	17,225	6	1	लक्ष्मीपुर का कुंआ दल दल के कारण, पुनः बनवाया जा रहा है।
4—सहजनवां ..		1–6–70 से 31–3–71	700	700	7		
		1–4–71 से 31–3–72	600	600	6		
		1–4–72 से 31–12–72	18,733	17284.58	18		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5—पिपराइच ..	1-4-71 से 31-3-72	210	210	3	7	
	1-4-72 से 31-12-72	17,637	17,637	6	1	31-3-73 तक पूर्ण हो जायगा।
6—लक्ष्मीपुर ..	1-6-70 से 31-3-71	1,875	225	3		
	1-4-72 से 31-12-72	54,039	53,139	57	1	वर्षा के कारण पूरा कुंआ धंस गया है। पुनः कार्य आरम्भ है।
7—गोला ..	1-4-72 से 31-12-72	17,637	17,637	7		
8—बेलघाट ..	1-4-71 से 31-3-72	17,637	10,618	5	2	दो ग्रामों के कूप स्थल विवाद के कारण देर हुई। अब कार्य प्रारम्भ है।
9—सिसवा	1-6-70 से 31-3-71	375	375	5		
	1-4-71 से 31-3-72	600	600	8		
	1-4-72 से 31-12-72	15,002	15,002	16		
10—नौतनवां ..	1-4-71 से 31-3-72	5,530	5,530	14		
	1-4-72 से 31-12-72	17,637	17,637	7		
11—परतावल ..	1-6-70 से 31-3-71	8,100	8,100	47		
	1-4-71 से 31-3-72	1,135	1,135	4		
	1-4-72 से 31-12-72	17,500	15,000	7		
12—कौड़ीराम ..	1-6-70 से 31-3-71	5,375	5,375	43		
	1-4-71 से 31-3-72	1,000	1,000	8		
	1-4-72 से 31-12-72	375	375	3		
13—खोरावार ..	1-6-70 से 31-3-71	7,752	7,752	49		
	1-4-71 से 31-3-72	16,026	16,026	51		
	1-4-72 से 31-12-72	15,000	15,000	5		
14—फरेंदा ..	1-4-72 से 31-12-72	17,577	15744.19	7		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
15—बड़हलगंज		1-6-70 से 31-3-71	1,425	460	5	
		1-4-71 से 31-3-72	350	350	4	
		1-4-72 से 31-12-72	17,637	16876.45	7	
16—सरदारनगर		1-6-70 से 31-3-71	3,470	1,860	16	
		1-4-71 से 31-3-72	7,585	4,304	54	
		1-4-72 से 31-12-72	18,825	18,100	22	2
17—चरगावां	..	1-6-70 से 21-3-71	8,700	8,600	71	
		1-4-71 से 31-3-72	2,500	2,500	17	
		1-4-72 से 31-12-72	18,400	17,400	14	2 जगत निर्माण बाकी है, शीघ्र पूर्ण हो जायगी।
18—पनियरा	..	1-4-72 से 31-12-72	17,637	11,304	3	4 सीमेन्ट की कमी के कारण कार्य अपूर्ण है।
19—बांसगांव	..	1-4-72 से 31-12-72	18,225	14,056	10	1
20—निचलौल	..	1-4-71 से 31-3-72	7,500	1,950	13	
		1-4-72 से 31-12-72	25,100	21,165	44	1 धरातल के नीचे साखू का पेड़ पड़ जाने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हुआ।
21—पिपरौली	..	1-4-71 से 31-3-72	2,580	2,580	24	
		1-4-72 से 31-12-72	18706.80	13,517	4	3 दो का कार्य लगभग पूर्ण है। एक का कार्य एस्टीमेट तथा बजट स्वीकृत न होने से देर से शुरू हुआ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 414 पर)

जिले का नाम				वित्तीय वर्ष 1971–72 व 1972–73 में 15–3–73 तक आवंटित कुल धनराशि (लाख रु० में)
1				2
1—आगरा	..	..	..	22.420
2—अलीगढ़	..	..	..	19.420
3—एटा	..	..	..	21.485
4—मैनपुरी	..	..	..	18.985
5—मथुरा	..	..	..	23.425
6—इलाहाबाद	..	..	..	22.620
7—इटावा	..	..	..	20.360
8—फर्रुखाबाद	..	..	..	14.360
9—फतेहपुर	..	..	..	16.820
10—कानपुर	..	..	..	17.460
11—बहराइच	..	..	..	27.960
12—बाराबंकी	..	..	..	27.380
13—फैजाबाद	..	..	..	22.256
14—गोंडा	..	..	..	27.856
15—प्रतापगढ़	..	..	..	32.060
16—सुल्तानपुर	..	..	..	25.660
17—चमोली	..	..	..	18.365
18—गढ़वाल	..	..	..	36.465
19—टेहरी गढ़वाल	..	..	..	28.785
20—उत्तरकाशी	..	..	..	21.889
21—आजमगढ़	..	..	..	28.360
22—बस्ती	..	..	..	22.070
13—देवरिया	..	..	..	24.610
24—गोरखपुर	..	..	..	30.680
25—बांदा	..	..	..	25.165
26—हमीरपुर	..	..	..	24.780
27—जालौन	..	..	..	22.865
28—झांसी	..	..	..	25.365
29—अल्मोड़ा	..	..	..	19.025
30—नैनीताल	..	..	..	37.697
31—पिथौरागढ़	..	..	..	20.845
32—हरदोई	..	..	..	21.440
33—खीरी	..	..	..	23.360
34—लखनऊ	..	..	..	22.260

1	2
35—रायबरेली	29.100
36—सीतापुर	30.420
37—उन्नाव	30.840
38—बुलन्दशहर	17.045
39—देहरादून	28.980
40—मेरठ	22.660
41—मुजफ्फरनगर	27.360
42—सहारनपुर	32.300
43—बरेली	35.445
44—बिजनौर	24.800
45—बदायूं	17.420
46—मुरादाबाद	24.565
47—पीलीभीत	33.143
48—रामपुर	20.220
49—शाहजहांपुर	16.530
50—बलिया	22.620
51—गाजीपुर	25.080
52—जौनपुर	25.160
53—मिर्जापुर	33.460
54—वाराणसी	37.290
योग ..	1350.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 416 पर)

परिशिष्ट 1

उप निदेशक, कृषि रक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1970–71 तथा 1971–72 में विभिन्न कम्पनियों से क्रय किये गये रसायनों का ब्योरा

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम
1	सर्वश्री डाइरेक्टर फूड ग्रेन एन्ड स्टोरेज, रिसर्च इन्स्टीट्यूट हापुड़, (मेरठ) ।
2	सर्वश्री दि एग्रो0 इंडस्ट्रियल केमिकल्स कम्पनी, रुद्रपुर, (नैनीताल) ।
3	सर्वश्री पेस्टी साइड इंडिया, उदयपुर ।
4	सेन्ट्रल इन्सेक्टीसाइड्स एन्ड फर्टीलाइजर्स, बम्बई ।
5	सिंघल पेस्टीसाइड्स, आगरा ।
6	पेस्टीसाइड इंडिया डीलर, रुद्रपुर ।
7	,, इन्डोपेस्टिकल केमिकल्स लि0, बम्बई ।
8	,, प्रकाश पल्वराइजिंग मिल्स, अलवर (राजस्थान) ।
9	भारत पल्वराइजिंग मिल्स, बम्बई ।
10	,, कानपुर पेस्टीसाइड्स, कानपुर ।
11	,, रेलिस इंडिया लि0, लखनऊ ।
12	,, दि आकली एन्ड केमिकल्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
13	,, कृष्णा माइनर एन्ड ट्रेडर्स, जयपुर ।
14	,, यूनियन कारबाइड इंडिया लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
15	,, सीवा इंडिया लिमिटेड, बम्बई ।
16	,, इम्पेक्स इंडिया लिमिटेड, नयी दिल्ली ।
17	,, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एन्ड मिनरल्स, नयी दिल्ली ।
18	,, ईस्ट फरमाक्युटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली ।
19	,, वायर (इंडिया) लिमिटेड, बम्बई ।
20	,, जयवाल उद्योग, नई दिल्ली ।
21	,, नेशनल आर्गेनिक केमिकल्स, इन्स्टीट्यूट, नयी दिल्ली ।
22	,, स्वरूप केमिकल्स, लखनऊ ।
23	,, यूनाइटेड वल्कनाइजर्स, आगरा ।
24	,, मेकनिक्स ऐन्ड बैरी, कानपुर ।
25	,, सेंडोज (इंडिया), लिमिटेड, बम्बई ।
26	,, के0के0 राजदा एन्ड कम्पनी, नई दिल्ली ।
27	,, कैलेश एन्ड कम्पनी, कलकत्ता ।
28	,, मानसेंटो केमिकल्स आफ इंडिया, नयी दिल्ली ।

29 भारत आर्मी मिनरल्स, फरीदाबाद ।
30 ,, माधोलाल पेस्टीसाइड्स इंडिया, मथुरा ।
31 ,, प्रकाश इन्सेक्टीसाइड्स, इलाहाबाद ।
32 ,, सन-रे केमिकल्स इन्डस्ट्रीज, आगरा ।
33 ,, मैसूर इन्सेक्टीसाइड्स, मद्रास ।
34 ,, नेशनल पेस्टीसाइड्स विदिसा, (मध्य प्रदेश) ।
35 ,, अमर इंडिया टेक्सटाइल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, कानपुर ।
36 ,, डिसइन्सपेस्टो केमिकल्स, लखनऊ ।
37 ,, प्लान्ट क्योर कन्समेंट, लखनऊ ।
38 ,, आल इंडिया मेडिकल कार्पोरेशन, बम्बई ।
39 ,, एग्रो केमिकल्स एजेन्सीज, दिल्ली ।

विधान सभा सचिवालय

परिशिष्ट 2

उप निदेशालय, कृषि रक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1970–71 तथा 1971–72 में विभिन्न कम्पनियों से क्रय की गयी कृषि रक्षा मशीनों का ब्योरा

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम
1	सर्वश्री मयंकिम स्प्रिग एन्ड फ्रेमिंग वर्क्स, बम्बई ।
2	,, शो बैलेन्स एन्ड कम्पनी, कलकत्ता ।
3	,, दी एलाइड इन्स्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, लखनऊ ।
4	,, दादा भाई एन्ड कम्पनी, लखनऊ ।
5	,, टिम्टोस ट्यूब कम्पनी, कानपुर ।
6	,, रेसीन इंडिया लिमिटेड, लखनऊ ।
7	,, वाणिज्य एग्रो इंडस्ट्रीज, मद्रास ।
8	,, सम्भागीय कारपोरेशन, नई दिल्ली ।
9	,, मार्टिन वर्न लिमिटेड, कानपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 416र)

सूची

वर्ष	यात्रिक भत्ते जिनका भुगतान होना था	धनराशि	यात्रिक भत्तों की संख्या जिसकी धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।	भुगतान की गई धनराशि	शेष धन-राशि जिसका भुगतान करना है	अभ्युक्ति
1970–71	8	102.40	4	57.80	44.60	रु0 44.60 से अवशेष धनराशि में से लगभग 15 रु0 की धनराशि उन कर्मचारियों की है जो कि बदायूं से स्थानान्तरण होकर जा चुके हैं उनके बैंक ड्राफ्ट इत्यादि बनाने का कार्य किया जा रहा है जो शीघ्र ही सम्पन्न हो जायेगा।
1971–72	13	140.15	4	63.35	76.80	शेष धनराशि में से लगभग 22 रु0 की धनराशि उन कर्मचारियों के लिये है जिनका स्थानान्तरण बदायूं से बाहर हो चुका है, उनके बैंक ड्राफ्ट इत्यादि बनाये जा रहे हैं।
1972–73	42	687.47	42	687.47	419.45	वर्ष 1972–73 के 617.95 रु0 के यात्रिक भत्ते बिल 20 रु0 25 मार्च, 1973 को ट्रेजरी से पास किये गये हैं जिसके कारण कुछ भुगतान शेष है। शेष भुगतान भी शीघ्र ही कर दिया जायगा।
1972–73	36	617.95	12	198.50		
	78	1,305 42				

पी0 एस0 यू0 पी0–ए0 पी0 25 एल0 ए0—1974–835

अनावरण विधान सभा